

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 50]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 13 दिसम्बर 2019—अग्रहायण 22, शक 1941

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 20 नवम्बर 2019

क्र. एफ 1(ए)-252-1988-ब-2-दो.—राज्य शासन, श्री के. एन. तिवारी, भापुसे, विशेष पुलिस महानिदेशक (चयन/भर्ती), पुलिस मुख्यालय, भोपाल को खण्डवर्ष 2018-21 के प्रथम विस्तार वर्ष में दिनांक 16 से 25 दिसम्बर 2019 तक, कुल दस दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 14-15 दिसम्बर 2019 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवकाश अवधि में परिवार सहित लक्षदीप समूह की भ्रमण यात्रा पर जाने हेतु अवकाश यात्रा सुविधा अन्तर्गत परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ एवं 10 दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है:—

- | | | |
|------------------------|---|-------|
| 1. श्री के. एन. तिवारी | — | स्वयं |
| 2. श्रीमती अलका तिवारी | — | पत्नी |

(2) उक्त अवकाश अवधि में श्री के. एन. तिवारी, भापुसे का चालू कार्य श्री संजीव शमी, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक (चयन/भर्ती) पु.मु. द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ संपादित किया जायेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री के. एन. तिवारी, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न विशेष पुलिस महानिदेशक (चयन/भर्ती), पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री के. एन. तिवारी, भापुसे के कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कंडिका (2) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री के. एन. तिवारी, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री के. एन. तिवारी, भापुसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

8007

भोपाल, दिनांक 21 नवम्बर 2019

क्र. एफ-1(ए)176-1997-ब-2-दो.—राज्य शासन द्वारा श्री के. पी. वेंकटेश्वर राव, भापुसे-95, पुलिस महानिरीक्षक, बालाघाट जोन, बालाघाट को दिनांक 11 से 23 नवम्बर 2019 तक, तेरह दिवस अर्जित अवकाश एवं 09-10 नवम्बर 2019 व 24 नवम्बर 2019 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है.

(2) श्री के. पी. वेंकटेश्वर राव, भापुसे के अवकाश अवधि में इनका चालू कार्य श्री आर. एस. डहेरिया, भाप्रसे, पुलिस उप महानिरीक्षक, बालाघाट रेन्ज, बालाघाट द्वारा अपने कार्य के साथ सम्पादित किया जावेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री के. पी. वेंकटेश्वर राव, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक, बालाघाट जोन, बालाघाट के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री के. पी. वेंकटेश्वर राव द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कण्डिका (2) में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री के. पी. वेंकटेश्वर राव, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री के. पी. वेंकटेश्वर राव, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

भोपाल, दिनांक 27 नवम्बर 2019

क्र. एफ-1(ए)66-2013-ब-2-दो.—राज्य शासन द्वारा श्री रामाश्रय चौबे, भापुसे, पुलिस उप महानिरीक्षक, होशंगाबाद रेन्ज होशंगाबाद को दिनांक 4 से 8 नवम्बर 2019 तक, पांच दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 03 एवं 09-10 नवम्बर 2019 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है.

(2) श्री रामाश्रय चौबे, भापुसे के अवकाश अवधि में इनका चालू कार्य श्री एम. एल. छारी, भापुसे, पुलिस अधीक्षक, होशंगाबाद द्वारा अपने कार्य के साथ संपादित किया जावेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री रामाश्रय चौबे, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस उप महानिरीक्षक, होशंगाबाद रेन्ज होशंगाबाद के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री रामाश्रय चौबे, भापुसे द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कण्डिका (2) में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री रामाश्रय चौबे, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री रामाश्रय चौबे, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
श्रीदास, अवर सचिव.

भोपाल, दिनांक 23 नवम्बर 2019

क्र. एफ-1(ए)28-2016-ब-2-दो.—राज्य शासन, द्वारा श्री साईं कृष्ण एस. थोटा, भापुसे, सहा. पुलिस महानिरीक्षक, प्रशासन, पुलिस मुख्यालय, भोपाल को खण्डवर्ष 2018-21 के प्रथम विस्तार वर्ष में दिनांक 23 दिसम्बर 2019 से 4 जनवरी 2020 तक, कुल तेरह दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 22 दिसम्बर 2019 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवकाश अवधि में अकेले जौबरी (सिक्किम) की भ्रमण यात्रा की अवकाश यात्रा सुविधा अन्तर्गत स्वीकृति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री साईं कृष्ण एस. थोटा, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सहा. पुलिस महानिरीक्षक, प्रशासन, पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री साईं कृष्ण एस. थोटा, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री साईं कृष्ण एस. थोटा, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

क्र. एफ-1 (ए) 72-2017-ब-2-दो.—राज्य शासन द्वारा श्रीमती निवेदिता गुप्ता, भापुसे, अति. पुलिस अधीक्षक, ग्वालियर को दिनांक 18 सितम्बर से 16 दिसम्बर 2019 तक, नब्बे दिवस मातृत्व अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती निवेदिता गुप्ता, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अति. पुलिस अधीक्षक, ग्वालियर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्रीमती निवेदिता गुप्ता, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती निवेदिता गुप्ता, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाती तो अपने पद पर बनी रहतीं.

क्र. एफ-1(ए)185-1991-ब-2-दो.—राज्य शासन, द्वारा श्री गोविन्द प्रताप सिंह, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, (रा.अ.अ.ब्यूरो), पुलिस मुख्यालय, भोपाल को दिनांक 11 से 15 नवम्बर 2019 तक, पांच दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 09-10 नवम्बर 2019 व 16-17 नवम्बर 2019 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(2) श्री गोविन्द प्रताप सिंह, भापुसे के अवकाश अवधि में इनका चालू कार्य श्री योगेश चौधरी, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक (एस.सी.आर.बी.), पुलिस मुख्यालय, भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ संपादित किया जावेगा।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री गोविन्द प्रताप सिंह, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अति. पुलिस महानिदेशक, (रा.अ.अ.ब्यूरो), पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री गोविन्द प्रताप सिंह द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कण्डिका (2) में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री गोविन्द प्रताप सिंह, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री गोविन्द प्रताप सिंह, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

भोपाल, दिनांक 25 नवम्बर 2019

क्र. एफ-1(ए)14-2017-ब-2-दो.—राज्य शासन, श्री बीरेन्द्र कुमार सिंह, भापुसे, पुलिस अधीक्षक, पीटीएस, उज्जैन को खण्डवर्ष 2018-21 के प्रथम विस्तार वर्ष में दिनांक 9 से 18 दिसम्बर 2019 तक, कुल दस दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 08 दिसम्बर 2019 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ भारत भ्रमण अंतर्गत उक्त अवकाश अवधि में परिवार सहित चेन्नई, पोर्टब्लेयर की भ्रमण यात्रा पर जाने हेतु अवकाश यात्रा सुविधा अन्तर्गत परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ एवं 10 दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है:—

1.	श्री बीरेन्द्र कुमार सिंह	—	स्वयं
2.	श्रीमती राशि सिंह	—	पत्नी
3.	कु. कृति सिंह	—	पुत्री
4.	कु. स्तुति सिंह	—	पुत्री

(2) उक्त अवकाश अवधि में श्री बीरेन्द्र कुमार सिंह, भापुसे का चालू कार्य सेनानी, 32वीं वाहिनी, विसबल, उज्जैन द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ संपादित किया जायेगा।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री बीरेन्द्र कुमार सिंह, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस अधीक्षक, पीटीएस, उज्जैन के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री बीरेन्द्र कुमार सिंह, भापुसे के कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कण्डिका (2) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री बीरेन्द्र कुमार सिंह, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री बीरेन्द्र कुमार सिंह, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

भोपाल, दिनांक 26 नवम्बर 2019

क्र. एफ-1(ए)101-2008-ब-2-दो.—राज्य शासन, श्री सुरेन्द्र पाल सिंह, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, शहडोल जोन, शहडोल को खण्डवर्ष 2018-21 के प्रथम विस्तार वर्ष में दिनांक 2 से 11 दिसम्बर 2019 तक, कुल दस दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 1 दिसम्बर 2019 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ भारत भ्रमण अन्तर्गत उक्त अवकाश अवधि में परिवार सहित कन्याकुमारी (तमिलनाडू) की भ्रमण यात्रा पर जाने हेतु अवकाश यात्रा सुविधा अन्तर्गत परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ एवं दस दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है:—

1.	श्री सुरेन्द्र पाल सिंह	—	स्वयं
2.	श्रीमती अनूजा सिंह	—	पत्नी
3.	श्री मोहित सिंह	—	पुत्र
4.	कु. पल्लवी सिंह	—	पुत्री

(2) उक्त अवकाश अवधि में श्री सुरेन्द्र पाल सिंह, भापुसे का चालू कार्य श्री पी. एस. उडके, भापुसे, पुलिस उप महानिरीक्षक, शहडोल रेन्ज, शहडोल द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ संपादित किया जायेगा।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री सुरेन्द्र पाल सिंह, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक, शहडोल जोन, शहडोल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री सुरेन्द्र पाल सिंह, भापुसे के कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कण्डिका (2) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री सुरेन्द्र पाल सिंह, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सुरेन्द्र पाल सिंह, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

क्र. एफ-1 (ए) 157-1993-ब-2-दो.—राज्य शासन द्वारा श्री जी. जनार्दन, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक/निदेशक, जवाहरलाल नेहरू पुलिस अकादमी, सागर को दिनांक 25 नवम्बर से 7 दिसम्बर 2019 तक, तेरह दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 24 नम्बर 2019 व 08 दिसम्बर 2019 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है.

(2) श्री जी. जनार्दन, भापुसे, के अवकाश अवधि में इनका चालू कार्य श्री विवेकराज सिंह, भापुसे, उप निदेशक/पुलिस अधीक्षक, जेएनपीए, सागर द्वारा अपने कार्य के साथ सम्पादित किया जावेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री जी. जनार्दन, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अति. पुलिस महानिदेशक/निदेशक, जवाहरलाल नेहरू पुलिस अकादमी, सागर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री जी. जनार्दन, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री जी. जनार्दन, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री जी. जनार्दन उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

भोपाल, दिनांक 28 नवम्बर 2019

क्र. एफ-1-71-2019-ब-2-दो.—राज्य शासन, एतद्वारा, श्री मुकेश जैन, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, (सुरक्षा एवं समन्वय) मध्यप्रदेश भवन, नई दिल्ली को दिनांक 7 से 13 दिसम्बर 2019 तक, सात दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 14-15 दिसम्बर 2019 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवकाश अवधि में परिवार सहित सिंगापुर/इण्डोनेशिया भ्रमण हेतु निजी विदेश यात्रा (Ex-India Leave) की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान करता है :—

1. विदेश में स्वास्थ्य/चिकित्सा आदि पर होने वाला किसी भी प्रकार का व्यय राज्य शासन द्वारा वहन नहीं किया जावेगा.
2. विदेश में शासकीय अथवा किसी निजी संस्था का आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे.
3. विदेश में कोई Assignment नहीं लेंगे.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री मुकेश जैन, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से, अति. पुलिस महानिदेशक, (सुरक्षा एवं समन्वय) मध्यप्रदेश भवन, नई दिल्ली के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री मुकेश जैन को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मुकेश जैन, भापुसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ऊषा परमार, उपसचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 28 नवम्बर 2019

फा. क्र. 6393-2019-इक्कीस-ब (एक) (मेरिट क्रमांक 129).— राज्य शासन, सुश्री शबाना खान पुत्री श्री मो. खलील खान को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला सिवनी (मध्यप्रदेश) है. उसकी जन्मतिथि 2 जनवरी 1988 है.

फा. क्र. 6387-2019-इक्कीस-ब (एक) (मेरिट क्रमांक 132).— राज्य शासन, सुश्री सोनम डेहरिया पुत्री श्री जगन्नाथ डेहरिया को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला बैतूल (मध्यप्रदेश) है. उसकी जन्मतिथि 5 जनवरी 1992 है.

फा. क्र. 6359-2019-इक्कीस-ब (एक) (मेरिट क्रमांक 138).— राज्य शासन, सुश्री अंकिता प्लास पुत्री श्री राजकुमार प्लास को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला नीमच (मध्यप्रदेश) है. उसकी जन्मतिथि 2 सितम्बर 1989 है.

भोपाल, दिनांक 29 नवम्बर 2019

फा. क्र. 5652-2019-इक्कीस-ब (एक) (मेरिट क्रमांक 83).— राज्य शासन, सुश्री नेहा प्रजापति पुत्री श्री मिरा कुम्हार को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला सतना (मध्यप्रदेश) है. उसकी जन्मतिथि 08 दिसम्बर 1993 है.

फा. क्र. 6409-2019-इक्कीस-ब (एक) (मेरिट क्रमांक 92).— राज्य शासन, श्री बृजेश कुमार राजपूत पुत्र श्री सिरनाम को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला दतिया (मध्यप्रदेश) है. उसकी जन्मतिथि 20 अक्टूबर 1990 है.

फा. क्र. 6331-2019-इक्कीस-ब (एक) (मेरिट क्रमांक 118).— राज्य शासन, श्री शुभाषु ताम्रकार पुत्र स्व. श्री शिवकुमार ताम्रकार को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला सतना (मध्यप्रदेश) है. उसकी जन्मतिथि 13 अगस्त 1995 है.

फा. क्र. 6419-2019-इक्कीस-ब (एक) (मेरिट क्रमांक 119).— राज्य शासन, श्रीमती नूतन रावते पत्नी श्री कुंभराज रावते को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला बालाघाट (मध्यप्रदेश) है. उसकी जन्मतिथि 10 फरवरी 1981 है.

फा. क्र. 6456-2019-इक्कीस-ब (एक) (मेरिट क्रमांक 157).— राज्य शासन, श्री विवेक माल पुत्र श्री फ्रांसिस माल को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला झाबुआ (मध्यप्रदेश) है. उसकी जन्मतिथि 22 मार्च 1988 है.

भोपाल, दिनांक 5 दिसम्बर 2019

फा. क्र. 6464-2019-इक्कीस-ब (एक) (मेरिट क्रमांक 60).— राज्य शासन, श्री विशद गुप्ता पुत्र श्री अतुल कुमार गुप्ता को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला गाज़ियाबाद (उत्तरप्रदेश) है. उसकी जन्मतिथि 26 सितम्बर 1994 है.

फा. क्र. 6325-2019-इक्कीस-ब (एक) (मेरिट क्रमांक 73).— राज्य शासन, श्री निखिल सिंघई पुत्र श्री दिनेश सिंघई को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला रायपुर (छत्तीसगढ़) है. उसकी जन्मतिथि 1 मार्च 1994 है.

फा. क्र. 6503-2019-इक्कीस-ब (एक) (मेरिट क्रमांक 102).— राज्य शासन, सुश्री दिशा यादव पुत्री श्री यशबीर सिंह यादव को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला भोपाल (मध्यप्रदेश) है. उसकी जन्मतिथि 30 मार्च 1995 है.

फा. क्र. 6301-2019-इक्कीस-ब (एक) (मेरिट क्रमांक 103).— राज्य शासन, सुश्री नीलम खटाना पुत्री श्री सिद्धनाथ सिंह खटाना को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है।

अभ्यर्थी का गृह जिला शाजापुर (मध्यप्रदेश) है. उसकी जन्मतिथि 10 जून 1990 है.

फा. क्र. 6501-2019-इक्कीस-ब (एक) (मेरिट क्रमांक 110).— राज्य शासन, श्री अनिरुद्ध कुमार उचाडिया पुत्र श्री रितुराज बसंत कुमार को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है।

अभ्यर्थी का गृह जिला शिवपुरी (मध्यप्रदेश) है. उसकी जन्मतिथि 15 जुलाई 1992 है.

फा. क्र. 6423-2019-इक्कीस-ब (एक) (मेरिट क्रमांक 122).— राज्य शासन, श्री सुधि रंजन बागरी पुत्र श्री राजमणि बागरी को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है।

अभ्यर्थी का गृह जिला कटनी (मध्यप्रदेश) है. उसकी जन्मतिथि 20 फरवरी 1996 है.

फा. क्र. 6602-2019-इक्कीस-ब (एक) (मेरिट क्रमांक 125).— राज्य शासन, सुश्री श्वेता चौहान पुत्री श्री संतोष चौहान को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है।

अभ्यर्थी का गृह जिला इन्दौर (मध्यप्रदेश) है. उसकी जन्मतिथि 31 मार्च 1996 है.

फा. क्र. 6498-2019-इक्कीस-ब (एक) (मेरिट क्रमांक 127).— राज्य शासन, श्री भरत दीप चौरसिया पुत्र स्व. श्री अरूण कुमार चौरसिया को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है।

से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला छतरपुर (मध्यप्रदेश) है. उसकी जन्मतिथि 15 जून 1989 है.

फा. क्र. 6554-2019-इक्कीस-ब (एक) (मेरिट क्रमांक 128).— राज्य शासन, सुश्री उर्वशी यादव पुत्री श्री किशोर यादव को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला इन्दौर (मध्यप्रदेश) है. उसकी जन्मतिथि 29 जनवरी 1992 है.

फा. क्र. 6565-2019-इक्कीस-ब (एक) (मेरिट क्रमांक 130).— राज्य शासन, सुश्री राजेश्वरी जर्मन पुत्री श्री हरेसिंह जर्मन को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला धार (मध्यप्रदेश) है. उसकी जन्मतिथि 01 जुलाई 1996 है.

फा. क्र. 6390-2019-इक्कीस-ब (एक) (मेरिट क्रमांक 140).— राज्य शासन, श्री राहुल डोंगरे पुत्र श्री श्याम देव डोंगरे को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला बालाघाट (मध्यप्रदेश) है. उसकी जन्मतिथि 14 नवम्बर 1987 है.

फा. क्र. 6466-2019-इक्कीस-ब (एक) (मेरिट क्रमांक 150).— राज्य शासन, सुश्री सुरभि सिंह सुमन पुत्री श्री चन्द्र पाल सिंह सुमन को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला झाबुआ (मध्यप्रदेश) है. उसकी जन्मतिथि 11 अगस्त 1983 है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सत्येन्द्र कुमार सिंह, प्रमुख सचिव.

नगरीय विकास एवं आवास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 2 दिसम्बर 2019

अधि. क्र. 30-एफ-1-36-2019-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 19 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा, निम्नलिखित नगरपालिका परिषद् आष्टा, जिला सीहोर में उनके नाम के सामने अंकित व्यक्तियों को वर्तमान परिषद् के सहविस्तारी कार्यकाल या राज्य शासन के अन्य आदेश तक, जो भी पहले हो तक, एल्डरमेन के रूप में नामनिर्दिष्ट करता है:—

स. क्र.	जिले का नाम	क्र.	नगरपालिका परिषद् का नाम	क्र.	नामनिर्दिष्ट व्यक्ति का नाम, पिता/पति का नाम व पता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	सीहोर	1	आष्टा	1	श्री प्रदीप जैन पिता स्व. श्री बाबूलाल जैन, पता-प्रगति गली, आष्टा, जिला सीहोर.
				2	श्री शैलेश राठौर पिता श्री हुकुमचंद राठौर, पता-बुधवारा, आष्टा, जिला सीहोर.
				3	श्री नोशे खॉ पिता श्री दिलावर खॉ, पता-पुलिस चौकी के पीछे, सिकन्दर बाजार, आष्टा, जिला सीहोर.
				4	श्रीमती रेखा बनवट पति श्री राजेश बनवट, पता-मानस भवन के सामने, गंज आष्टा, जिला-सीहोर.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजीव निगम, उपसचिव.

चिकित्सा शिक्षा विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 30 नवम्बर 2019

क्र. एफ-5-43-2019-1-पचपन.—मध्यप्रदेश सह-चिकित्सीय परिषद् अधिनियम, 2009 (क्रमांक 1 सन् 2001) की धारा 49 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा उक्त अधिनियम की अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन करती है, जो इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 5-69-2000-पचपन-एम.ई., दिनांक 30 अक्टूबर, 2002 द्वारा प्रकाशित की जा चुकी है:—

संशोधन

मध्यप्रदेश सह-चिकित्सीय परिषद् अधिनियम, 2002 में अधिसूचना को अनुसूची में स. क्र. 30 पर संशोधन उपरान्त निम्नानुसार पढ़ा जावे, अर्थात्:—

“30. पी. जी. डिप्लोमा इन परफ्यूजन टेक्नालॉजी”.

F. No. 5-43-2019-1-LV.—In exercise of the power conferred by Section 49 of the Madhya Pradesh Sah-Chikitsiy Parishad Adhiniyam, 2000 (No. 1 of 2001), the State Government here by makes the following amendment in the schedule of the said published *vide* this Department's Notification No. 5-69-2000-LV-ME-1, dated 30th October 2002, namely:—

AMENDMENT

Notification to serial number 30 in the Schedule of Madhya Pradesh Para Medical Council Act, 2009 should be read as follows after the amendment, i.e.

“30. PG Diploma in Perfusion Technology”.

भोपाल, दिनांक 6 दिसम्बर 2019

डेंटिस्ट एक्ट, 1948 की धारा 3 (a) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश राज्य दंत परिषद् का चुनाव

क्र. एफ-2-32-2019-पचपन-1.—डेंटल काउंसिल (चुनाव) नियमन, 1952 के उपनियम 10(2) में उल्लेखित प्रावधान के तहत डेंटिस्ट एक्ट, 1948 की धारा 3 (a) की चुनाव प्रक्रिया से डॉ. सुरेन्द्र अग्रवाल, पंजीयन क्रमांक ए-475 ने अपना नामांकन पत्र दिनांक 16 नवम्बर 2019 को वापिस लिया है।

Madhya Pradesh Dental Council election under Section 3(a) of the Dentists Act, 1948

No. F.2-32-2019-LV-1.—Under the provision of sub-rule 10(2) of the Dental Council (Election) Regulations 1952, Dr. Surendra Agrawal, registration No. A-475 has withdrawn his candidature from the election under Section 3(a) of the Dentists Act, 1948.

डेंटिस्ट एक्ट, 1948 की धारा 3 (a) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश राज्य दंत परिषद् का चुनाव

क्र. एफ-2-32-2019-पचपन-1.—डेंटल काउंसिल (चुनाव) नियमन, 1952 के उपनियम 11(2) में उल्लेखित प्रावधान के तहत डेंटिस्ट एक्ट, 1948 की धारा 3 (a) के अन्तर्गत राज्य दंत रजिस्टर भाग ए में पंजीकृत एक दंत चिकित्सक को भारतीय दंत परिषद् में निर्वाचित प्रतिनिधि के रूप में भेजने हेतु दिनांक 12 दिसम्बर 2019 को सम्पन्न होने वाले चुनाव में निम्नलिखित दंत चिकित्सक अधिकृत उम्मीदवार होंगे।

अनुक्रमांक (1)	दंत चिकित्सक का नाम (2)	पंजीयन क्रमांक (3)	पता (4)
1	डॉ. चन्द्रेश शुक्ला	A-1148	3ए, साकेत नगर, दुर्गा माता मंदिर के पास, बी.एस.एस. कॉलेज रोड, भोपाल (म. प्र.).
2	डॉ. देशराज जैन	A-276	125, शांति निकेतन कॉलोनी, बॉम्बे हॉस्पिटल के पास, इन्दौर (म. प्र.).

Madhya Pradesh Dental Council election under Section 3(a) of the Dentists Act, 1948

No. F.2-32-2019-LV-1.—Under the provision of sub-rule 11(2) of the Dental Council (Election) Regulations 1952, the following dentists registered in Part A will be the authorized candidates for contesting election for one member for Dental Council of India scheduled to be held on 12th December 2019 under Section 3(a) of the Dentists Act, 1948:—

S. No. (1)	Name of the Dentist (2)	Registration No. (3)	Address (4)
1	Dr. Chandresh Kumar Shukla	A-1148	3A-Saket Nagar, Near Durga Mata Mandir, BSS College Road, Bhopal (M. P.).
2	Dr. Deshraj Jain	A-276	125, Shanti Niketan Colony, Near Bombay Hospital, Indore (M. P.)

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सोमेश मिश्र, उपसचिव.

राजस्व विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 7 दिसम्बर 2019

क्र. एफ. 1-5-2019-सात-शा.7.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 13 की उपधारा (2) के परन्तुक में निहित उपबंधों के अनुसरण में, एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि उपरोक्त धारा की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, राजगढ़ जिले की तहसील जीरापुर तहसील से नवीन तहसील माचलपुर सृजित करने हेतु निम्न अनुसूची के कॉलम (5) में उल्लेख किये गये अनुसार वर्तमान तहसील जीरापुर, जिला राजगढ़ की सीमाओं को परिवर्तित करने, कॉलम (2) में दर्शाई तहसील को कॉलम (4) में दर्शाये उसके नाम के मुख्यालय से उसकी स्थापना करने तथा उक्त अनुसूची के कॉलम (6) में उल्लेखित किये अनुसार तहसील की सीमाएं निर्धारित करने का प्रस्ताव करता है।

2. "मध्यप्रदेश राजपत्र" में इस सूचना के प्रकाशन होने के दिनांक से 30 दिन समाप्त होने पर विचार किया जायेगा तथा इस संबंध में कोई भी आपत्तियां या सुझाव उक्त कालावधि की समाप्ति के पूर्व प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग को लिखित रूप में प्रेषित किये जा सकेंगे :—

अनुसूची

क्र.	विद्यमान तहसील का नाम तथा उसका मुख्यालय	प्रस्तावित परिवर्तन के पश्चात् तहसील में सम्मिलित किये जाने वाले या उससे अपवर्जित किये जाने वाले क्षेत्रों का विवरण	प्रस्तावित परिवर्तन के पश्चात् तहसील एवं उसके मुख्यालय का नाम	प्रस्तावित परिवर्तन के पश्चात् तहसील में समाविष्ट किये गये क्षेत्रों के विवरण	प्रस्तावित परिवर्तनों के पश्चात् तहसील की सीमाएं	अभियुक्तियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	जीरापुर मुख्यालय जीरापुर	वर्तमान तहसील जीरापुर के राजस्व निरीक्षक मण्डल माचलपुर के पटवारी हल्का क्रमांक 1 से 49 तक, कुल पटवारी हल्के 49 तथा कुल ग्राम 122 अपवर्जित होंगे।	जीरापुर मुख्यालय जीरापुर	तहसील जीरापुर में राजस्व निरीक्षक मण्डल जीरापुर के पटवारी हल्का क्रमांक 50 से 89 तक, कुल पटवारी हल्के 49 तथा 100 ग्राम समाविष्ट होंगे।	1. उत्तर में तहसील माचलपुर 2. दक्षिण में तहसील खिलचीपुर. 3. पश्चिम में तहसील सुसनेर जिला आगर मालवा. 4. पूर्व में तहसील खिलचीपुर	
2.	—	—	माचलपुर मुख्यालय माचलपुर	वर्तमान तहसील जीरापुर के राजस्व निरीक्षक मण्डल माचलपुर के पटवारी हल्का क्रमांक 1 से 49 तक, कुल 49 पटवारी हल्के तथा कुल 122 ग्राम समाविष्ट होंगे।	5. उत्तर में तहसील खानपुरा राजस्थान. 6. दक्षिण में तहसील जीरापुर 7. पश्चिम में तहसील सुसनेर जिला आगर मालवा. 8. पूर्व में तहसील खिलचीपुर	
3.						

प्रस्तावित परिवर्तन यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से किया जा रहा है ताकि क्षेत्र का प्रशासन समुचित एवं प्रभावी रूप से किया जा सके।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. व्ही. रश्मि, अपर सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश
संचालनालय, किसान कल्याण तथा कृषि विकास
मध्यप्रदेश भोपाल

क्र. गन्ना-एस-3-क्षे.आर.राजराजेश्वरी-2019-20-850

भोपाल, दिनांक 26 नवम्बर 2019

मध्यप्रदेश गन्ना (प्रदाय एवं कय नियमन) अधिनियम, 1958 की धारा 15 एवं 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये मैं मुकेश कुमार शुक्ल, गन्ना आयुक्त, मध्यप्रदेश भोपाल, गन्ना पैराई मौसम वर्ष 2019-20 हेतु राजराजेश्वरी शुगर मिल प्रा.लि., मोहपानी, गाडरवारा, जिला- नरसिंहपुर (म. प्र.) के लिये नीचे दर्शाये केन्द्रो एवं उनके अंतर्गत आने वाले ग्रामों के सम्मुख उल्लेखित गन्ना क्षेत्रों को रक्षित घोषित करता हूँ :-

क.	जिला/तहसील	कय केन्द्र	ग्रामों की संख्या	क्षेत्र (हेक्टेयर में)
1	नरसिंहपुर/गाडरवाड़ा	फैक्ट्री गेट	53	5170
	कुल		53	5170

उपरोक्त गन्ना खरीदी केन्द्रों के अंतर्गत जो ग्राम सम्मिलित किये गये है, उनकी सूची संलग्न है। यह आदेश जब तक इस हेतु समयपरिवर्तन अथवा अपरिवर्तन आदेश से प्रसारित नहीं किये जाते तब तक पैराई कार्य में प्रभावशील रहेगा।

मुकेश कुमार शुक्ल, गन्ना आयुक्त.

Season -2019-2020

S.No	Vill Code	Village Name	Distance	No of Farmer	Ropa		Tir		Jadi		Total Cane Area in (Hect)	Total Production
					Cane Area in (Hect)	Prod.	Cane Area in (Hect)	Prod.	Cane Area in (Hect)	Prod.		
1	101	KANARGAON	17	113	44	8800	70	8400	59	10620	173	86500
2	102	MEHEGAWA KHURD	15	38	13	2600	16	1920	15	2700	44	22000
3	103	MEHEGAWA KALAN	21	64	30	6000	35	4200	27	4860	92	46000
4	104	DIGHORI	14	44	21	4200	40	4800	40	7200	101	50500
5	105	THALWADA	9	79	41	8200	49	5880	66	11880	156	78000
6	106	SUDRAS	13	14	8	1600	12	1440	10	1800	30	15000
7	107	SUDRAS KHERI	13	37	36	7200	41	4920	39	7020	116	58000
8	109	GHORPUR	19	43	22	4400	30	3600	28	5040	80	40000
9	110	MAGARMOHA	14	65	52	10400	58	6960	54	9720	164	82000
10	111	DEHALWADA	11	92	48	9600	54	6480	63	11340	165	82500
11	201	SEERGAON	16	23	19	3800	24	2880	20	3600	63	31500
12	202	GOLGAON KALAN	17	18	20	4000	26	3120	34	6120	80	40000
13	203	GOLGAON KHURD	13	17	12	2400	6	720	14	2520	32	16000
14	204	HMALIYA	16	139	30	6000	51	6120	38	10440	139	69500
15	205	PIPARIYA	17	99	25	5000	36	4320	34	6120	95	47500
16	206	DHURSARA	17	24	15	3000	14	1680	10	1800	39	19500
17	208	KATHOTIYA	20	121	58	11600	55	6600	52	9360	165	82500
18	209	BAREILLY	18	82	33	4600	32	3840	56	10080	131	65500
19	210	JAMADA	26	34	22	4400	12	1440	14	2520	48	24000
20	211	BRUKHEDA	25	20	25	5000	18	2160	20	3600	63	31500
21	212	CHARGAON KALAN	10	90	89	17800	50	6000	104	18720	243	121500
22	213	UKASGHAT	19	22	18	3600	18	2160	17	3060	53	26500
23	214	BHAIWKA	19	27	25	5000	27	3240	26	4680	78	39000
24	215	BAGLAI	12	93	55	11000	33	3960	83	14940	171	85500
25	301	SINGHPUR	11	253	127	25400	142	17040	203	36540	472	236000
26	302	ADEGAON	10	191	100	20000	113	13560	164	20520	377	188500
27	303	SHARHA	16	37	23	4600	19	2280	39	7020	81	40500
28	304	IKLONI	9	22	22	4400	11	1320	11	1980	44	22000
29	305	DHANA	16	43	32	6400	25	3000	34	6120	91	45500
30	306	DEVRI	18	22	12	2400	10	1200	12	2160	34	17000
31	308	MORPANI	1	15	7	1400	7	840	10	1800	24	12000
32	310	MANEGAON	9	3	4	800	1	120	2	360	7	3500

Season -2019-2020

S.No	Vill Code	Village Name	Distance	No of Farmer	Ropa		Tiri		Jadi		Total Cane Area in (Hect)	Total Production
					Cane Area in (Hect)	Prod.	Cane Area in (Hect)	Prod.	Cane Area in (Hect)	Prod.		
33	311	PUWARIYA	5	91	48	9600	53	6360	79	14220	180	90000
34	312	CHARGAON KHURD	3	35	18	3600	20	2400	20	3600	58	29000
35	314	MALANWADA	8	2	4	800	1	120	2	360	7	3500
36	401	HERAPUR	20	171	115	23000	105	12600	122	21960	342	171000
37	402	CHENAKACHAR	12	89	44	8800	48	5760	66	11880	158	79000
38	403	BADARBARU	10	36	12	2400	8	960	11	1980	31	15500
39	404	RAIPUR	18	119	23	4600	32	3840	41	7380	96	48000
40	405	CHICHLI	10	38	9	1800	11	1320	12	2160	32	16000
41	406	KHALA	30	4	4	800	2	240	3	540	9	4500
42	407	CHANDANKHEDA	20	74	32	6400	47	5640	51	9180	130	65000
43	408	PAPRA	31	6	5	1000	4	480	2	360	11	5500
44	409	SESHADAWAR	33	19	6	1200	6	720	10	1800	22	11000
45	410	CHORBARHETA	14	29	8	1600	13	1560	16	2880	37	18500
46	411	DONGARGAON	18	53	19	3800	35	4200	37	6660	91	45500
47	412	GANGAI	13	56	23	4600	27	3240	37	6660	87	43500
48	413	PREMPUR	31	15	4	800	7	840	7	1260	18	9000
49	414	KUDARI	18	16	10	2000	9	1080	11	1980	30	15000
50	415	DANGAHA	25	27	12	2400	14	1680	18	3240	44	22000
51	501	TENDUKHEDA	1	80	36	7200	50	6000	51	9180	137	68500
52	502	MAU	3	115	54	10800	75	9000	68	12240	197	98500
53	503	KOTHIYA	8	22	25	5000	30	3600	18	3240	73	36500
54	504	UKARI	15	8	13	2600	1	120	6	1080	20	10000
55	505	KIRAHKOTA	8	33	10	2000	30	3600	29	5220	69	34500
56	506	BABAKUDI	12	33	20	4000	27	3240	28	5040	75	37500
57	507	DONGRA KHOH	9	47	32	6400	28	3360	36	6480	96	48000
58	508	RATIKARAR	4	12	9	1800	9	1080	8	1440	26	13000
59	509	GHAGHRAULA	3	46	31	6200	30	3600	30	5400	91	45500
60	510	SUKHAKHARI	7	254	136	27200	87	10440	224	40320	447	223500
61	511	PATKUHI		8	9	1800	2	240	5	900	16	8000
62	512	NONIYA	9	6	4	800	1	120	10	1800	15	7500
Zone Total					1833	370600	1987	233040	2476	445680	6296	314500

Asstt. Director Agriculture Cane
 5170
 2000 = 6206
 40140
 485820
 6815
 3407500

संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश
ई-5, अरेरा कालोनी, पर्यावरण परिसर, भोपाल, मध्यप्रदेश

क्र. 7135-वि.यो.-नग्राणि-2019

भोपाल, दिनांक 30 नवम्बर 2019

इन्दौर विकास योजना 2021 में प्रस्तावित उपांतरण की सूचना।

एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि इन्दौर विकास योजना 2021 में उपांतरण का प्रारूप मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 23 सहपठित धारा 18 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार निम्नानुसार प्रकाशित किया गया है। जिसकी प्रति निरीक्षण के लिये निम्न कार्यालयों में उपलब्ध है : -

1. आयुक्त इन्दौर, संभाग इन्दौर
2. कलेक्टर इन्दौर, जिला इन्दौर
3. संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय इन्दौर म.प्र.
4. आयुक्त नगर पालिक निगम, इन्दौर

प्रस्तावित उपांतरणों का विवरण.

अध्याय 6

1. 6.7.2 आवासीय भूखण्डों के विकास हेतु नियोजन मापदण्ड भूखण्डीय विकास एवं समूह आवास/अपार्टमेंट विकास हेतु विभाग के आदेश क्रमांक एफ-3-35-बत्तीय-1 दिनांक 15/07/2010 एवं समसंख्यक आदेश दिनांक 23/12/2010 द्वारा निर्धारित भूमि के आकार संबंधी मापदण्ड लागू होंगे तथा यह प्रावधान प्रस्तावित आवासीय क्षेत्र पर लागू होगा। आवासीय भूमि के विकास हेतु नियोजन मापदण्ड सारणी क्रमांक 6.02 से नियंत्रित होंगे।

उपरोक्त को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है।

6.7.2 म.प्र. शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग, मंत्रालय भोपाल के ज्ञाप क्रमांक एफ-23/35/07/32-1 दिनांक 15/10/2019 अनुसार निर्धारित मापदण्ड लागू होंगे।

2. 6.11.4 फ्लेटेड फेक्ट्रीज

अधिकतम निर्मित क्षेत्र तथा एफ.ए.आर. क्रमशः 50 प्रतिशत तथा 1:1.5 रहेंगे।

उपरोक्त को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है।

6.11.4 - विलोपित

3 6.15.2 क्षेत्रीय/नगर उद्यान

क्षेत्रीय/नगर उद्यानों के संरक्षण एवं रख रखाव की दृष्टि से सारणी क्रमांक 6.22 में दर्शित गतिविधियां इन उद्यानों में सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकार्य होगी।

उक्त गतिविधियों के कुल क्षेत्र के 5 प्रतिशत क्षेत्र में पक्के निर्माण के साथ स्वीकार्य होगी तथा अधिकतम स्वीकार्य एफ.ए.आर. 1:0.05 होगा।

उपरोक्त गतिविधियां ऐसे क्षेत्रीय/नगर उद्यानों में ही मान्य होगी, जिनका क्षेत्रफल 15 हेक्टर अथवा उससे अधिक हो एवं इन गतिविधियों की अधिकतम ऊंचाई 7.5 मीटर मान्य होगी।

उपरोक्त को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है।

6.15.2 क्षेत्रीय/नगर उद्यान

क्षेत्रीय/नगर उद्यानों के संरक्षण एवं रख रखाव की दृष्टि से सारणी क्रमांक 6.22 में दर्शित गतिविधियां इन उद्यानों में सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकार्य होगी।

उक्त गतिविधियों के कुल क्षेत्र के 5 प्रतिशत क्षेत्र में पक्के निर्माण के साथ स्वीकार्य होगी तथा अधिकतम स्वीकार्य एफ.ए.आर. 1:0.05 होगा।

उपरोक्त गतिविधियां (सारणी 6.22 में दर्शित कॉलम 1 के सरल क्रमांक 9, 30, 72, 75, 83, 84, 98, 99, 100, 101, 103, 104, 105, तथा 108 को छोड़कर) ऐसे क्षेत्रीय/नगर उद्यानों में ही मान्य होगी, जिनका क्षेत्रफल 15 हेक्टर अथवा उससे अधिक हो एवं इन गतिविधियों की अधिकतम ऊंचाई 7.5 मीटर मान्य होगी।

4 6.20.3 अन्य गतिविधियों हेतु नियमन

(ब) मांगलिक भवन/कल्याण मंडपम/बारात घर/सामुदायिक भवन 6.20.4

उपरोक्त को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है।

(ब) मांगलिक भवन/कल्याण मंडपम/बारात घर

प्रस्तावित उपांतरण के ब्यौरे सूचना प्रकाशन की तिथि से 30 दिन की समयावधि के लिये आम जनता के निरीक्षण हेतु www.mptownplan.gov.in बेवसाईट पर भी उपलब्ध होंगे। यदि कोई आपत्ति या सुझाव प्रारूप उपांतरण के संबंध में हो, उसे लिखित में कार्यालयीन समय में नगर तथा ग्राम निवेश के उपरोक्त वर्णित जिला कार्यालय में "मध्य प्रदेश राजपत्र" में सूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन की अवधि का अवसान होने के पूर्व सम्यक विचार हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है।

क्र. 7145-वि.यो.-नग्रानि-2019

ग्वालियर विकास योजना 2021 में प्रस्तावित उपांतरण की सूचना।

एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि ग्वालियर विकास योजना 2021 में उपांतरण का प्रारूप मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 23 सहपठित धारा 18 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार निम्नानुसार प्रकाशित किया गया है। जिसकी प्रति निरीक्षण के लिये निम्न कार्यालयों में उपलब्ध है :-

1. आयुक्त ग्वालियर, संभाग ग्वालियर
2. कलेक्टर ग्वालियर, जिला ग्वालियर
3. संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय ग्वालियर म.प्र.
4. आयुक्त नगर पालिक निगम, ग्वालियर

प्रस्तावित उपांतरणों का विवरण

क. विकास योजना का प्रावधान जिसे उपांतरित किया जाना है एवं उपांतरित प्रावधान का विवरण

1 अध्याय-5

5.3.14 - नवीन प्रस्तावित आवासीय भूमि उपयोग में आवासीय कॉलोनियों की विकास अनुमति हेतु मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम की धारा 29 के अंतर्गत अनुमोदन हेतु स्वीकार्य किये जावेंगे। आवासीय भू-खण्ड हेतु न्यूनतम क्षेत्र 2.0 हेक्टेयर, समूह आवासीय योजना हेतु 0.10 हेक्टेयर मान्य होगा। यह बंधन ऐसी भूमि हेतु लागू नहीं होगा जो चारों ओर से विकसित तथा निर्मित है।

उपरोक्त निम्नानुसार प्रतिस्थापित की जाती है :

1 अध्याय-5

5.3.14 - विलोपित

प्रस्तावित उपांतरण के ब्यौरे सूचना प्रकाशन की तिथि से 30 दिन की समयावधि के लिये आम जनता के निरीक्षण हेतु www.mptownplan.gov.in वेबसाइट पर भी उपलब्ध होंगे। यदि कोई आपत्ति या सुझाव प्रारूप उपांतरण के संबंध में हो, उसे लिखित में कार्यालयीन समय में नगर तथा ग्राम निवेश के उपरोक्त वर्णित जिला कार्यालय में " मध्य प्रदेश राजपत्र" में सूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन की अवधि का अवसान होने के पूर्व सम्यक विचार हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है।

स्वतंत्र कुमार सिंह, संचालक.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्र. 37-अ-82-17-18-9309

सागर, दिनांक 19 नवम्बर 2019

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के जल संसाधन विभाग संभाग क्रमांक-2 सागर जिला सागर को सोनपुर मध्यम परियोजनांतर्गत मदनपुर माइनर नहर निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है। कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 सागर जिला सागर द्वारा प्रमाणित किया गया है कि परियोजना की पर्यावरण स्वीकृति हेतु प्रस्ताव क्रमांक-763/PS-MS/MPPCB/SEAC/Tor-RVP(139)/2013 Date 23/10/13 (प्रकरण क्रमांक-1716/2013) पंजीकृत किया जा चुका है। भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6(2) के परंतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बाबत, जहां पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है, वहां अधिनियम 2013 के सामाजिक समाघात निर्धारण से संबंधित उपबंध लागू नहीं होंगे। परियोजना के निर्माण से लगभग 7000 है। भूमि सिंचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:-

- (1) परियोजना का नाम : सोनपुर मध्यम परियोजनांतर्गत मदनपुर माइनर नहर निर्माण
 (2) भूमि का विवरण
 1. जिला : सागर
 2. तहसील : केसली
 3. ग्राम : मदनपुर
 4. पट.ह.नं.- : 21
 5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल : 2.200 है.

:: अनुसूची-1 ::

स. क्र.	अभिलिखित धारक का नाम व पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल कुल रकबा हेक्टे. में	अर्जित भूमि (रकबा हे.में)	भूमि का प्रकार
1	2	3	4	5	6	7
1	हरिशंकर, रमेशकुमार, नर्मदाप्रसाद, महेशप्रसाद, विष्णुप्रसाद पिता मानकलाल, रामरानी देवा मानकलाल साकिन समनापुर	भूमिस्वामी	15	0.760	0.020	
2	रामप्रसाद पिता दोलत सींग साकिन समनापुर	भूमिस्वामी	18/6	1.610	0.170	
3	भागीरथ वल्द रामा, रामवती पति भागीरथ साकिन देह अहस्तांतरणीय	भूमिस्वामी	78/2	0.500	0.060	
4	अजय सिंह पिता श्रीसिंह साकिन समनापुर	भूमिस्वामी भूमिस्वामी	97/2 99	1.000 0.410	0.160 0.030	
5	रगराज, मनोहर, हाकम, लखन, राजू, प्रताप पिता खिलान, भागवती, सविता पुत्री खिलान साकिन समनापुर	भूमिस्वामी	101/2	1.210	0.120	
6	कमलेशरानी जोजे बट्टीप्रसाद साकिन समनापुर	भूमिस्वामी	173	0.950	0.030	
7	परशुराम, मोहन पिता शिवप्रसाद साकिन डोमा	भूमिस्वामी	180/1	1.130	0.070	
8	लक्ष्मण सिंह वल्द वंशी साकिन डोमा	भूमिस्वामी	180/2	1.140	0.080	
9	तुलसीराम प्रताप पिता रतनसींग साकिन डोमा	भूमिस्वामी	185/4	0.320	0.070	
10	हरगोविन्द वल्द बहादुर साकिन डोमा	भूमिस्वामी	185/8	1.550	0.050	
11	अर्जुन सींग पिता पूरनसींग, शीलारानी देवा रामप्रसाद साकिन समनापुर	भूमिस्वामी	75/1	3.910	0.160	

12	राजेश, राकेश पिता कैलाश प्रसाद, ऊषा, अर्चना, साधना, आराधना पुत्री कैलाश प्रसाद, नन्हीबाई वेवा कैलाश प्रसाद साकिन केसली	भूमिस्वामी	75/3	0.800	0.050
13	मुन्ना, मर्दन, शंकर, भगवानसींग, छुट्टन पिता उमराई, सरोज, कल्लो, भूरी, पप्पी पुत्री उमराई साकिन मुरई	भूमिस्वामी	120	0.640	0.060
14	भूपेन्द्र सिंह, राजेन्द्र सिंह पिता रघुवीर सिंह, द्रोपतीबाई वेवा रघुवीर सिंह साकिन बेरसला	भूमिस्वामी	122/2	0.860	0.100
15	बखतसींग वल्द खूबसींग साकिन बेरसला	भूमिस्वामी	125/1	2.600	0.070
			124	1.460	0.180
16	उमराव पिता भूबसींग साकिन रामखेड़ी	भूमिस्वामी	123	2.650	0.240
17	छोटेलाल, भैयाजी, हीरालाल, प्रभूसिंह पिता सिंग्राम, खूबसींग वल्द टुण्डे साकिन डोमा	भूमिस्वामी	162	2.610	0.140
18	शिवदयाल पिता खूबसींग, रामगोपाल, रामदेवी नाबालिग पिता अशोक कुमार वली व खुद माँ सरोजरानी वेवा अशोक कुमार साकिन डोमा	भूमिस्वामी	163	1.870	0.140
19	बलराम पिता नन्हेलाल साकिन समनापुर	भूमिस्वामी	175	0.850	0.090
20	रामकिशोर, रामचरन पिता रतन, देवीसींग रमेश, छोटेभाई पिता भोला, ज्ञामसींग नाबालिग पिता भोला वली माँ व खुद सरोजरानी वेवा भोला, रजनी पुत्री भोला साकिन देह	भूमिस्वामी	121	0.620	0.110
योग:-				29.45	2.200

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ 16-15-(7)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है। अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) देवरी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 सागर जिला सागर प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्र.- एफ 16-15-(8)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29/10/14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। अतः प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे। इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) देवरी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 सागर जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) देवरी में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) देवरी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 07-अ-82-17-18-9579

सागर, दिनांक 20 नवम्बर 2019

भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन दिनांक (22.11.2017 एवं एक साल की समयवधि विस्तारित दिनांक 02.03.2019) से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है जिससे अधिनियम की धारा 15 (2) के अंतर्गत कोई रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई है तथा इस आधार पर समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि एवं उस स्थिति स्थावर परिसंपत्तियों की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि एवं स्थावर परिसंपत्तियां लोक प्रयोजन हेतु अपेक्षित है:-

- (1) परियोजना का नाम :- बीना संयुक्त सिंचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजना चकरपुर बांध
 (2) भूमि का विवरण :-
 1. जिला सागर
 2. तहसील राहतगढ
 3. ग्राम सेमरामेडा
 4. पटवारी एल्का नं. 28
 5. अर्जनीय भूमि का रकबा 109.500 हेक्टेयर

:: अनुसूची -01::

स.क्र.	भूमि स्वामी का नाम / पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा क्र.	क्षेत्रफल कुल रकबा (हे.मे.)	अर्जित भूमि (रकबा हेक्टे. मे.)	भूमि पर स्थित परिसंपत्ति
1	खित्ता उर्फ कलू करन पिता खित्ता उर्फ कन्छेदी मुलाबाई पुत्री खित्ता उर्फ कन्छेदी श्रीबाई पुत्री खित्ता उर्फ कन्छेदी सा देह	भूमि स्वामी	2/2	0.800	0.800	निरंक
2	शोभाराम वल्द घूमन सा देह	भूमि स्वामी	3	0.700	0.700	जामुन 3 अमरुद 18 बेरी 1
3	रामनारायण वल्द चंद्रशेखर सा देह	भूमि स्वामी	5	0.810	0.810	बैरी 5
4	शंभू दयाल रामनारायण पिता चंद्रशेखर साकिन राहतगढ	भूमि स्वामी	7	0.050	0.050	निरंक
		भूमि स्वामी	9	0.350	0.350	निरंक
		भूमि स्वामी	11	0.040	0.040	निरंक
		भूमि स्वामी	13	0.020	0.020	निरंक
		भूमि स्वामी	14	0.020	0.020	निरंक
5	हरज्ञान पिता परमसुख साकिन देह	भूमि स्वामी	10	0.140	0.140	निरंक
6	प्रकाश राजेश पिता भददा अनीता, कविता पुत्री भददा जुगताबाई बेवा भददा बेवा साकिन देह	भूमि स्वामी	12	0.120	0.120	बैरी 2
7	रम्मा पिता कलवा करन पिता कन्छेदी मुला श्रीबाई पुत्री कन्छेदी प्रकाश राजेश पिता भददा अनीता कविता पुत्री भददा जुगताबाई बेवा भददा साकिन देह	भूमि स्वामी	17	0.060	0.060	बैरी 1 छेवला 3
		भूमि स्वामी	59	1.910	1.910	निरंक

8	हरविन्द राजेश पिता तुलसीराम, मीरा, प्रीति, पुत्री तुलसाराम रोहन, धनराज, पिता अमोल राजा बेटी बेबा अमोल साकिन देह	भूमि स्वामी	19	0.050	0.050	निरंक
		भूमि स्वामी	20/1	1.620	1.620	अमरूद 2 बेरी 2 करोद 1 नलकूप 1
9	राजेश पिता तुलसीराम साकिन देह	भूमि स्वामी	20/2	0.400	0.400	नलकूप 1
10	नबाव वल्द जलील, रहीश, शहील, कलीम, वसीम, इकराम, समीर वल्द जलील अहमद सा. राहतगढ शाहजहाँ सायर बी फिरोज बी जसमीन पुत्रिया जलील अहमद सा. देह राहतगढ	भूमि स्वामी	23	0.680	0.680	नलकूप 1
11	कालेखाँ पिता दरसे खा साकिन राहतगढ	भूमि स्वामी	24/1	0.080	0.080	निरंक
		भूमि स्वामी	28/1	0.100	0.100	निरंक
		भूमि स्वामी	29/1	0.240	0.240	निरंक
		भूमि स्वामी	30/1	0.050	0.050	नलकूप 1
12	हकीमन बी पति कालेखाँ साकिन राहतगढ	भूमि स्वामी	24/2	0.150	0.150	निरंक
		भूमि स्वामी	28/2	0.600	0.600	निरंक
		भूमि स्वामी	29/2	0.800	0.800	निरंक
		भूमि स्वामी	30/2	0.150	0.150	निरंक
13	घासीराम, अमरचंद, हल्के, कन्छेदी, खिलान, रम्मू, रामलाल, पिता पंचा, हरवा, बेवा पंचा हरविन्द राजेश पिता तुलसीराम, रोहन, धनराज, पिता अमोल, राजाबेटी बेवा अमोल हरनाम, राजकुमार, पिता चुन्नीलाल साकिन देह	भूमि स्वामी	26	0.500	0.500	नलकूप 1 कुआ 1
		भूमि स्वामी	33	1.040	1.040	अमरूद 10 बेरी 1 आम 2 जामुन 3 मौसवी 1 रुसल्ला 1 बेल 2 कुआ 1
		भूमि स्वामी	45	0.090	0.090	नलकूप 1
		भूमि स्वामी	51	0.110	0.110	निरंक
		भूमि स्वामी	117	0.100	0.100	अमरूद 1 नीबू 1
		भूमि स्वामी				
14	हरीसिंह पिता शोभाराम यादव साकिन देह	भूमि स्वामी	27	0.380	0.380	निरंक
		भूमि स्वामी	36	0.750	0.750	कुआ 1
		भूमि स्वामी	52	0.070	0.070	निरंक
		भूमि स्वामी	116	0.010	0.010	निरंक
15	प्रेमसींग, दुरगासींग पिता बबुआ शारदा पुत्री बबुआ शांति बेवा बबुआ परसादी पिता मनमोहन सा देह	भूमि स्वामी	32	0.120	0.120	निरंक
		भूमि स्वामी	35	0.770	0.770	कुआ 1
		भूमि स्वामी	37	0.260	0.260	निरंक
		भूमि स्वामी	46	0.110	0.110	निरंक
		भूमि स्वामी	112	0.030	0.030	निरंक

16	दरयाब सिंह पिता किशनसिंग यादव साकिन देह	भूमि स्वामी	34	0.160	0.160	अमरुद 4 बेरी 8 आम 2 नीबू 2 केला 1 नीम 1 केम 1 सूबबूल 2
17	प्रेमसिंग पिता बाबूलाल सा देह	भूमि स्वामी	38	0.210	0.210	नलकुप 1
		भूमि स्वामी	47	0.130	0.130	निरंक
18	सूरतसिंग बल्द रामलाल साकिन मुडिया मेडा	भूमि स्वामी	39	0.080	0.080	निरंक
		भूमि स्वामी	55	1.280	1.280	कुआ 1
19	वाहिद शाह वल्द मजीत शाह साकिन राहतगढ	भूमि स्वामी	40/1	1.650	1.650	आम 1
		भूमि स्वामी	41/1	0.210	0.210	निरंक
20	मुन्ना शाह वल्द मजीत शाह साकिन राहतगढ	भूमि स्वामी	40/2	1.650	1.650	कुआ 1
		भूमि स्वामी	41/2	0.210	0.210	बैरी 2 आम 1
21	चंद्रवती पति रामदयाल साकिन देह	भूमि स्वामी	44	1.980	1.980	छोवला 1 नलकुप 1
22	संतोष पिता मुरलीधर साकिन देह	भूमि स्वामी	48/1	0.530	0.530	निरंक
		भूमि स्वामी	48/3	1.200	1.200	नलकुप 1
		भूमि स्वामी	128	0.050	0.030	निरंक
23	सदारानी पत्नि हरप्रसाद निवासी तेदूडाबर	भूमि स्वामी	48/2	1.780	1.780	निरंक
24	फैयाद वल्द मुहम्मद सुलेमान साकिन राहतगढ	भूमि स्वामी	50	0.110	0.110	निरंक
25	नंदराम रामलाल इंद्रपाल पिता गया साकिन देह	भूमि स्वामी	54	2.900	2.900	निरंक
26	सहादत खां वल्द बाबू खां साकिन देह	भूमि स्वामी	56	1.010	1.010	अमरुद 14 बेरी 1 आम 15 जामुन 1 सूबबूल 1 कुआ 1
27	रामसेवक वल्द गया साकिन देह	भूमि स्वामी	57	0.550	0.550	जामुन 1 छेवला 2
28	अमजद हसन वल्द नसीरुल हसन साकिन देह	भूमि स्वामी	61/1	2.540	2.540	बैरी 3 बबूल 1
		भूमि स्वामी	121	0.540	0.320	निरंक
		भूमि स्वामी	103/1	2.000	2.000	बैरी 4 नलकुप 1
29	सैयाबी जोजे असरफ खां साकिन राहतगढ	भूमि स्वामी	61/2	1.000	1.000	निरंक
30	मुह. सलीम वल्द विलायत अली साकिन देह	भूमि स्वामी	61/3	0.600	0.600	निरंक
31	मन्नु खां वल्द बबू खां साकिन देह	भूमि स्वामी	61/4	0.400	0.400	निरंक
32	आमिर हसन वल्द नसीरुल हसन साकिन देह	भूमि स्वामी	61/5	2.540	2.540	निरंक
		भूमि स्वामी	103/2	2.000	2.000	बैरी 3
		भूमि स्वामी	118	0.520	0.300	बैरी 3
33	महेश पिता लक्ष्मन प्रसाद साकिन देह	भूमि स्वामी	63/1	0.410	0.410	निरंक
34	राजकुमारी पति महेश नामदेव साकिन देह	भूमि स्वामी	63/2	1.000	1.000	निरंक
		भूमि स्वामी	68/2	0.620	0.620	नलकुप 1
35	जुलेशाबी बेवा शौकत अली साकिन देह	भूमि स्वामी	65/1	0.020	0.020	निरंक
36	जलील अहमद पिता शौकत अली साकिन देह	भूमि स्वामी	65/2	0.580	0.580	निरंक
37	मु. नवाब पिता शौकत अली साकिन देह	भूमि स्वामी	65/3	0.580	0.580	निरंक

38	मौलाना मु. फारुक पिता शौकत अली साकिन देह	भूमि स्वामी	65/4	1.700	1.700	नलकूप 1
39	हल्कई वल्द नंदलाल साकिन देह	भूमि स्वामी	67/1	1.430	1.430	अमरुद 3 बेरी 5 आम 1 सीताफल 2 छोवला 1 नलकूप 1
40	रामसींग वल्द नंदलाल साकिन देह	भूमि स्वामी	67/2	1.440	1.440	अमरुद 15 बेरी 1 नीबू 1 केला 1 सूबबूल 2 कुआ 1
41	बाबुमिया वल्द अब्दुल जब्बार साकिन राहतगढ	भूमि स्वामी	68/1	0.400	0.400	निरंक
42	चैनसींग पिता गोपाल साकिन देह	भूमि स्वामी	70/1	2.000	2.000	अमरुद 7 आम 2 बेरी 1
43	नन्नीबाई, दशोदाबाई रतिबाई, पन्नाबाई पुत्रिया गोपाल चैनसींग पिता गोपाल साकिन देह	भूमि स्वामी	70/2	0.670	0.670	निरंक
44	रिजवान वल्द मुह. अब्बास साकिन देह	भूमि स्वामी	71/1	1.440	1.440	निरंक
45	इरफान वल्द मुह. अब्बास साकिन राहतगढ	भूमि स्वामी	71/2	1.030	1.030	निरंक
46	अमरसिंह पिता लक्ष्मन साकिन देह	भूमि स्वामी	72/1	1.290	1.290	बैरी 4 अमरुद 2
47	हल्कई पिता लक्ष्मन साकिन देह	भूमि स्वामी	72/2	1.300	1.300	अमरुद 1 बेरी 1 आम 1 नीबू 1 सेमर 1 कुआ 1
48	अशोक कुमार वल्द शोभाराम साकिन शिकारपुर	भूमि स्वामी	73	1.380	1.380	बैरी 6 सागौन 5 छोवला 1
49	वीरसिंह, अशोककुमार, आँकार, रामसेवक, रामबाबू, बालिंग, वकील, मुनीम, नाबालिंग वल्द शोभाराम पालक मां व खुद बेटीबाई बेवा शोभाराम साकिन शिकारपुर	भूमि स्वामी	74	0.660	0.660	निरंक
50	परमानंद वल्द फुल्ला साकिन देह	भूमि स्वामी	75	0.170	0.170	छोवला 2
51	नंदराम रामलाल गोपाल पिता गयाप्रसाद भागवती पुत्री गया प्रसाद साकिन देह	भूमि स्वामी	76	0.160	0.160	छोवला 1
		भूमि स्वामी	77	0.220	0.220	अमरुद 1 छोवला 1 नलकूप 1
		भूमि स्वामी	81	1.520	1.520	निरंक
		भूमि स्वामी	83	0.400	0.400	नलकूप 1
		भूमि स्वामी	85	1.420	1.420	अमरुद 2 नीबू 1 नीम 1 नलकूप 1

		भूमि स्वामी	84/2	3.630	3.630	बैरी 1 जामुन 1 कुआ 1
52	नसीरूल हसन वल्द नुरुल हसन साकिन देह	भूमि स्वामी	79	1.720	1.720	बैरी 1 छोवला 1 नलकूप 1
		भूमि स्वामी	167	0.140	0.140	निरंक
		भूमि स्वामी	191	2.770	0.260	निरंक
		भूमि स्वामी	193	0.270	0.270	निरंक
		भूमि स्वामी	194	0.210	0.210	निरंक
53	मुह. उवेश पिता अ. हफीज साकिन देह	भूमि स्वामी	80/1	0.620	0.620	निरंक
		भूमि स्वामी	82	1.240	1.240	निरंक
54	समीम वल्द फैयाद साकिन राहतगढ	भूमि स्वामी	80/2	0.290	0.290	निरंक
		भूमि स्वामी	102/2	0.530	0.530	बैरी 5 नलकूप 1
55	मुह. इमदाद पिता अब्दुल हफीज साकिन देह	भूमि स्वामी	80/3	1.800	1.800	निरंक
56	पूरन, मुन्ना, रामसेवक, गोरेलाल पिता गजा साकिन	भूमि स्वामी	84/1	1.000	1.000	कुआ 1
		भूमि स्वामी	84/3	3.150	3.150	कुआ 1 नलकूप 1
		भूमि स्वामी	88	1.300	1.300	निरंक
57	आसिफ वल्द फैयाद साकिन राहतगढ	भूमि स्वामी	87	0.200	0.200	बैरी 1
		भूमि स्वामी	94	1.050	1.050	बैरी 4 नलकूप 2
		भूमि स्वामी	89	0.200	0.200	निरंक
58	छोटीबाई जोजे रूपसीग यादव साकिन देह	भूमि स्वामी	90	3.950	3.950	बैरी 1 नीबू 1 बबूल 3 कुआ 1 नलकूप 2
59	माखन वल्द रामचरण साकिन देह	भूमि स्वामी	91	0.600	0.600	बैरी 1 कुआ 1
		भूमि स्वामी	96/3	0.050	0.050	निरंक
60	जुम्मन, मुमराज पिता छोटे खां, सितारा पुत्री छोटे खां, हबीब, मुह. रफीक बालिग मुहम्मद ना वा बल्द हमीद सकीना पुत्री हमीद पालक व खुद मां सहीदाबी बेवा हमीद साकिन देह	भूमि स्वामी	92	0.910	0.910	निरंक
61	गीताबाई पुत्री शंकर धनाबाई बेवा शंकर साकिन देह	भूमि स्वामी	95	1.860	1.860	अमरुद 1 बैरी 4 नलकूप 1
62	मिहीलाल पूरनलाल पिता भैयालाल कलीबाई रज्जो कस्सो पुत्री भैयालाल साकिन देह	भूमि स्वामी	96/1	2.670	2.670	बैरी 14 मंहुआ 2 नलकूप 3

63	रूपसींग पिता नवल नन्नीबाई बेवा नवल प्रेमबाई लीलाबाई पुत्री नवल साकिन देह	भूमि स्वामी	96/2	2.020	2.020	अमरुद 1 बैरी 2 बासभिरा 1 कुआ 1
64	मिहीलाल वल्द भैयालाल साकिन देह	भूमि स्वामी	96/4	0.040	0.040	निरंक
65	मुजाहिद वल्द नसीरुक हसन साकिन देह	भूमि स्वामी	98	0.240	0.240	निरंक
		भूमि स्वामी	103/3	1.620	1.620	बैरी 1 कुआ 1
		भूमि स्वामी	104/1	0.320	0.320	निरंक
		भूमि स्वामी	99	0.220	0.220	कुआ 1
66	माधौ पिता कन्छेदी रामकली पुत्री कन्छेदी साकिन देह	भूमि स्वामी	100	0.080	0.080	बैरी 5 नीम 1
67	गनेश, हरीराम, हीरा, छोटा पिता भावसींग खिमिया पुत्री वल्देव कडोरा, पिता पुन्ता अमरसींग हल्कई पिता लक्ष्मन केशर हरिबाई ललता मीरा पुत्री लक्ष्मन साकिन देह	भूमि स्वामी	101	0.440	0.440	निरंक
68	शहजाद वल्द फैयाद साकिन राहतगढ	भूमि स्वामी	102/1	1.620	1.620	अमरुद 6 बैरी 66 गुरार 2 अमलतास 1 कुआ 1
69	लालचंद पिता घूमनसींग शिवराज माखन राजकुमार पिता बाबूलाल जानकी पुत्री बाबूलाल माधौ पिता कन्छेदी रामकली पुत्री कन्छेदी सा. देह	भूमि स्वामी	104/2	0.060	0.060	अमरुद 3 सूलबबूल 13
70	श्री देव हनुमान जी स्वामी बाके मौजा देह प्रबंधक कलेक्टर सागर	भूमि स्वामी	105	0.040	0.040	केला 1 मंदिर
71	सददू खां मुहम्मद खां पिता सिकन्दर खां साकिन देह	भूमि स्वामी	107	0.030	0.010	निरंक
72	इस्माईल खां मुहम्मद खां सरदार खां पिता सिकन्दर खां सा देह	भूमि स्वामी	108	0.060	0.040	निरंक
73	लालचंद वल्द घूमनसींग दरयावसींग वल्द किशनसींग सा देह	भूमि स्वामी	109	0.180	0.180	अमरुद 4
74	दरयाव सिंह पिता किशनसींग बाबूलाल कन्छेदी लालचंद साकिन देह	भूमि स्वामी	111	0.030	0.030	निरंक
		भूमि स्वामी	178	0.050	0.050	निरंक
75	हरप्रसाद वल्द हल्का सा देह	भूमि स्वामी	114	0.060	0.040	निरंक
76	प्रेमसींग, दुरगासींग पिता बबुआ शारदा पुत्री बबुआ शांति बेवा बबुआ खेतसींग वल्द भावसींग पंचा वल्द सा देह	भूमि स्वामी	115	0.050	0.050	बैरी 1 जामुन 2 खजूर 1
77	रम्मा पिता कलुवा प्रकाश राजेश पिता भददा अनीता कविता पुत्री भददा जुगताबाई बेवा भददा सा देह	भूमि स्वामी	122	0.110	0.110	निरंक

78	हरदास, रामदास, पिता मरदन देवकाबाई पुत्री मरदन कलुवा रम्मा पिता बालचंद सा देह	भूमि स्वामी	124	0.030	0.030	कठर1 पपीता 1 केला 2 बेल 1 नीब 1 अमरूद 1 आम 1 सूबबूल 1
		भूमि स्वामी	137	0.030	0.030	निरंक
79	मुन्ना पिता फदाली गनेशीबाई पुत्री रमला, भगोनी बेवा रमला सा देह	भूमि स्वामी	125	0.030	0.030	निरंक
80	हरवाई जोजे हरभजन जयबाई वल्द मुल्ला सा देह	भूमि स्वामी	126	0.040	0.040	निरंक
		भूमि स्वामी	143	0.060	0.060	निरंक
81	सितारा पत्नि गुलाम, मुहम्मद चांद खां वल्द अलदीन खां साकिन राहतगढ	भूमि स्वामी	136	0.160	0.040	बेरी 2 सूबबूल 1
		भूमि स्वामी	139	0.030	0.030	निरंक
82	अमरचंद वल्द पंचमसींग साकिन देह	भूमि स्वामी	144	0.110	0.110	नीब 3 अमरूद 3 बेरी 6 कुआ 1
		भूमि स्वामी	145/1	0.080	0.080	सागौन 4 बहेरा 1 नीम 1
		भूमि स्वामी	145/2	0.100	0.100	निरंक
83	शबनम पति अजीम खां सा देह	भूमि स्वामी	146	0.060	0.060	निरंक
84	लालचंद वल्द घूमनसींग सा देह	भूमि स्वामी	147	0.220	0.220	खजूर 1
85	कलू पिता मंगल सिन्दी बाबूलाल भागीरथ नन्नू पिता दमरू सा देह	भूमि स्वामी	166	0.320	0.030	निरंक
86	दम्मा वल्द मुल्ला हल्कई रामसींग पिता नंदा मोहन भगवानदास पिता रतन सा देह	भूमि स्वामी	168	0.080	0.050	निरंक
87	नसीरूल हसन पिता नरूलहसन नईमाबी रिहाना पुत्री नरूलहसन सूफिया बेगम वेबा नरूलहसन जाविद हसन वल्द आविद हुसेन नबाव हसन वल्द जियाउल हसन साकिन देह	भूमि स्वामी	170	0.070	0.070	बेल 1 अमरूद 2 बासभिरा 1
88	पूरन हरीराम, दौलत पिता चुन्नी कुन्दनबाई बेवा चुन्नी महेन्द वल्द शोभाराम हरिबाई वेवा शोभराम सा. देह	भूमि स्वामी	171	0.130	0.130	नीबू1 अमरूद 4 मुनगा 2 बेल 2 बेरी 4 सूबबूल 1 खजूर 1 जंगल जलेवी 3
89	मुन्ना पिता डमरू सियाबाई दौलतबाई गुडडीबाई पुत्री डमरू सा. देह	भूमि स्वामी	172	0.080	0.050	निरंक
90	परताप वल्द भगोनी सा. देह	भूमि स्वामी	173	0.080	0.040	निरंक
91	दम्मा वल्द मुल्ला सा देह	भूमि स्वामी	174	0.110	0.040	निरंक

92	कुददा वल्द नंदलाल, खजुरिया बारी वेबा नंदलाल सा. देह	भूमि स्वामी	175	0.050	0.020	निरंक
93	हल्का वल्द टुडे साकिन मनऊ	भूमि स्वामी	176	0.020	0.010	निरंक
94	काशीराम, तुलाराम खेमचंद देवचंद वालिग हीरा नाबालिग वल्द गफलु पालक भाई काशीराम अन्नू प्रेमा पुत्री फदाली रामचरन तुलसीराम शोभा पिता बुद्धा द्रोपती, कुसुम कसिया पुत्री बुद्धा हरलाल वल्द हल्के सा. देह	भूमि स्वामी	179	0.050	0.050	अमरूद 1 मुनगा 3 रुसल्ला 1 बासभिरा 1 सूबबूल 1
95	इन्द्रराज सिंह पिता माखन सिंह सा. देह	भूमि स्वामी	195	0.380	0.380	निरंक
96	पूरन वल्द गजा सा देह	भूमि स्वामी	196/1	1.980	1.980	बैरी 6 छोवला 2 कुआ 1
97	गोरीलाल वल्द गजा सा. देह	भूमि स्वामी	196/2	2.000	2.000	कुआ 1
98	तेजाबाई पुत्री वल्देव सा देह	भूमि स्वामी	199/1	0.490	0.370	निरंक
99	नसीरूल हसन पिता नूरूलहसन सा देह	भूमि स्वामी	200/1	5.030	3.950	बबूल 1 कुआ 1 नलकूप 1
100	समीम बेगम पति नसीरूल हसन सा देह	भूमि स्वामी	201	0.890	0.750	निरंक
		भूमि स्वामी	202	0.890	0.400	निरंक
	कुल किता	कुल किता	160	114.980	109.500	वृक्ष-426 नलकूप-28 कुआ-22

भूमि अर्जन के कारण ग्राम सेमरा मेडा के निम्नानुसार प्रभावित कुटुबो का पुर्नवासन एवं पुर्नव्यवस्थापन किया जाना अपेक्षित है।

स.क्र.	प्रभावित भूमि का विवरण जिस पर मकान इत्यादि निर्मित है			प्रभावित मकान इत्यादि का विवरण		
	भू-धारक का विवरण	खसरा नं.	कुल रकबा	प्रभावित मकान धारक जिसका पुर्नव्यवस्थापन किया जाना है।	प्रभावित मकान की श्रेणी	प्रभावित मकान का क्षेत्रफल (वर्गमीटर)
1	अमरचंद वल्द पंचमसींग साकिन देह	144	0.110	अमरचंद वल्द पंचमसींग	पक्का एवं कच्चा मकान	169.665
2	सितारा पलि गुलाम, मुहम्मद चांद खां वल्द अलदीन खां साकिन राहतगढ	136	0.160	सोनूसिंह यादव ना वालक पिता स्व. दुर्गाप्रसाद यादव	कच्चा मकान	91.00
3	हरदास, रामदास, पिता मरदन देवकाबाई पुत्री मरदन कलुवा रम्मा पिता बालचंद सा देह	124	0.030	रामदास पिता मरदन अहिरवार एवं हरदास पिता मरदन अहिरवार	पक्का एवं कच्चा मकान	256.105

				यशोदाबाई पत्नि स्व. कलुआ अहिरवार	पक्का एवं कच्चा मकान	26.66
4	घासीराम, अमरचंद, हल्के, कच्छेदी, खिलान, रम्भू, रामलाल, पिता पंचा, हरवा, बेवा पंचा हरबिन्द राजेश पिता तुलसीराम, रोहन, धनराज, पिता अमोल, राजाबेटी बेवा अमोल हरनाम, राजकुमार, पिता चुन्नीलाल साकिन देह	33	1.040	घासीराम यादव पिता स्व. पंचे यादव	पक्का एवं कच्चा मकान	205.015
				खिलान सिंह पिता स्व श्री पंचेयादव	कच्चा मकान	32.93
				भगवानसींग पिता स्व. रूपसींग यादव	कच्चा मकान	127.39
				विजयसिंह यादव पिता स्व. रूपसींग यादव	कच्चा मकान	60.90
5	प्रेमसींग, दुरगासींग पिता बबुआ शारदा पुत्री बबुआ शांति बेवा बबुआ खेतसींग वल्द भावसींग पंचा वल्द सा देह	115	0.050	खिलान सींग यादव पुत्र विनोद कुमार एवं मुकेश कुमार यादव	कच्चा मकान	235.98
6	घासीराम, अमरचंद, हल्के, कच्छेदी, खिलान, रम्भू, रामलाल, पिता पंचा, हरवा, बेवा पंचा हरबिन्द राजेश पिता तुलसीराम, रोहन, धनराज, पिता अमोल, राजाबेटी बेवा अमोल हरनाम, राजकुमार, पिता चुन्नीलाल साकिन देह	117	0.100	लक्ष्मीनारायण यादव पिता अमरचंद यादव	कच्चा मकान	24.09
				रामसींग पिता श्री	कच्चा मकान	144.46
7	हरीसिंह पिता शोभाराम यादव साकिन देह	116	0.010	हरीसींग पिता शोभाराम यादव	कच्चा मकान	56.78
8	प्रेमसींग, दुरगासींग पिता बबुआ शारदा पुत्री बबुआ शांति बेवा बबुआ परसादी पिता मनमोहन सा देह	112	0.030	प्रेमसींग पिता बाबूलाल	कच्चा मकान	63.67
9	लालचंद वल्द घूमनसींग दरगावसींग वल्द किशनसींग सा देह	109	0.180	शिवराज पिता बाबूलाल सादव लालचंद घूमनसींग यादव	कच्चा मकान	116.95
				माखनलाल पिता बाबूलाल यादव	पक्का एवं कच्चा मकान	289.56

				दरयावसिंह यादव पिता किशनसींग	पक्का एवं कच्चा मकान	118.83
				परसराम पिता दरयाव सिंह यादव	पक्का एवं कच्चा मकान	162.93
10	दरयाव सिंह पिता किशनसींग बाबूलाल कच्छेदी लालचंद साकिन देह	111	0.030	लक्ष्मन पिता लालचंद यादव एवं भगवानसींग पिता लालचंद यादव	पक्का एवं कच्चा मकान	167.62
11	लालचंद पिता घूमनसींग शिवराज माखन राजकुमार पिता बाबूलाल जानकी पुत्री बाबूलाल माधो पिता कच्छेदी रामकली पुत्री कच्छेदी सा. देह	104/2	0.060	राजकुमार पिता बाबूलाल यादव एवं माखनलाल पिता बाबूलाल	पक्का एवं कच्चा मकान	109.89
12	नसीरूल हसन पिता नरूलहसन नईमाबी रिहाना पुत्री नरूलहसन सूफिया बेगम देबा नरूलहसन जाविद हसन वल्द आविद हुसेन नबाव हसन वल्द जियाउल हसन साकिन देह	170	0.070	धनबाई पति स्व. शंकरलाल एवं गीताबाई पति देवचंद	कच्चा मकान	139.97
13	पूरन हरीराम, दौलत पिता चुन्नी कुन्दनबाई बेबा चुन्नी महेन्द वल्द शोभाराम हरिबाई वेवा शोभराम सा. देह	171	0.130	वीरसिंह पति शोभाराम सौर	कच्चा मकान	99.75
				हरीराम/ चुन्नी लाल सौर	पक्का एवं कच्चा मकान	156.38
14	मुन्ना पिता डमरू सियाबाई दौलतबाई गुडडीबाई पुत्री डमरू सा. देह	172	0.080	रामसींग/ भगवानदास सौर	पक्का मकान	25.67
15	काशीराम, तुलाराम खेमचंद देवचंद वालिग हीरा नाबालिग वल्द गफलू पालक भाई काशीराम अन्नू प्रेमा पुत्री फदाली रामचरन तुलसीराम शोभा पिता बुद्धा द्रोपती, कुसुम कसिया पुत्री बुद्धा हरलाल वल्द हल्के सा. देह	179	0.050	तुलाराम/ गफलू सौर	कच्चा मकान	77.62
				काशीराम/ गफलू सौर	कच्चा मकान	77.34
16	समीम वल्द फैयाद साकिन राहतगढ	102/2	0.530	समीम वल्द फैयाद कुरेशी	पक्का एवं कच्चा मकान	104.96
				शहजाद कुरेशी / मो. फैयाद कुरेशी	कच्चा मकान	66.03
17	मिहीलाल वल्द भैयालाल साकिन देह	96/4	0.040	मिहीलाल सौर पिता भैयालाल सौर	कच्चा मकान	101.42
				पूरनलाल सौर पिता भैयालाल सौर	कच्चा मकान	95.81
18	इस्माईल खां मुहम्मद खां सरदार खां पिता सिकन्दर खां सा देह	108	0.060	नारायण सेन पिता भैयालाल सेन	पक्का एवं कच्चा मकान	105.99
19	चैनसींग पिता गोपाल साकिन देह	70/1	2.000	चैनसींग पिता गोपाल	कच्चा मकान	23.375
	कुल				31 मकान	3534.740

प्रभावित भूमि स्थावर परिसंपत्तियों के अर्जन के कारण विस्थापित परिवारों का मौजा दाऊदपुर पटवारी हल्का नं. 0031 तहसील राहतगढ जिला सागर में स्थित शासकीय भूमि खसरा नं. 4, 6/1, 9, 11 एवं 59 रकवा क्रमशः 5.57, 21.57, 4.12, 7.27 एवं 6.38 हेक्टेयर कुल रकवा 44.91 हेक्टेयर पर विस्थापन किया जावेगा तथा (बीना परियोजना) चकरपुर बांध परियोजनांतर्गत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम निम्नानुसार है:-

म.प्र. शासन जल संसाधन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के पत्र क्र. 22(ए)/117/18/एम.पी.एस./31/1761/ भोपाल दिनांक 04.10.2018 द्वारा बीना सिंचाई परियोजना के डूब से प्रभावित हेतु स्वीकृत विशेष पैकेज।

(अ) डूब क्षेत्र की निजी भूमि हेतु-

(i) क्रय/अर्जित की जाने वाली भूमि के लिए प्रति हेक्टेयर रुपये 10 (दस) लाख की दर से एक मुश्त राशि।

तथा

क्रय की जाने वाली भूमि में पक्का कुआं होने की दशा में रूपयें 2 (दो) लाख प्रति कुआं।

तथा

क्रय की जाने वाली भूमि में चालू ट्यूबवेल होने की दशा में रूपयें 1 (एक) लाख प्रति ट्यूबवेल।

तथा

अर्जित की जाने वाली भूमि में फलदार वृक्षों का बगीचा होने की दशा में उपरोक्त के अतिरिक्त रूपयें 3 (तीन) लाख प्रति हेक्टेयर की दर से।

(ii) भूमि के अनिवार्य अधिग्रहण का मुआवजा आदेश जारी किए जाने की दशा में मुआवजा राशि उपरोक्तानुसार वर्णित राशि से कम हो तो अंतर की राशि कृषक से सभी प्रकार के स्वत्वों एवं बाद के अंतिम निराकरण की पूर्ण सहमति प्राप्त करने के उपरांत विशेष अनुदान के रूप में दी जावे।

(iii) सहमति से भूमि राज्य शासन को विक्रय करने के प्रकरणों में भूमि का विक्रय पंजीयन कलेक्टर गाईड लाईन दर से किया जावे और शेष राशि अनुदान मानी जावे।

(ब) परियोजना के डूब क्षेत्र में आने वाले परिवारों के पुनर्वास की प्रक्रिया सहज बनाने और विस्थापितों की सहमति से उनके पुनर्वास के उद्देश्य से विस्थापित होने वाले परिवारों को निम्नानुसार एक मुश्त पुनर्वास (अनुदान) पैकेज दिया जाए।

(i) अर्जित किये जाने वाले मकान का कलेक्टर द्वारा निर्धारित बाजार मूल्य की राशि का 50 प्रतिशत अतिरिक्त पुनर्वास अनुदान

तथा

ग्रामीण क्षेत्र में भू-खण्ड दिये जाने की दशा में रु. 2.00 (दो) लाख एक मुश्त अनुदान।

अथवा

यदि पात्र परिवार भू-खण्ड नहीं लेना चाहता है तो रु. 5.00 (पांच) लाख एकमुश्त पुनर्वास अनुदान।

(ii) उपरोक्तानुसार एकमुश्त पुनर्वास अनुदान में परिवहन अनुदान एवं पुनर्वास आदि सभी के लिए देय राशि सम्मिलित मानी जावेगी और इनके लिए पृथक से कोई राशि देय नहीं होगी।

(iii) परिवार से आशय है :- (i) शादी शुदा व्यस्क का परिवार (ii) परित्यक्ता का परिवार अथवा (iii) विधवा का परिवार

(स) उपरोक्तानुसार विशेष पुनर्वास पैकेज का लाभ लेने के लिए इच्छुक विस्थापित परिवारों की लिखित सहमति प्राप्त की जाए। लिखित सहमति प्राप्त होने की दशा में ही इस विशेष पुनर्वास पैकेज का लाभ देय होगा, अन्यथा नहीं।

विस्थापित कुटुंबों को 12.5 X 20 वर्गमीटर का शासकीय आवासीय पट्टा दिया जावेगा। प्रभावित कुटुंबों द्वारा प्रकरण में अधिनियम 2013 की धारा 11 की प्रारंभिक अधिसूचना प्रकाशन की दिनांक को प्रभावित मकानों में निवास करने एवं 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम के तहत अनुदान सहायता एवं अन्य सहायतायें उपलब्ध कराई जावेगी अधिनियम 2013 की धारा 21 के तहत हितबद्ध व्यक्तियों को यह भी सूचित किया जाता है कि सरकार का आशय भूमि का कब्जा लेने का है और ऐसी भूमि में सभी हितों के लिए प्रतिकारों और पुनर्वास तथा प्रतिस्थापन के दावे न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं भू-अर्जन अधिकारी राहतगढ जिला सागर के कार्यालय में दिनांक 09/01/2020 को प्रातः 10.30 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक व्यक्तिगत रूप या अभिकर्ता द्वारा या अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर भूमि, परसम्पत्तियों में अपने अपने हितों की प्रकृति तथा ऐसे हितों के लिए प्रतिकार के दावों की रकम और विशिष्टियां धारा 20 के अधीन किये गये मापों के संबंध में आक्षेप यदि कोई हो, के साथ पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के दावे प्रस्तुत कर सकते हैं भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं भू-अर्जन अधिकारी राहतगढ जिला सागर तथा परियोजना प्रशासक बेतवा परियोजना क्रियान्वयन इकाई, (बी.पी.आई.यू.-2) क्रमांक 2 राहतगढ, जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

प्रति मैथिल नायक, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रा. प्र. क्रमांक-02-अ-82-2017-2018-भू-अर्जन

छिन्दवाड़ा, दिनांक 21 नवम्बर 2019

म0प्र0 शासन राजस्व विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल का आदेश क्रमांक एफ-12-2/2014/सात/शा.2 ए भोपाल दिनांक 12 नवम्बर 2014 द्वारा जारी "आपसी सहमति से भूमि कय नीति" (Consent Land Purchase Policy) के तहत रामाकोना सावरनी रेलवे चौकी से बिछुआ बग्गू खैरी पहुंच मार्ग (लंबाई 04.05 कि०मी०) के निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि कय किये जाने हेतु म0प्र0 शासन लोक निर्माण विभाग (भ0/स0) के पक्ष में कय किया जाना प्रस्तावित है। उक्त अनुसूची में दर्शाये गये कृषकों की निजी भूमि से सम्बन्धित कृषकों को प्रारूप "क" में सूचना दी जाकर उन्हे प्रारूप "ख" में सहमति ले ली गई है।

इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन में रामाकोना सावरनी रेलवे चौकी से बिछुआ बग्गू खैरी पहुंच मार्ग (लंबाई 04.05 कि०मी०) निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।

—:अनुसूची:—

1. भूमि का वर्णन:—

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	कय की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के भूमि स्वामी का नाम एवं पता	खसरा नम्बर	कय किये जाने वाला प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)	योजना जिसके लिये भूमि कय की जाना प्रस्तावित है।
1	2	3	4	5	6	7
छिन्दवाड़ा	सौसर	ग्राम— बिछुआ बग्गू प0ह0न0-11 ब0न0-273, रा0नि0म0-सौसर	1. कमलाबाई पति केशोराव जाति कुनबी निवासी ग्राम भूमि स्वामी—बिछुआ बग्गू 2. गोदावरी विधवा भगवतराव, विनोद पिता भगवतराव जाति कुनबी निवासी ग्राम भूमि स्वामी—बिछुआ बग्गू 3. शिलाबाई पति मोresh्वर, राजेश पिता मोresh्वर निवासी	101/3 100/3 195	0.053 0.154 0.168	रामाकोना सावरनी रेलवे चौकी से बिछुआ बग्गू खैरी पहुंच मार्ग (लंबाई 04.05 कि०मी०) निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये।

			सौसर 4. गिरजा, उर्मिला पिता सीताराम निवासी ग्राम भूमि स्वामी-बिछुआ बग्गू	88/3	0.144	
			5. मुकेश पिता दिनकर जाति कुनबी निवासी ग्राम भूमि स्वामी-बिछुआ बग्गू	224/1	0.018	
			6. विठ्ठल पिता महादेव जाति कुनबी निवासी ग्राम भूमि स्वामी-बिछुआ बग्गू	224/2 224/7	0.050 0.025	
			7. भैयाजी, मोरेश्वर, विठ्ठल, सत्यवती, रुखमा, उषा पिता महादेव, जमना वि०कृष्णा लक्ष्मीबाई पिता कृष्णा जाति कुनबी निवासी ग्राम भूमि स्वामी-बिछुआ बग्गू	224/3 224/4	0.053 0.054	
			8. मोरेश्वर पिता महादेव जाति कुनबी निवासी ग्राम भूमि स्वामी-बिछुआ बग्गू	224/5	0.050	
			9. भैयाजी पिता महादेव जाति कुनबी निवासी ग्राम भूमि स्वामी-बिछुआ बग्गू	224/6	0.069	
			10. राधे मिनरलस लि०द्वारा डारेक्टर महेश पिता देवदास गुप्ता निवासी नागपुर	222/1	0.028	
			11. गंगाधर पिता नामदेव वाठ जाति कुनबी निवासी ग्राम भूमि स्वामी-बिछुआ बग्गू	242/3	0.091	
			12. राजोशी वि			
			निलकंठ,तिरोना अ० पिता निलकंठ राजोशी जाति कुनबी निवासी ग्राम भूमि स्वामी-बिछुआ बग्गू	242/7	0.017	
			13. लिला पिता नागोराव जाति कुनबी निवासी ग्राम भूमि स्वामी-बिछुआ बग्गू	244/2	0.034	
			14. सरस्वती पति तुकाराम जाति कुनबी निवासी ग्राम भूमि			

		स्वामी-बिछुआ बग्गू 15. गजानन पिता उमाजी जाति कुनबी निवासी ग्राम भूमि	244/1	0.028	
		स्वामी-बिछुआ बग्गू 16. रंगुबाई पति किसनाजी जाति कुनबी निवासी ग्राम भूमि स्वामी-बिछुआ बग्गू	246/1	0.020	
		17. चिन्धाबाई पति काशिनाथ जाति कुनबी निवासी ग्राम भूमि स्वामी-बिछुआ बग्गू	246/3	0.022	
		18. सीता, लिला, मीरा, चिरकुटी पिता नागोराव जाति कुनबी निवासी ग्राम भूमि स्वामी-बिछुआ बग्गू	247	0.042	
		19. ललीता, आशा पति चिंतामन जाति कुनबी निवासी ग्राम भूमि स्वामी-बिछुआ बग्गू	248	0.101	
		20. धोन्डया पिता पांडुरंग जाति कुनबी निवासी ग्राम भूमि	250/2 251/3	0.045 0.020	
		स्वामी-बिछुआ बग्गू 21. कोटेश्वर पिता डोमदेव जाति कुनबी निवासी ग्राम भूमि	250/1 251/1	0.117 0.042	
		स्वामी-बिछुआ बग्गू 22. पंढरी पिता गुंडेराव जाति कुनबी निवासी ग्राम भूमि	251/2	0.032	
		स्वामी-बिछुआ बग्गू 23. सुरेखा पति हनुमंता धुन्डे जाति कुनबी निवासी ग्राम भूमि स्वामी-देवी	251/5	0.022	
		कुल योग	26	1.499 हेक्टेयर	

2. उपरोक्त अनुसूची में दर्शाई गई भूमि के सम्बंध में किसी जनसामान्य को भूमि अथवा भूमि के स्वत्व एवं प्रस्तावित भूमि के भू-भाग पर स्थित सम्पत्तियों के सम्बंध में कोई आक्षेप/आपत्ति है तो वह जारी दिनांक के 15 दिवस के भीतर लिखित रूप में स्वयं अथवा अभिभाषक के माध्यम से न्यायालय कलेक्टर छिन्दवाडा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर प्रस्तुत कर सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

श्रीनिवास शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रतलाम, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्रमांक 4524-भू-अर्जन-2019

रतलाम, दिनांक 28 नवम्बर 2019

रतलाम शहर में रेल्वे समपार क० 81 एवं सुभाषनगर रतलाम रेल्वे ओवर ब्रीज बनाये जाने हेतु भूमि एवं उस पर स्थित भवन एवं परिसम्पत्तियों के संबंध में चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 की के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 19 में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करती हूं।

यदि किसी को किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन के दिनांक से 30 दिवस के भीतर आपत्ति प्रस्तुत कर सकता बाद अवधि किसी भी आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा।

ग्राम का नाम-कस्बा रतलाम पटवारी हल्का कमांक-28

--- अनुसूची ---

ग्राम का नाम-कस्बा रतलाम पटवारी हल्का कमांक-28

SIDE -A

क्र.	मकान / प्लाट के भूमि स्वामी का नाम, पिता का नाम, जाति	सर्वे क्रमांक / म्यु नम्बर जिसमें संचनना स्थित है	भवन का प्रकार कच्चा / पक्का	भवन का स्वामित्व स्वयं / शासकीय पट्टा / अतिक्रमण	दरजावेजो के आधार पर वास्तविक लम्बाई चौड़ाई फिट में	अर्जित किये जाने वाला क्षेत्रफल (वर्ग फीट)	अर्जित किये जाने वाला क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)
1	2	3	4	5	6	8	9
1	सुगनबाई पति रखबचन्द पोरवाल व रखबचन्द पिता चम्पालाल निवासी- सुभाष नगर, रतलाम	सर्वे क्रमांक 71. रकबा 2.010 मद-चरनोई नजूल म.प्र. भासन	दाल मिल पतरे की छत	लीज पट्टा 21.03.2081 तक	180×50	12×70=840 14×70=980 8×40=320	198.88
2	ताज मोहम्मद पिता अब्दुल करीम निवासी सुभाष नगर	सर्वे क्रमांक 71 रकबा 2.010 मद-चरनोई नजूल म.प्र. भासन	पक्का भवन	विक्रय-पत्र	20×50	20×14	26.02
3	अमानत खान पिता मजीद खान 147 सुभाष नगर	सर्वे क्रमांक 65 भूमिस्वामी -निजी विक्रय पत्र में सर्वे क्रमांक का उल्लेख नहीं होने से	पक्का भवन RBC G+1	विक्रय-पत्र	9.9×50	9.9×14 =138.6 60 ग्राउंडफ्लोर 9.9×4=39.6 फर्स्टफ्लोर	13.86 3.68
4	सरला पति रमेशचन्द्र राठौर सुभाष नगर		पक्का भवन RBC	विक्रय-पत्र	9.9×50	9.9×14	12.86
5	अमानत खान पिता मजीद खान सुभाष नगर		पक्का भवन RBC G+1	विक्रय-पत्र	9.3×50	9.3×14=130.2 ग्राउंडफ्लोर	12.10

					9.3×4=37.2 फर्सटफलोर	3.45	
6	अनिलाबाई पति गिरीशचन्द्र श्रीवास्तव निवासी सुभाष		पतरे का भवन	विक्रय-पत्र	9.9×50	9.9×14	12.86
7	शरफुन निशा पति अशफाक खॉ अली निवासी हा.मु.काम रतलाम		पक्का भवन RBC G+1	विक्रय-पत्र	9.2×50	9.2×14=128.80 ग्राउंडफलोर 9.2×3=37.2 फर्सटफलोर	11.97 2.56
8	मकबूल हुसैन पिता मोहम्मद हुसैन मन्सूरी व शबीर हुसैन पिता मो हुसैन निवासी ता मुकाम		पतरे का मकान	विक्रय पत्र	15×60	15×10	13.94
9	अब्दुल हफीज खॉ पिता अब्दुल अजीज खॉ निवासी हा.मु. रतलाम		पतरे का मकान पक्की दिवार	विक्रय-पत्र	8.3×50	8.3×10	7.71
10	मेहबूब पिता बशीर व असलम पिता बशीर नि ता मु		पक्का भवन RBC	विक्रय-पत्र	11.2×50	11.2×13	13.53
11	अनवर पिता बशीर खॉ निवासी हा.मु. रतलाम		पक्का भवन RBC	विक्रय-पत्र	14.1×50	14.1×13	17.03
12	गुल्लोबाई हज्जानी पति मुन्नु. खॉ नि 30/1 नाहरपुरा		पक्का भवन RBC	विक्रय-पत्र	14×50	14×10	13.01
13	कगलाबाई पिता गुलवीन हरीजन निवासी हा.मु. रतलाम		पक्का भवन	विक्रय-पत्र दस्तावेज पूरे उपलब्ध नहीं	23×20	11×23	23.51
14	अनवर नवाब पिता हनीफखॉ निवासी सुभाष नगर		पतरे भवन	शुदा 1 वर्षीय पट्टा 1988	10×20	10×18	16.72
15	जैनबाबाबो पति अब्दुल समद		पक्का भवन RBC	विक्रय-पत्र	11×28	11×17	17.37
16	जेतुन बी पति मोहम्मद सलीम निवासी हाट रोड रतलाम		पक्का भवन RBC	विक्रय-पत्र	11×28	11×17	17.37
17	मो. इकबाल पिता मो.नूर निवासी ता मुकाम रतलाम	सर्वे क्रमांक 67 /1 रकबा 0.017 भूमिस्वामी -हिरालाल पिता नारायण जाति कुम्हार निवासी रतलाम कृषिआ 25.50	पक्का भवन RBC	विक्रय-पत्र	11×28	11×7	17.37
18	भाहनाज पति मो. युसुफ परवेज निवासी नजीअली की चाल रतलाम	सर्वे क्रमांक 67 भूमिस्वामी -निजी	पक्का भवन RBC	विक्रय-पत्र	11×28	11×7	17.37
19	अजीज बी नब्बी खॉ निवासी ता मुकाम रतलाम	सर्वे क्रमांक 67 भूमिस्वामी -बटानम्बर पर्वू में विक्रय	पक्का भवन RBC	विक्रय-पत्र	44×28	16×17	25.29
20	मकसुद अहमद पिता अब्दुल करीम निवासी मोमीनपुरा	सर्वे क्रमांक 67 /1 रकबा 0.017 भूमिस्वामी -हिरालाल पिता नारायण जाति कुम्हार निवासी रतलाम कृषिआ 25.50	पक्का भवन	विक्रय-पत्र	11×28	11×21	21.46
21	मंगल शाह पिता पीर शाह ता मुकाम निवासी रतलाम	सर्वे क्रमांक 67/3 रकबा 0.030 भूमिस्वामी -जगन्नाथ पिता लक्ष्मण कुम्हार निवासी बरबड कृषिआ 38.70	पक्का भवन	विक्रय-पत्र	11×28	11×21	21.46
22	मुस्ताक पिता बाबु कुरेशी निवासी हा.मु. सुभाष नगर	सर्वे क्रमांक 67/2 रकबा 0.100 भूमिस्वामी - भागचन्द पिता पुरनचन्द जाति चावला निवासी रतलाम कृषिआ 129.50	पक्का भवन	विक्रय-पत्र	15×40	15×19	26.48
23	मुरुशह पिता जुम्मा शाह निवासी हा.मु. सुभाष नगर		पक्का भवन	विक्रय-पत्र	15×40	15×19	26.48
24	कययुम एहमद व रिजवान एहमद पिता इकबाल एहमद निवासी		पक्का भवन दो मंजिला गाडर	विक्रय-पत्र	15×42	15×19	26.48

	सुभाष नगर रतलाम		फर्शी रूब मंजिल RCC	RBC उपरी में		15×19	26.48
25	दयानन्द पिता सुरजमल सूर्यवंशी हा.मु. सुभाष नगर		पक्का भवन दो मंजिला गाडर फर्शी RBC	विक्रय-पत्र	15×40	15×17 15×17	23.69 23.69 नलकून 1 चालू
26	शमा बी. पति अब्दुल रज्जाक निवासी सुभाष नगर रतलाम		पक्का भवन RBC	विक्रय-पत्र	15×40	15×17	23.69
27	गोपाल पिता अंबाराम राठौर निवासी सुभाष नगर रतलाम		पक्का भवन RcC पहली मंजिल	विक्रय-पत्र पिता के नाम	21×30 11×30	21×26 11×26	50.74 26.57
28	जैबु निशा पति मोहम्मद गजनबी निवासी ता मु रतलाम		पक्का भवन	विक्रय-पत्र	8×30	8×27	20.07
29	फारुख खां पिता मुन्शी खां निवासी सुभाष नगर		दो मंजिला पक्का भवन RBC	विक्रय-पत्र	20×24	20×22 ground flor 20×22 gl uparground	40.89 40.89
30	जैनब बाई पति मम्मू खां निवासी-सुभाष नगर		पक्का भवन RBC	विक्रय-पत्र	13×26	13×13	15.70
31	खातुम बी पति फकीर मोहम्मद निवासी-सुभाष नगर		पतरे की छत	विक्रय-पत्र	13×26	13×13	15.70
32	हाजी इब्राहीम पिता अल्लाबेली निवासी-सुभाष नगर		पक्का भवन दो मंजिला RBC रूब उपरी मंजिल में RCC	विक्रय-पत्र	17.8×40	17.8×19 ground flor 17.8×19 gl uparground	31.43 31.43
33	मेहरुनि पा पति मुबीनएहमद कुरे पी निवासी कुरे पीमण्डी रतलाम	सर्वे क्रमांक 54 रकबा 0.250 मद आबादी 80प्र0 भासन	पक्का भवन RBC	विक्रय-पत्र	16×65	16×17	25.27
34	अमानत खां, इनायत खां पिता अब्दुल रशीद		दो मंजिला पक्का भवन RBC	विक्रय-पत्र	15×72	15×12 ground flor 15×12 uparground flor	16.72 16.72
35	मो. हुसैन पिता कल्लु खां निवासी सुभाष नगर रतलाम	सर्वे क्रमांक 54 रकबा 0.250 मद आबादी 80प्र0 भासन	पक्का भवन RBC	विक्रय-पत्र	15×65	15×6	8.37
36	अब्दुल रशीद पिता अब्दुल शकुर निवासी सुभाष नगर		पक्का भवन पतरे जुदा	विक्रय-पत्र	15×63	15×7	9.75
37	चन्द्रकाता पति शातिलाल निवासी-सुभाष नगर		पक्का भवन तीन मंजिला RBC	विक्रय-पत्र	15×60	15×7 gorund flor 15×7 gl flor 15×7 g2 flor	9.75 9.75 9.75
38	ताज मोहम्मद पिता अब्दुल करीम निवासी सुभाष नगर	सर्वे क्रमांक 52/1 रकबा 0.163 भूमिस्वामी -अब्बासमाई पिता तैय्यब अली बोहरा निवासी रतलाम कृषि भिन्न आ 1य भू-राजस्व 135.51	पक्का भवन RBC	विक्रय-पत्र	15×60	15×9	12.54
39	मोहम्मद असलम पिता अब्दुल रहमान निवासी- मोमीनपुरा, रतलाम		पक्का भवन RBC	विक्रय-पत्र	15×60	15×9 total	8.36 4.18 tin 12.54
40	मकबुल हुसैन पिता मो. हुसैन	सर्वे क्रमांक 52/8 रकबा 0.017	पक्का भवन	विक्रय-पत्र	15×60	15×9	8.36

	निवासी सुभाष नगर	भूमिस्वामी -निसार एहमद पिता मोहम्मद कृषि भिन्न आ आय 14.52	RCC नलकूप 1			total	4.18 नलकूप 1 total
41	जन्तबाई पति छोटे खां निवासी सुभाष नगर	सर्वे क्रमांक 52/5 रकबा 0.020 भूमिस्वामी - मल्काबी पति भाबीर एहमद व जन्तबाई पति छोटे खां निवासी रतलाम कृषि भिन्न आ आय 25.95	पक्का भवन RCC	विक्रय-पत्र	15×60	15×12	16.72
42	मलका पति शबीर एहमद निवासी सुभाष नगर	सर्वे क्रमांक 52/5 रकबा 0.020 भूमिस्वामी - मल्काबी पति भाबीर एहमद व जन्तबाई पति छोटे खां निवासी रतलाम कृषि भिन्न आ आय 25.95	पक्का भवन RBC दो मंजिला भवन	विक्रय-पत्र	15×60	15×10	13.94 4.18 total
43	सलमा बी पति इकबाल एहमद मंसूरी	सर्वे क्रमांक 52/1 रकबा 0.163 भूमिस्वामी -अब्बासमाई पिता तैयब अली बोहरा निवासी रतलाम कृषि भिन्न आ आय भू-राजस्व 135.51	पक्का भवन दो मंजिला RBC एवं 1 नलकूप	विक्रय-पत्र	30×50	8×30 plot & 8×16 gader total 368 ft	22.30 plot g+1 11.89 total ground 11.89 g+1 1 नलकूप
44	(छोटी बी पति अल्लामियाँ) शहनाज पति युसुफ परवेज		पक्का भवन पतरे जुदा	विक्रय-पत्र	15×50	15×8	11.15
45	अजीजा बी पति शेख अब्दुल हनीफ निवासी सुभाष नगर		पक्का भवन पतरे जुदा	विक्रय-पत्र	15×50	15×8	11.15
46	शम्भुलाल पिता अम्बाराम व दुर्गाबाई पति शंभुलाल	सर्वे क्रमांक 48 रकबा 0.430 मद चरनोई भासकिय नजूल म.प्र.भा.	पक्का भवन	स्थायी पट्टा	18×30	18×13 m	21.74
47	मनोहर पिता पुनमचन्द व सोहनबाई पति मनोहरलाल निवासी- सुभाष नगर	सर्वे क्रमांक 48 रकबा 0.430 मद चरनोई भासकिय नजूल म.प्र.भा.	पक्का भवन दो मंजिला RBC	स्थायी शासकीय आवासीय पट्टा	11×49	11×12.9	13.03 13.03 g+1 total
48	जीवचरण पिता बगदीराम व शांतिबाई पति बगदीराम निवासी- सुभाष नगर		पक्का भवन पतरे मकान	स्थायी पट्टा	10×45	10×15	13.94
49	हंसाबाई पति बद्रीलाल निवासी- सुभाष नगर		पक्का भवन पतरे मकान	स्थायी पट्टा	17×45	17×15	23.69
50	जगदीश पिता रामचन्द्र चौहान निवासी रतलाम		पक्का भवन पतरे भुदा मकान	स्थायी पट्टा	15×42	10×15	13.94
51	दिलीप कुमार पिता कन्हैयालाल व निर्मलाबाई पति दिलीप निवासी सुभाष नगर		पक्का भवन पतरे भुदा मकान	स्थायी पट्टा	11×28	12×15	16.72

52	सावित्री (शांतीदेवी) पति विजयकुमार			पक्का भवन भुदा मकान	पक्का पतरे	स्थायी पट्टा	20×34	15×13	18.12
53	कमलाबाई पति कन्हैयालाल पट्टाधारी तालाबंद नही मिली			कच्चा					0.00
54	रुपाबाई पति कामलसिंह निवासी-सुभाष नगर			कच्चा		स्थायी पट्टा	12×34	12×13	14.49
55	जगदीश पिता पृथ्वीराज व लीलाबाई पति जगदीश			कच्चा		स्थायी पट्टा	13×24	13×13	15.70
56	मसीउद्दीन पिता कुतुबुद्दीन व फातिमा बी. पति मसीउद्दीन			कच्चा		स्थायी पट्टा	10×33	10×13	12.08
57	जुवेदा बी. पति मुन्ना निवासी रतलाम			कच्चा		स्थायी पट्टा	10×20	12×13	14.49
SIDE - B									
58	बन्नीलाल पिता नन्दराम निवासी- सुभाष नगर	सर्वे क्रमांक 71 रकबा -2.010 मद-चरनोई नजूल म0प्र0 पासन दो वार्षिक पट्टे एक ही व्यक्ति के द्वारा अलग-अलग प्राप्त करे गये अथवा समाप्त समस्त भूमि शासकिय		कच्चा / ईट की दीवार फर्श पतरे मकान		शासकीय पट्टादार दिनांक 17. 11.1980 को एक (1) 2 वर्षीय पट्टे जारी	12×14.6 & 11×20 =23×34.6	23×31	66.26
59	अर्जुन पिता सुरेश नेका निवासी- सुभाष नगर, रतलाम	सर्वे क्रमांक 71 रकबा -2.010 मद-चरनोई नजूल म0प्र0 पासन भासकिय भूमि में अतिक्रमण कर रखा है अन्य को पट्टा खरीदा है		पक्का		अतिक्रमण	-		7.24
60	बाबुलाल पिता भूरालाल निवासी- सुभाष नगर	सर्वे क्रमांक 71 रकबा -2.010 मद-चरनोई नजूल म0प्र0 पासन		पक्की एक दुकान		1 वर्षीय आवासीय शासकीय पट्टा आवासीय मिला था		9.18×11.15	9.52
61	मोहनलाल पिता चंपालाल वर्मा निवासी- 630, सुभाष नगर	सर्वे क्रमांक 62 रकबा -0.050 मद-रास्ता नजूल म0प्र0 पासन		मौक पर आईस फेक्ट्री		1 वर्षीय शासकीय पट्टा मेताबबाई पति बालकदास के नाम	0		12.40
62	मांगीलाल पिता जोगराम निवासी सुभाष नगर	सर्वे क्रमांक 62 रकबा -0.050 मद-रास्ता नजूल म0प्र0 पासन		आवासीय मकान ईट की दीवार पतरे की छत		शासकीय पट्टादार दिनांक 17. 11.1980 को एक (1) वर्षीय पट्टा जारी	13.20×1 3.50	17×13	20.53
63	नागू महाराज पिता रामलाल निवासी सुभाष नगर	सर्वे क्रमांक 62 रकबा -0.050 मद-रास्ता नजूल म0प्र0 पासन		पतरे का मकान		शासकीय पट्टा 1 वर्षीय	14.76×1 0.82	14.76×10.82	14.85
64	शकिना बेवा वफानी	सर्वे क्रमांक 62 रकबा -0.050 मद-रास्ता नजूल म0प्र0 पासन		दुकान एवं कच्चा मकान पतरेशुदा		शासकीय पट्टा 1 वर्षीय	15.08×1 4.76	15.08×14.76	20.70

65	अब्दुल मजीद, अब्दुल हमीद, उमर फारूख, अफजल हुसैन, फजल हुसैन, इमरान हुसैन, इरफान हुसैन पिता मोहम्मद	सर्वे कर्मांक 85/1 रकबा 0.300 भूमिस्वमी - मोती उर्कोर पिता नानुराम चुन्नीबाई बैवा नानुराम जाति नायक कृषि भिन्न आ ाय भू-राजस्व 415.90	कच्चा अस्तबल पिछे की ओर	स्वयं के नाम से रजि. विक्रयपत्र से क्रय	39×18.6 & 34.31×3 1.6	34×4	12.63
66	अयोध्याबाई पति सुखराम दास	सर्वे कर्मांक 62 रकबा 0.50, मद-रास्ता नजूल मण्डल गसन	पक्का मकान	पति के नाम से 17.11.1989 को एक (1) वर्षीय आवासीय पट्टा एवं 1985 को 30 वर्षीय अस्थाई पट्टा जारी किया गया	18.55×1 3.20	18.55×33.88	22.22
67	रसीदा बानोपति गुलाम एहमद निवासी- सुभाष नगर रतलाम	सर्वे कर्मांक 65/1 रकबा 0.300 भूमिस्वमी - मोती उर्कोर पिता नानुराम चुन्नीबाई बैवा नानुराम जाति नायक कृषि भिन्न आ ाय भू-राजस्व 415.90	पक्का मकान पक्का भवन RBC	स्वयं के नाम से रजि. विक्रयपत्र से क्रय	19.56	19×14	24.72
68	अनीशा बी पति मोहम्मद इस्माईल निवासी राजेन्द्र नगर		प्लॉट	रजिस्ट्री	11×50	11×13	13.30
69	जफर बानो पति मोहम्मद निसार मंसूरी निवासी- सुभाष नगर		पक्का मकान RBC	स्वयं के नाम से पंजीकृति विक्रयपत्र से क्रय	18×60	18×14	23.42
70	अनवर खां पिता बशीर खान निवासी - सुभाष नगर		कच्चा लकड़ी का कारखाना RBC	रजिस्ट्री से क्रय	17.8×60	17.8×15	24.81
71	अब्दुल रउफ पिता मम्मु खान मेवाती, आजरा बी पति अब्दुल रउफ मेवाती 131, सुभाष नगर, रतलाम		पक्का मंजिला भवन RBC	2 रजिस्ट्री द्वारा क्रय	21×61	21×15	29.27 ground 29.27 g+1 total
72	(नाथू पिता खीमा)के वारिसान के वारिसान कन्हैयालाल पप्पू भारत पिता नाथू व पुत्रियों लक्ष्मी रामी रम्मा रानी पिता नाथू व सनी संजु व मैना पिता रामसिंह व सोनीबाईबैवा रामसिंह निवासी- सुभाष नगर	पक्का मंजिला भवन RBC	2 विक्रय-पत्र	11×20.1 0	11×16	16.35 ground 16.35 g+1 total	
73	(पुनमचंद पिता फकराजी) के वारिसान रमे चन्द्र अम्बाराम पिता पुनचन्द खटीक	सर्वे कर्मांक 65/1 रकबा 0.300 भूमिस्वमी - मोती उर्कोर पिता नानुराम चुन्नीबाई बैवा नानुराम जाति नायक कृषि भिन्न आ ाय भू-राजस्व 415.90	पक्का मंजिला भवन RBC	2 विक्रय-पत्र	20×20	20×18	33.45 33.45
74	मो. अमीर पिता अब्दुल रहमान अंसारी निवासी-70, हाट रोड़, पुलिस चौकी के सामने, रतलाम	पक्का मकान RBC	विक्रय-पत्र	20×20	20×20	37.17	
75	मंगलीबाई उर्फ मंगाबाई पति रामलाल निवासी सुभाषनगर रतलाम	पक्का भवन पतरे जुदा	विक्रय-पत्र	17.6×40	17.6×18	29.44	

76	शांतीलाल पिता मदनलाल निवासी- सुभाष नगर व कमलाबाई		पक्का मकान RBC	विक्रय-पत्र	12.50×5 6	12.50×20	23.23
77	ईस्माईल पिता नन्ने खां घौसी निवासी- सुभाष नगर		पक्का भवन 2 मंजिला पक्का भवन RCC	विक्रय-पत्र	15×47	15×22	30.66 13.94 m g+1
78	अशरफ नुर पति नबी नुर खां निवासी-सुभाष नगर	सर्वे क्रमांक 64 मद आबादी रकबा 0.050 नजूल म0प्र0 भासन	पक्का भवन RBC	विक्रय-पत्र		17×12.5	19.75
79	शहजादी बानोपति अब्दुल बशर कुरैशी (अब्दुल बशर पति नजीम मोहम्मद)		पक्का भवन	विक्रय-पत्र	12.6+15 =13.8×4 5	17×12.5	19.75
80	मथुरासिंह पिता दुर्गासिंह राजपूत निवासी- सुभाष नगर, रतलाम		पक्का भवन पक्का 2 मंजिला भवन RcC	विक्रय-पत्र	12×60	12×17	18.96 g 18.96 g+1
81	कालू शाह पिता जुम्मा शाह निवासी- सुभाष नगर		दीवारें ओपन बराहदा	विक्रय-पत्र	15×60	15×17	23.69
82	पिरुदास पिता भेरुदास निवासी- सुभाष नगर		पक्का भवन RBC	विक्रय-पत्र	18.6×56 .3	18.6×17	29.38
83	अकीला बी. पति सलीम शाह व मुबारिक पिता बशीर शाह	सर्वे क्रमांक 66 रकबा-0.090 भूमिस्वामी -नगरपालिका कर्मचारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित भूरा-119.90	दो मंजिला पक्का भवन RBC	विक्रय-पत्र	11×45	11×17	17.38 G 17.38 G+1
84	झोपड़ी बंद अब्दुल गीद ,नईम,अ अजीज अनवर भूरा आ ग सलमा असमा भाराफतबी पिता हाजी अब्दुल लतीफ		झोपड़ी कच्चा	विक्रय पत्र	11×45	11×17	17.38
85	चन्द्रकांता पति भेरुलाल निवासी सुभाष नगर	सर्वे क्रमांक 66 रकबा-0.090 भूमिस्वामी -नगरपालिका कर्मचारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित भूरा-119.90	प्लॉट खाली			17×12	34.75
86	मोहम्मद युसुफ पिता हाजी अब्दुल रहीम निवासी 133 नाहरपरा रतलाम		दुकान कच्ची	विक्रय -पत्र	8.10×45	8.10×17	12.80
87	अब्दुल हमीद पिता अब्दुल गफ्फार निवासी-रतलाम		पक्का भवन RBC	विक्रय-पत्र	11×45	11×18	18.40
88	खुशीद एहमद पिता नुर मोहम्मद पिंजार रतलाम		दो मंजिला पक्का भवन RBC	विक्रय-पत्र	19.3×50	19.3×18	32.28 32.28 g+1 total
89	अख्तर बी पति सलीम भाह निवासी सुभाष नगर		पक्का भवन RBC	विक्रय-पत्र	22×45	22×10.5	21.46
90	मोहम्मद बाबू खां पिता अल्ला बेली खां		दो मंजिला पक्का भवन पक्का भवन RBC	विक्रय-पत्र	42×47	42×17	66.35 66.35
91	मुबारिक हुसैन पिता गुलाम एहमद निवासी-सुभाष नगर		कच्चा पतरे का घर	विक्रय-पत्र	15×58	15×16	22.30
92	जरीज पिता खुदा बक्श कालू वगैरहा किरायेदार द्वारा बताया गया सूचनादी गई जल्द कागजाद मिलेंगे		पक्का भवन RBC	विक्रय-पत्र		11×23	23.51
93	इसरार एहमद पिता मोहम्मद इस्माईल निवासी हाटरोड व मोहम्मद इदरि 1 पिता अब्दुल हफीस निवासी धनजीबाई का		खाली प्लॉट	विक्रय पत्र	2470 ft2	32.6×16	48.47

क्र.	व्यक्ति/पिता	सर्वे क्रमांक	रकबा	मद	पक्का	विक्रय-पत्र	10x12	8.9x12	9.92
94	नोहरा व इरफान पिता अल्लाउद्दीन निवासी धनजीबाई का: नोहरा रतलाम (काले खौं पिता सलीम खौं के नाम दिवानामा)शकील पिता काले खौं				झोपडी	वसीयत नाम अनुबन्ध-पत्र	10x12	8.9x12	9.92
95	रउफ पिता हुमायुं खौं- नसीर बानो पति हुमायुं खान				दो मंजिला पक्का भवन RBC उपरी मंजिल की छत पर टीन	विक्रय-पत्र	10x40	10x28	26.02
96	रसीद पिता रफीक खौं	सर्वे क्रमांक 68	रकबा-0.090	भूमिस्वामी -नगरपालिका कर्मचारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित भूरा-119.90	दो मंजिला पक्का भवन RBC	विक्रय-पत्र	11.6x20	11.6x20	21.56
97	सलीम पिता अमीर बक्श	सर्वे क्रमांक 54	रकबा 0.250	मद आबादी म090 भासन	दो मंजिला पक्का भवन RBC उपरी मंजिल की छत पर टीन	विक्रय-पत्र	11x20	11x20	20.44
98	नाहरु खौं पिता जूम्मा खौं निवासी सुभाष नगर				पक्का भवन RBC	विक्रय-पत्र	14.6x24	14.6x20	27.13
99	सलीम शाह, पिता यासिन शाह फकीर निवासी				कच्चा मकान	दिवानामा विक्रयपत्र	11x13	11x13	13.29
100	गनी शाह पिता यासिन शाह फकीर				कच्चा मकान	दिवानामा विक्रयपत्र	11x13	11x5	5.11
101	चांद बी. पति तनवीर एहमद निवासी-हाट रोड़, रतलाम	सर्वे क्रमांक 52/1	रकबा 0.163	भूमिस्वामी -अब्बासभाई पिता तैय्यब अली बोहरा निवासी रतलाम कृषि भिन्न आ।य भू-राजस्व 135.51	पक्का RBC	विक्रय-पत्र	15x20	20x10	18.58
102	शाकीर पिता नाहरु शाह निवासी-हाट रोड़, रतलाम				पक्का RBC	विक्रय-पत्र	15x28.6	28.6x13	34.55
103	सज्जनबाई पति रामनारायण तेली निवासी सुभाष नगर रतलाम				पक्का RBC	विक्रय-पत्र	20x40	20x26	48.32
104	मोहम्मद अयान पिता मतोहम्मद युनस व इम्तियाज बी पति मो युनुस निवासी सुभाषनगर				पक्का	विक्रय-पत्र	21x15	15x21	29.27
105	नूरजहां पति मंगलशाह निवासी सुभाष नगर रतलाम				कच्चा पतरा	विक्रय-पत्र	15x19	15x19	26.48
106	नदीम मोहम्मद व वसीम पिता न्याज मोहम्मद निवासी ता मुकाम सुभाषनगर				पक्का	विक्रय-पत्र	27x27	27x11	27.60
								27x16	40.14
								27x27 total	67.74
107	5 दुकाने पक्की छोदू हज कमेटे	सर्वे क्रमांक 53	रकबा 0.150	दरगाह हैदरअली भाह सर.गिरोहे सैलाना जान भोकतअली भाहगुरु हैदरअली भाह भूरा 1.41 मद चरनोई भासकिय नजूल म.प्र.भा.	पक्का	भूमि	50x26	50x26	120.81
108	3 दुकाने छोदू हज कमेटे	सर्वे क्रमांक 48	रकबा 0.430	मद चरनोई भासकिय नजूल म.प्र.भा.	पक्का	अतिकमण	13.5x31	13.5x31	38.89
109	कन्नस्थान का गेट सरकारी कन्नस्थान की बाउंड्री 6 फिट एवं लोहे का गेट	सर्वे क्रमांक 48	रकबा 0.430	मद चरनोई भासकिय नजूल म.प्र.भा. में कन्नस्थान का गेट एवं 40 लेंबाई की 6 फिट उंची दिवार एवं अन्य दिवार सर्वे क्रमांक 666 मद कन्नस्थान	पक्का	भायकीय	80x8	80x8	145.00

(1) पूर्व से कायम सुभाषनगर-विरीयाखेडी मार्ग के अतिरिक्त मार्ग कि उत्तरी दिशा में साईड A

क्रमांक	सर्वे क्रमांक	सर्वे क्रमांक का कुल रकबा	आहरण किये जाने वाली भूमि का रकबा वर्गमीटर में।	विवरण
निजी भूमि सर्वे क्रमांक				
1	65/1,65/2,65/3, 65/4	0.330	203.84 वर्गमीटर	
2	67/1,67/2,67/3, 67/4,67/5	0.197	377.82 वर्गमीटर	
3	52/1,52/2,52/3, 52/4,52/5	0.223	104.52 वर्गमीटर	
योग निजी भूमि			686.18 वर्गमीटर	
भासकिय भूमि सर्वे क्रमांक				
4	71	2.010 चरनोई	224.90 वर्गमीटर	
5	54	0.250 आबादी (गांवठान)	182.74 वर्गमीटर	
6	48	0.480 चरनोई	177.67 वर्गमीटर	
योग शासकिय भूमि			585.31 वर्गमीटर	

(1) पूर्व से कायम सुभाषनगर-विरीयाखेडी मार्ग के अतिरिक्त मार्ग कि दक्षिणी दिशा में साईड B

क्रमांक	सर्वे क्रमांक	सर्वे क्रमांक का कुल रकबा	आहरण किये जाने वाली भूमि का रकबा वर्गमीटर में।	विवरण
निजी भूमि सर्वे क्रमांक				
1	65/1,65/2,65/3, 65/4	0.330	298.45 वर्गमीटर	
2	66	0.090	372.58 वर्गमीटर	
3	52/1,52/2,52/3, 52/4,52/5	0.223	184.80 वर्गमीटर	
4	53	0.150	120.81 वर्गमीटर	
योग निजी भूमि			976.64 वर्गमीटर	
भासकिय भूमि सर्वे क्रमांक				
क्रमांक	सर्वे क्रमांक	सर्वे क्रमांक का कुल रकबा	आहरण किये जाने वाली भूमि का रकबा वर्गमीटर में।	विवरण
5	71	2.010 मद-चरनोई	16.76 वर्गमीटर	
6	62	0.050 रास्ता	22.22 वर्गमीटर	
7	64	0.050 आबादी गांवठान	111.53 वर्गमीटर	
8	54	0.250 आबादी गांवठान	65.97 वर्गमीटर	
9	48	0.480 चरनोई	38.89 वर्गमीटर	
10	666	2.280 कब्रस्तान	145 वर्गमीटर	
योग शासकिय भूमि			400.37 वर्गमीटर	

2. भूमि का नक्शा व प्लान का निरीक्षण :- अनुविभागीय अधिकारी भू-अर्जन अधिकारी उपखण्ड रतलाम शहर के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रुचिका चौहान, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बैतूल, समुचित सरकार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग

क्र. 05-अ-82-2019-20-वलनी-12852

बैतूल, दिनांक 3 दिसम्बर 2019

चूंकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक -1 के कॉलम (1) से (4) में वर्णित भूमि की, की अनुसूची के कालम (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित रकबा क्षेत्रफल (हे. में)	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
बैतूल (म.प्र.)	मुलताई	वलनी	2.745	कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग मुलताई, जिला बैतूल	वलनी लघु जलाशय

अनुसूची-2

(प्रभावित धारकों की सूची)

क्र.	भूमिस्वामी का नाम	खसरा नं.	कुल रकबा हे०	अर्जित रकबा हे०
1	2	3	4	5
1	बिसराम व.मलकाराम जाति गोंड सा.देह	233/2	1.646	0.120
2	धनराज पिता मलकाराम जाति गोंड सा.देह	233/3	2.000	0.145
3	कोमा पिता मलकाराम, जाति गोंड सा.देह	233/4	3.000	0.095
4	साहेबराव वल्द संतोषराव, पता सा.देह भूमि स्वामी	251/2	2.427	0.265
5	हरि वल्द तेजीलाल, चंदा पिता तेजीलाल जाति तेली नि. ग्राम भूस्वामी	201/1	5.107	0.036
6	हरि वल्द तेजीलाल, चिन्धी पिता तेजीलाल सा.देह	200	0.057	0.020
7	नीलू पिता पंजाबराव, संजय वल्द वामनराव, इन्दु वल्द नरसिंगराव, रेशमी पिता वामनराव, यंशवराव वल्द वामनराव केशोराव वल्द नरसिंगराव, ज्योति वल्द वामनराव, आनंदराव वल्द नरसिंगराव, नयना पिता पंजाबराव, हरिश वल्द पंजाबराव, उज्वला पिता वामनराव अजय पिता पंजाबराव संगीता पिता पंजाबराव, दीपा पिता वामनराव, अरुण पिता पंजाबराव शीला पिता पंजाबराव कविता पिता पंजाबराव जाति मराठा भू-स्वामी	237	22.561	0.825

8	कमला बेवा पंजाबराव, भावना पिता पंजाबराव, रविन्द्र वल्द पंजाबराव, ललित वल्द पंजाबराव कुंबी सा.देह	59/1	2.382	0.223
9	कृष्णराव वल्द गेंदू, जाति कुंबी भूस्वामी	59/2	2.381	0.223
10	कृष्णराव वल्द गेंदू, उर्मिला पिता गेंदू, आशा पिता गेंदू, कमला बेवा पंजाबराव, रविन्द्र, ललित वल्द पंजाबराव जाति कुंबी भूस्वामी	57/1	2.574	0.230
		79	0.109	0.041
11	पढरी वल्द फुन्दू, सकु, सुशीला, निर्मला पिता फुन्दू कुन्बी सा.देह भूस्वामी	57/2	2.400	0.235
12	जुगना बेवा ओझीलाल, ब्रजलाल, राजेश, सूरजलाल, हरजीलाल वल्द ओझीलाल, कला पिता ओझीलाल जाति गोंड भू-स्वामी	36/2	2.663	0.016
13	नत्थू, नथन वल्द पुगन्सा जाति गोंड नि. ग्राम भू-स्वामी	238/1	1.939	0.030
कुल योग :-		14	51.990	2.745

1- चूंकि वलनी लघु जलाशय हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है। धारा-4 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण दल द्वारा अनुशासित प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है जिसका पृथक से प्रकाशन किया जा रहा है।

2.- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) मुलताई के कार्यालय में किया जा सकता है।

3.- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर (भूमि अर्जन), बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा।

4. समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

क्र. 07-अ-82-19-20-ढोढारामोहाड-12868

चूँकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची कमांक -1 के कालम (1) से (4) में वर्णित भूमि की, की अनुसूची के कालम (6) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कमांक 30 सन 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची-1

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल(हे०में)	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
बैतूल (म०प्र०)	बैतूल	ढोढारामोहाड	14.114	कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क.2 बैतूल जिला बैतूल (म०प्र०)	घोघरी मध्यम परियोजना

अनुसूची - 2
(प्रभावित धारको की सूची)

क्र.	भूमि स्वामी का नाम	खसरा नम्बर	कुल रकबा हे०	अर्जित रकबा हे०
1	2	3	4	5
1	मयाराम पिता रंजू,प्रेमलाल पिता रन्जू,संजू,जयराम,सुशीला, सुनील,रुशीला पिता जयराम, समीरा ना.बा. जयराम, फर्घुनी संरक्षक भाई संजू, मीरा बे. सेवाराम,संदीप,सावित्री पिता सेवाराम, सा.देह, भू-स्वामी	61	2.096	2.096
2	गंगा बे. गेन्द्या, रामराव, विठठलराव पिता गेन्द्या, जाति कुंबी, सा.देह भू-स्वामी	59	1.975	1.975
3	पान्छू पिता तेजी, भूरो,भागा,अमरूी पिता गोन्डू, सुखराम,सुकु पिता डोमू, तुकाराम पिता बुधसिंग, जाति गोंड, सा.देह भू-स्वामी	56/1	24.680	3.680

4	बिरु, नारु, सुरजू, बिरजू, मिल्लो, सोमती, कमला पिता नन्हू, दमला बे. नन्नहू, बिहारी, गुडडो पिता नजरसिंग, लक्खू, लक्ष्मण, रामकली, सुमरती, कम्मों पिता गोरख	180	0.202	0.202
5	रामकली जौ. किसनलाल जाति गोंड, सा. देह भू-सवामी	88	0.397	0.397
6	नरेश पिता सुखदयाल, कुंती बे. सुखदयाल, अशोक, विनोद, सरोज, पुष्पा पिता सुखदयाल, परसराम, रामनाथ, कन्हैयालाल पिता रामदीन	174	5.767	5.767
	योग:-		35.117	14.114

1- चूंकि घोघरी मध्यम परियोजना हेतु, हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है। धारा 11 की उपधारा (3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश समिति द्वारा तैयार किया गया है, जिसका प्रकाशन पृथक से समुचित सरकार की वेबसाइट, स्थानीय स्तर तथा स्थानीय दो समाचार पत्रों में किए जाने हेतु कार्यवाही की जा रही है।

2- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा) बैतूल के कार्यालय में किया जा सकता है।

3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर (भूमि अर्जन) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा।

4- समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

क्र. 08-अ-82-2019-20-गुढी-12870

चूँकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक -1 के कालम (1) से (4) में वर्णित भूमि की, की अनुसूची के कालम (6) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची-1

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल(हे०में)	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
बैतूल (म०प्र०)	बैतूल	गुढी	7.400	कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क.2 बैतूल जिला बैतूल (म०प्र०)	घोघरी मध्यम परियोजना

अनुसूची - 2
(प्रभावित धारको की सूची)

क्र.	भूमि स्वामी का नाम	खसरा नम्बर	कुल रकबा हे०	अर्जित रकबा हे०
1	2	3	4	5
1	जगन व. गंजू जाति गोंड, सा.देह, भू-स्वामी	55/1	4.251	0.324
2	खमिया पुत्री गोमा, जाति गोंड, सा.देह भू-स्वामी	58/1	1.618	0.157
3	देवलाल पिता चंदू पता बैतूल सा.देह भू-स्वामी	58/2	1.611	0.158
4	गुलाब, नजर व. फगन, समति, फुल्लो पुत्री फगन जाति गोंड, सा.देह भू-स्वामी	59/1	1.343	0.178
5	सुनीता पुत्री जग्गू जाति गोंड, सा.देह भू-स्वामी	59/2	1.611	0.178
6	श्रीराम,सीताराम व. मुकिन्दराव,लक्ष्मी,जयवंती कला, सकुन, सुशीला, जाति गाडरी, पता सा.देह.धनोरी, भू-स्वामी मुकिन्दराव,नान्ही बे.कल्लु, गित्तू महेन्द्र व. कल्लू ललता,संगीता,मनीषा,पुनम,सावला,मनीष पिता कल्लु,जाति गाडरी, सा.देह.भू-स्वामी	72/2	3.128	0.218

7	शेखनसीर पिता शेख खादिम, शेख रफीक पिता शेख खादिम, बिलकिस पिता शेख खादिम, खुर्शीद पिता शेख खादिम, शेख नसीर पिता शेख विराम, शेखजफर पिता शेख खादिम, शेख वहाब पिता शेख विराम अनबीशेखकदीर पिता शेखविराम जाति मुसलमान, पता बैतूल, सा.देह भू-स्वामी	184	2.647	0.049
8	मु. चैती,बाजी,सुमन,कमला,इमला पुत्री बाजी झब्बा व. सिरपत, जाति तेली, पता सा.धनोरा भू-स्वामी	191	9.862	3.901
9	किशोरी पिता तेजी, प्रहलाद पिता तेजी, फुल्लो पुत्री तेजी, चुन्नी पिता गणपत, चैती बे. बाजीलाल जाति तेली पता बैतूल सा.देह भू-स्वामी	192 193 194	13.011 0.125 0.186	1.465 0.125 0.186
10	कानूलाल,आनंदराव व. मानसिंग, खब्बू फुला, रामकला पिता मानसिंग, मैनी बे.मानसिंग, जाति गोंड, सा.देह.भू-स्वामी	265/1	2.257	0.113
11	मदन,अमरू व. असीला, जिवली बे. टिबू मंगल,जुगू जगदीश व.टिबू जाति गोंड, सा.देह. भू-स्वामी	270	2.962	0.307
12	गंगा बे. मंगल, गुल्लू पिता मंगल, वत्सला बेवा गुलबू फूलाजी पिता ढीमरा, ज्योति पुत्री गुलबू, रूमासिंग पिता ढीमरा, सोनाजी पिता ढीमरा, मुनिया, चुनिया पुत्री ढीमरा, नन्हू पिता जादू, मूली, नान्ही, हसलो पुत्री जादू, सुमित्रा बेवा मनोहरी, दिलीप, राजकुमार, पिता मनोहरी, रामवती,मंधा, पुत्री मनोहरी, मादू पिता रंगू जाति गोंड पता सा.देह. भू-स्वामी	271	3.339	0.041
	योग:-		47.951	7.400

1- चूंकि घोघरी मध्यम परियोजना हेतु, हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है। धारा 11 की उपधारा (3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश समिति द्वारा तैयार किया गया है, जिसका प्रकाशन पृथक से समुचित सरकार की वेबसाइट, स्थानीय स्तर तथा स्थानीय दो समाचार पत्रों में किए जाने हेतु कार्यवाही की जा रही है।

2- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा) बैतूल के कार्यालय में किया जा सकता है।

3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर (भूमि अर्जन) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा।

4- समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

क्र. 13-अ-82-2019-20-मौजा बिजासनी-12850

बैतूल, दिनांक 3 दिसम्बर 2019

चूंकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक -1 के कॉलम (1) से (4) में वर्णित भूमि की, की अनुसूची के कालम (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
बैतूल (म.प्र.)	आठनेर	बिजासनी	18.481	कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग मुलताई, जिला बैतूल	बिजासनी स्टोरेज जलाशय

अनुसूची-2
(प्रभावित धारकों की सूची)

क्र.	भूमिस्वामी का नाम	खसरा नं.	कुल रकबा हे० में	कुल अर्जित रकबा हे० में
1	2	3	4	5
1	लक्ष्मणराव व. गोपालराव, जाति मराठा, पता निवासी मांडवी, भूमि-स्वामी	73/13	0.198	0.028
2	प्रमोद व. पंजाबराव, संगीता, गीता, सरिता वि. पंजाबराव, लीलाबाई बे. पंजाबराव, श्रीधरराव व. खुशरंगराव, विनोद व. त्रम्बकराव, बुल्लो, भूरी पि. त्रम्बकराव ना.बा. वली मां कला ना.बा. वली मां अलका बेवा केसोराव, जाति मराठा, पता सा. मांडवी	60	0.737	0.737
		63	5.253	2.946
		58	11.097	3.132
3	गुणवन्तराव व. कमलाकर राव, जाति मराठा, पता निवासी मांडवी, भू-स्वामी	62	0.146	0.146
4	बाबाराव पिता शंकरराव, जाति मराठा, पता निवासी मांडवी, भूमि-स्वामी	12	3.553	0.526
5	महादेव, सहादेव पिता विठ्ठलराव, चिन्धी, चन्द्रकला पिता विठ्ठलराव, सरस्वती पिता गेंदराव, पता सा. मांडवी, भूमि-स्वामी	40	6.232	0.130

6	माखनलाल व. आत्माराम, जाति किराड़, पता निवासी मांडवी, भू-स्वामी	41/1	0.118	0.057
		59/1	0.132	0.132
7	श्रीराम व. आत्माराम, जाति किराड़, पता सा. मांडवी, भू-स्वामी	41/2	0.115	0.048
		59/2	0.132	0.132
8	नारायण व. आत्माराम, सुन्दर बेवा आत्माराम, जाति किराड़, सा. मांडवी	41/3	0.115	0.057
		59/3	0.132	0.132
9	मिश्रीलाल व. आत्माराम, सुन्दर बेवा आत्माराम, जाति किराड़, सा. मांडवी, भू-स्वामी	41/4	0.115	0.057
		59/4	0.132	0.132
10	हरिराम व. आत्माराम, सुन्दर बेवा आत्माराम, जाति किराड़, सा. मांडवी, भू-स्वामी	41/5	0.115	0.065
		59/5	0.132	0.132
11	पूर्णा पिता गिरधर, जाति किराड़, सा. मांडवी, भू-स्वामी	41/6	0.526	0.323
		59/6	0.360	0.360
12	पूरन वल्द श्यामलाल, जाति गाडरी, भूमि स्वामी, पता निवासी ग्राम	195/1	1.896	0.032
		197/1	2.897	0.384
13	टुकडु वल्द श्यामलाल, जाति गाडरी, भूमि स्वामी, पता निवासी ग्राम	195/2	1.895	0.833
		197/2	2.898	2.266
14	नामदेव उर्फ भामदेव वल्द श्यामलाल, जाति गाडरी, पता निवासी ग्राम, भूमि स्वामी	195/3	1.895	1.719
		197/3	2.897	2.205
15	विजय व. सुखदेव, जाति किराड़, सा. मांडवी	198/1	1.709	0.397
16	धनराज, भरतलाल, लखनलाल व. परसु, कलसिया बेवा परसु, सुन्दर पिता परसु, जाति किराड़, सा. मांडवी	198/2	1.326	0.154
17	दशरथ, दीपचंद, प्रेमचंद व. तुरसी, तुलसिया बेवा तुरसी, शान्ता, द्वारका, नवला, जयवन्ती, सया पिता तुरसी जाति किराड़, सा. मांडवी, भू-स्वामी	198/3	1.357	0.227
18	चेपा, अर्जुन व. कली, कला, सरस्वती, सोमती पिता कली, जाति किराड़, पता निवासी ग्राम भू-स्वामी	198/4	2.203	0.591
19	ओमप्रकाश व. सुखदेव, जाति किराड़, सा. मांडवी	198/16	1.708	0.401
कुल योग :-		30	52.021	18.481

1. चूंकि बिजासनी स्टोरेज जलाशय हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है। धारा-4 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण का अनुशसित प्रतिवेदन प्राप्त जिसका पृथक से प्रकाशन की कार्यवाही प्रचलित है।
2. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) भैंसदेही के कार्यालय में किया जा सकता है।
3. कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर (भूमि अर्जन), बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा।
4. समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

क्र. 14-अ-82-2019-20-मौजा ब्राह्मणवाड़ा-12844

चूँकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक -1 के कालम (1) से (4) में वर्णित भूमि की, की अनुसूची के कालम (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है।

अनुसूची-1

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल (हे.मे)	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
बैतूल (म.प्र.)	आमला	ब्राह्मणवाड़ा	8.243	कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग मुलताई	ब्राह्मणवाड़ा लघु जलाशय

अनुसूची - 2

(प्रभावित धारकों की सूची)

क्र.	भूमिस्वामी का नाम	खसरा नं.	कुल रकबा	कुल अर्जित रकबा हे.
1	2	3	4	5
1	भादू व. छित्तु संगोनी ओमवती सोमवती पिता छित्तु सुकिया बे. साबु सुरेश गुन्ता प्रेमा मुन्नी पिता साबु विजय प्रमोद व. अम्मीलाल अनिता ममता पिता अम्मीलाल पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी हसली मनोती धनोती पिता मानसिंग दिवरलाल गुल्लू व. बिसराम हिरा देवना तमुना पिता बिसराम सुमली बे. हंसा पब्बुसिंग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी पुरनी बुटकी रेखा रविना पिता हंसा विकास आकाश व	319	0.664	0.484
		324	0.833	0.833
		325	0.154	0.154
2	नैपाल व. फुलसिंग बटनी बे. फुलसिंग मैना चुनिया पिता फुलसिंग मैना बेवा सुन्दरलाल पता सा. देह भूमिस्वामी दिनेश शिवकांत संतोष व. सुन्दरलाल रेखा उर्फ बुरी पिता सुन्दरलाल जाति पंवार पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी	342	3.112	2.512

3	मुन्ना बेवा झुलन धांधु अनिल सतीष व. झुलनकला भोली इमला पिता झुलन कारसिंग मुन्नालाल व. भोंदू रक्खा बे. भोंदू सुनिता पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी अनिता सरिता पिता भोंदू सुखराम व. सुकलू गोधा राधा तानी रामप्यारी पिता खुड़लू समलो बे. पुन्नू पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी चेपा किशोरीलाल व. पुन्नू रामकली पिता फुन्दू पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी	349	2.266	2.266
4	राजेन्द्र सिंह व. चन्द्रचुड़ सिंह जाति राजपूत पता सा. देह भूमिस्वामी	523/3	1.619	0.622
5	बलीराम युवराज व. रामाकला कलस पिता रामा भगदू व. गिरधारी सुखदेव शंकर व. तुन्नू जाति मेहरा पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी	360	0.077	0.077
6	शिवलाल वल्द ढोंडू जाति गोंड पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	316/14	0.227	0.227
7	मनीष व. नन्दलाल कायस्थ पता सा. तिरुपति नगर महाराष्ट्र भूमि स्वामी	323/1	0.482	0.382
8	दिनेश पिता मंशाराम जाति पंवार सा. देह भूमि स्वामी	318	0.809	0.136
कुल योग			11.651	8.243

1- चूंकि ब्राह्मणवाड़। लघु जलाशय हेतु, हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है। धारा 04 के अंतर्गत सामाजिक समाघात हेतु पृथक से कार्यवाही प्रचलित है।

2- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा) मुलताई के कार्यालय में किया जा सकता है।

3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर (भूमि अर्जन) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा।

4- समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

क्र. 14-अ-82-2019-20-खोदरी-12864

चूंकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक -1 के कॉलम (1) से (4) में वर्णित भूमि की, की अनुसूची के कॉलम (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कॉलम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
बैतूल (म.प्र.)	आठनेर	खोदरी	0.445	कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग मुलताई,	खोदरी स्टोरेज जलाशय

अनुसूची-2

(प्रभावित धारकों की सूची)

क्र.	भूमिस्वामी का नाम	खसरा नं.	कुल रकबा हे०	कुल अर्जित रकबा हे०
1	2	3	4	5
1	करमचंद वल्द बोब्या, जाति लोहार, सा०देह	198	0.445	0.445
	कुल योग :-	1	0.445	0.445

1- चूंकि खोदरी स्टोरेज जलाशय हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है। धारा-4 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण दल की अनुशंसित प्रतिवेदन प्राप्त जिसके प्रकाशन की कार्यवाही पृथक से की जा रही है।

2. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण; अनुविभागीय अधिकारी (रा.) भैंसदेही के कार्यालय में किया जा सकता है।

3. कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर (भूमि अर्जन), बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा।

4. समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

क्र. 15-अ-82-2019-20-पाण्डोल-12860

चूंकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक -1 के कॉलम (1) से (4) में वर्णित भूमि की, की अनुसूची के कालम (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
बैतूल (म.प्र.)	आठनेर	पाण्डोल	0.674	कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग मुलताई,	उमरी-पाण्डोल स्टोरेज जलाशय

अनुसूची-2

(प्रभावित धारकों की सूची)

क्र.	भूमिस्वामी का नाम	खसरा नं.	कुल रकबा	कुल अर्जित रकबा
1	2	3	4	5
1	मुन्नीबाई जौजे फुल्लू, जाति तेली, पता सा. देह,	42/2	1.454	0.389
2	संतोष वल्द वसु, जाति तेली, पता सा. देह,	42/3	0.405	0.285
	कुल योग	2	1.859	0.674

1- चूंकि उमरी-पाण्डोल स्टोरेज जलाशय हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है। धारा-4 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात का अनुशंसित प्रतिवेदन प्राप्त जिसके प्रकाशन की कार्यवाही प्रचलित है।

2. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) भैंसदेही के कार्यालय में किया जा सकता है।

3. कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर (भूमि अर्जन), बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा।

4. समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

क्र. 16-अ-82-2019-20-धनोरी-12866

चूँकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक -1 के कालम (1) से (4) में वर्णित भूमि की, की अनुसूची के कालम (6) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची-1

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल(हे०में)	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
बैतूल (म०प्र०)	आठनेर	धनोरी	3.305	कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क.2 बैतूल जिला बैतूल (म०प्र०)	घोघरी मध्यम परियोजना

अनुसूची - 2
(प्रभावित धारको की सूची)

क्र.	भूमि स्वामी का नाम	खसरा नम्बर	कुल रकबा हे०	अर्जित रकबा हे०
1	2	3	4	5
1	ग्यानदेव पुत्र वासुदेव, जाति कुंबी, सा.देह.भू-स्वामी	27/1	0.846	0.846
2	बलदेव पुत्र वासुदेव, जाति कुंबी, सा.देह भू-स्वामी	27/2	0.364	0.364
3	रामचन्द्र पुत्र वासुदेव जाति कुंबी, सा.देह भू-स्वामी	27/3	0.465	0.465

4	रघुनाथ पुत्र चिन्धु, जाति कुंबी, सा.देह भू-स्वामी	25/1 22/1	0.384 0.089	0.384 0.089
5	सया,सुमन,यशोदा,देवकू पुत्री गेन्द्र, जाति कुंबी, सा.देह भू-स्वामी	25/2 22/2	0.381 0.089	0.381 0.089
6	गया बे. पंढरी, गुलाबराव,साहेबराव,पाडूरंग,सुमन,पंढरी, सुनिता,मुन्नी,निर्मला पिता पंढरी, चिन्धी पुत्री किसना, जाति कुंबी, सा.देह भू-स्वामी	63/1	0.026	0.026
7	दिवाकर,कमलाकर,सुधाकर,यशोदा,सकुन,कौशी,मीना, पिता गणपति जाति कुंबी, सा.देह भू-स्वामी	63/2	0.305	0.305
8	व्यंकटी उर्फ व्यकंटराव पुत्री दाजीबा, जाति कुंबी, सा.देह भू-स्वामी	63/3	0.356	0.356
	योग:-		3.305	3.305

- 1- चूंकि घोघरी मध्यम परियोजना हेतु,हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है । धारा 11 की उपधारा (3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश समिति द्वारा तैयार किया गया है, जिसका प्रकाशन पृथक से समुचित सरकार की वेबसाइट, स्थानीय स्तर तथा स्थानीय दो समाचार पत्रों में किए जाने हेतु कार्यवाही की जा रही है।
- 2- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा) भैसदेही के कार्यालय में किया जा सकता है।
- 3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर (भूमि अर्जन) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा ।
- 4- समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

क्र. 16-अ-82-2019-20-पोहर-12882

चूँके, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक -1 के कालम (1) से (4) में वर्णित भूमि की, की अनुसूची के कालम (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है।

अनुसूची-1

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल(हे०मे)	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
बैतूल (म0प्र0)	मुलताई	पोहर	0.879	कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग मुलताई	देहगुड़ लघु जलाशय की नहर निर्माण

अनुसूची - 2

(प्रभावित धारको की सूची)

क्र.	भूमिस्वामी का नाम	खसरा नं.	कुल रकबा	कुल अर्जित रकबा हे.
1	2	3	4	5
1	कुंडलिकराव वल्द गोविंदा सा. देह भूमिस्वामी	449/3	0.890	0.116
2	सैवंती बेवा फकिरया बेबी, कंचना पिता फकिरया सा. मोहरखेड़ा	449/1	5.65	0.568
3	यौगेश वल्द वामनराव, मोरेश्वर ना. बा. वल्द वामनराव वली मां जैवंती जौ. वामनराव कून्बी सा.देह	450/2	0.804	0.195
योग			7.344	0.879

1- चूँकि देहगुड़ लघु जलाशय नहर निर्माण, हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है। धारा 11 की उपधारा (3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश समिति द्वारा तैयार किया गया है, जिसका प्रकाशन पृथक से समुचित सरकार की वेबसाइट, स्थानीय स्तर तथा स्थानीय दो समाचार पत्रों में किए जाने हेतु कार्यवाही की जा रही है।

2- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा) मुलताई के कार्यालय में किया जा सकता है।

3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर (भूमि अर्जन) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा।

4- समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

क्र. 17-अ-82-2019-20-टिपनापुर-12862

चूँकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि सलग्न अनुसूची क्रमांक -1 के कालम (1) से (4) में वर्णित भूमि की, की अनुसूची के कालम (6) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची-1

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल(हे०में)	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
बैतूल (म०प्र०)	आठनेर	टिपनापुर	13.161	कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क.2 बैतूल जिला बैतूल (म०प्र०)	घोघरी मध्यम परियोजना

अनुसूची - 2
(प्रभावित धारको की सूची)

क्र.	भूमि स्वामी का नाम	खसरा नम्बर	कुल रकबा हे०	अर्जित रकबा हे०
1	2	3	4	5
1	नत्थू,सित्तू व. गणपति, जाति कुंबी, सा.जावरा भू-स्वामी	165 164/2	1.558 1.000	1.558 0.650
2	नारायण,चुन्नीलाल,शंकर व. नन्हू, चंपाबाई बे. नन्हू, दुरपताबाई पिता नन्हू, जाति मेहरा, पता सा.देह भू-स्वामी	131	0.277	0.277
3	मंहगीलाल व. इमरत जाति मेहरा, पता सा.देह भू-स्वामी	132	2.023	1.295
4	कमलू जौ.किशोरी जाति मेहरा, पता सा.पांडुर्णा भू-स्वामी	129/3	1.000	1.000
5	रामदास व. मुन्नालाल जाति, मेहरा, सा.देह भू-स्वामी	127	0.971	0.971
6	मनोहर,कमलेश व. मुन्नालाल जाति मेहरा सा.देह भू-स्वामी	126	0.972	0.972

7	गोमा व. सुकलाल, जाति कोरक, सा.देह भू-स्वामी	133	0.672	0.202
8	श्रवण व. किशन, अर्चना जौ. जगदीश, जाति मेहरा, सा.देह भू-स्वामी	124	2.003	2.003
9	काशी जौ. साहेबलाल, जाति मेहरा सा.देह भू-स्वामी	123	1.112	1.112
10	रामजू, मिश्री, झींगर, साहेबलाल, नोखे व. अन्नु, रंजना, साहेबा, रामदुलारी, रामप्यारी पिता अन्नु, जाति मेहरा, सा.देह भू-स्वामी	122	1.020	1.020
11	रामजू, मिश्री, झींगर, साहेबलाल, नोखे व. अन्नु, रंजना, साहेबा, रामप्यारी पिता अन्नु, दिनेश व. बिरजू, चिन्धी सरू पिता बिरजू जाति मेहरा, सा.देह भू-स्वामी	121	1.049	1.049
12	मिश्री व. अन्नु, जाति मेहरा, सा.देह भू-स्वामी	140	2.023	1.052
	योग:-		15.680	13.161

1- चूंकि घोघरी मध्यम परियोजना हेतु, हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है। धारा 11 की उपधारा (3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश समिति द्वारा तैयार किया गया है, जिसका प्रकाशन पृथक से समुचित सरकार की वेबसाइट, स्थानीय स्तर तथा स्थानीय दो समाचार पत्रों में किए जाने हेतु कार्यवाही की जा रही है।

2- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा) भैसदेही के कार्यालय में किया जा सकता है।

3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर (भूमि अर्जन) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा।

4- समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

क्र. 17-अ-82-2019-20-जामठी सवासन-12854

चूँकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक -1 के कॉलम (1) से (4) में वर्णित भूमि की, की अनुसूची के कालम (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-

जिला	तहसील	ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	2	3	4	5	6
बैतूल	मुलताई	जामठी सवासन	3.869	कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग मुलताई, जिला बैतूल	वलनी लघु जलाशय

अनुसूची-2
(प्रभावित धारकों की सूची)

क्र०	भूमिस्वामी का नाम	खसरा	कुल रकबा है०	कुल अर्जित रकबा है०
1	2	3	4	5
1	शान्ता बेवा नारायण, पांडुरंग, दुर्गादास, अनिल वल्द नारायण, गीता, सुमन पिता नारायण, कुन्बी, सा. गुजरमाल	499 487/1	2.869 1.000	2.869 1.000
	कुल योग :-	2	3.869	3.869

1. चूँकि वलनी लघु जलाशय हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है। धारा-4 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण दल द्वारा अनुशंसित प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया जिसका पृथक से प्रकाशन की कार्यवाही प्रचलित है।
2. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा.)मुलताई के कार्यालय में किया जा सकता है।
3. कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर (भूमि अर्जन), बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा।
4. समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

क्र. 20-अ-82-2019-20-मौजा-अंभोरी-12849

चूँकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक -1 के कालम (1) से (4) में वर्णित भूमि की, की अनुसूची के कालम (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है।

अनुसूची-1

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल (हे.मै)	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
बैतूल (म.प्र.)	प्रभात पट्टन	अंभोरी	2.979	कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग मुलताई	अंभोरी (स्टोरेज) लघु जलाशय

अनुसूची - 2

(प्रभावित धारकों की सूची)

क्र.	भूगिरवागी का नाम	खरारा नं.	कुल रकबा	कुल अर्जित रकबा हे.
1	2	3	4	5
1	बाबूराव व कूसना लूहार पता सा. देह नरखेड़ भूमि स्वामी	509 510 511 512	0.509 0.660 0.648 0.511	0.100 0.150 0.200 0.241
2	गन्नी बेवा फागू जाति मेहरा पता अम्भोरी मुलताई बैतूल मध्य प्रदेश 1/3 भाग भूमि स्वामी रामभऊ पिता फागू जाति मेहरा पता अम्भोरी मुलताई बैतूल मध्य प्रदेश 1/3 भाग भूमि स्वामी लखन पिता पिता फागू जाति मेहरा पता अम्भोरी मुलताई बैतूल मध्य प्रदेश 1/3 भाग भूमि स्वामी	499	3.291	1.405
3	मखनी बाई पति मिट्टु जाति गायकी सा. देह नरखेड़ भूमि स्वामी	539/2	0.165	0.165
4	रखिया पिता बक्सू रैनी बे बक्सू एन्सू व भिककू मनोता पिता भिककू भूमि स्वामी	508	2.084	0.080
5	कारी बेवा गन्दराव हेमराज रमेश अनिल अजित हरी वल्द गेन्दराव अनुसया अजनी पिता गेन्दराव जैवन्ती बेवा बाजीलाल मदन वल्द बाजीलाल उर्मिला पिता बाजीलाल भूमि स्वामी	515/1	0.907	0.300
6	दामोदर रामू गुलाब व. रामाराव भूमि स्वामी	497	2.525	0.180
7	लालमन व. तेजी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	513	0.478	0.158
कुल योग			11.778	2.979

1- चूँकि अंभोरी (स्टोरेज) लघु जलाशय हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है। धारा 04 के अंतर्गत सामाजिक समाधान हेतु पृथक से कार्यवाही प्रचलित है।

2- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा) मुलताई के कार्यालय में किया जा सकता है।

3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर (भूमि अर्जन) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा।

4- समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

क्र. 25-अ-82-2019-20-मोजा-दुरा-बोरगांव-12840

चूंकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक -1 के कालम (1) से (4) में वर्णित भूमि की, की-अनुसूची के कालम (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है।

अनुसूची-1

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
बैतूल (म.प्र.)	आमला	दुराबोरगांव	1.485	कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग मुलताई	ब्राह्मणवाड़ा लघु जलाशय

अनुसूची - 2

(प्रभावित धारकों की सूची)

क्र.	भूमिस्वामी का नाम	खसरा नं.	कुल रकबा	कुल अर्जित
1	2	3	4	5
1	सुककु पुत्र भूरा पता सा. देह भूमि स्वामी, ओझा पुत्र भिवजी पता सा. देह भूमि स्वामी मना पुत्र रावजी पता सा. देह भूमि स्वामी चैतराम पुत्र रामू पता सा. देह भूमि स्वामी, गिरधर पुत्र शिवजी पता सा. देह भूमि स्वामी	418	1.072	0.200
2	ओझा पुत्र भिवजी पता सा. देह भूमि स्वामी	419	0.607	0.405
3	भूरा पुत्र संगी पता बैतूल मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी	420	0.526	0.430
4	मुन्ना जियालाल कृष्णा ना.बा. पिता ओझा व. भिवजी जाति पंवार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	427	1.032	0.450
कुल योग			3.237	1.485

1- चूंकि ब्राह्मणवाड़ा लघु जलाशय हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है। धारा 04 के अंतर्गत सामाजिक समाघात हेतु पृथक से कार्यवाही प्रचलित है।

2- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा) मुलताई के कार्यालय में किया जा सकता है।

3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर (भूमि अर्जन) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगन सजित नहीं करेगा।

4- समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

क्र. 26-अ-82-2019-20-मौजा-कचराबोह-12846

चूँकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक -1 के कालम (1) से (4) में वर्णित भूमि की, की अनुसूची के कालम (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है।

अनुसूची-1

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल (हे.में)	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
वैतूल (म.प्र.)	आभला	कचराबोह	4.824	कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग मुलताई	पसतलाई (स्टोरेज) लघु जलाशय

अनुसूची - 2

(प्रभावित धारको-की सूची)

क्र.	भूमिस्वामी का नाम	खसरा नं.	कुल रकबा	कुल अर्जित रकबा हे.
1	2	3	4	5
1	गजानंद व. बालकिशन	167/1	1.000	0.200
2	गितेश सतीश गुलाब व. हनस हनस व. लोधू	216/3	0.780	0.070
		216/19	0.700	0.700
		216/17	0.530	0.130
3	मुकेश वल्द रामप्रसाद जाति गौली पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	24/1	0.230	0.040
4	हरीप्रसाद, छोटेलाल जाति गौली पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू-राजस्व	24/2	1.767	0.530
5	कमलेश वल्द रामप्रसाद जाति गौली पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	24/3	0.230	0.060
		24/5	0.210	0.190
6	झाडु वल्द बाबुलाल जाति गौली पता सा. देह भूमि	24/7	0.510	0.140
7	बालमुकुन्द वल्द कालू जाति गौली पता निवासी ग्राम पस्तलाईमाल भूमि स्वामी भु.रा. शा.	167/3	1.470	0.070

8	कुसमा बेवा कालू शांता पिता कालु जाति गौली पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भु.रा.शा.	167/4	0.185	0.140
9	रामू पिता मंगल पता सा.देह भूमि स्वामी	216/1	0.364	0.264
10	बुद्ध सुदन वल्द अम्मरलाल गोंड पता सा. देह भूमि स्वामी	216/5	0.364	0.210
		216/7	0.202	0.180
		216/12	1.214	0.260
11	रमिया बेवा अमरू, रमेश, सुरेश, अमरू, रसिया सुगरती: पिता अमरू, पता सा. देह भूमि स्वामी	216/6	1.073	0.630
		216/8	0.627	0.070
		216/10	1.586	0.080
		216/13	1.287	0.330
12	छन्नू वल्द सम्मु जाति गोंड पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	224/2	0.826	0.060
13	ईमरतलाल वल्द रवनु जाति गोंड पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	224/5	0.207	0.080
14	हम्मीलाल वल्द रवनु जाति गोंड पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	224/6	0.206	0.110
15	देवीलाल वल्द रवनु जाति गोंड पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	224/7	0.206	0.120
16	मुन्नीलाल ना.बा. वल्द रवनु वली मां तुलसी बेवा रवनु जाति गोंड पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	224/8	0.206	0.160
कुल योग			15.98	4.824

1- चूंकि पसतलई (स्टोरेज) लघु जलाशय हेतु, हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है। धारा 04 के अंतर्गत सामाजिक समाघात हेतु पृथक से कार्यवाही प्रचलित है।

2- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा) मुलताई के कार्यालय में किया जा सकता है।

3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर (भूमि अर्जन) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा।

4- समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

क्र. 28-अ-82-2019-20-मौजा बिनाखी-12858

चूंकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक -1 के कॉलम (1) से (4) में वर्णित भूमि की, की अनुसूची के कालम (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30. सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
बैतूल (म.प्र.)	मुलताई	बिनाखी	0.312	कार्यपालन यंत्रीजल संसाधन संभाग मुलताई, जिला बैतूल	वलनी लघु जलाशय

अनुसूची-2

(प्रभावित धारकों की सूची)

क्र.	भूमिस्वामी का नाम	खसरा नं हे० में .	कुल रकबा हे० में	कुल अर्जित रकबा हे०
1	2	3	4	5
1	ओझा व. बाबू इमली पिता बाबू जाति गोंड, पता निवासी ग्राम भू-स्वामी	12/2	4.503	0.312
	कुल योग :-	1	4.503	0.312

1- चूंकि वलनी लघु जलाशय हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है। धारा-4 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण का अनुशासित प्रतिवेदन प्राप्त जिसका पृथक से प्रकाशन की कार्यवाही की जा रही है।

2. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) मुलताई के कार्यालय में किया जा सकता है।

3. कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर (भूमि अर्जन), बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा।

4. समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

क्र. 29-अ-82-2019-20-रगड़गांव-12856

चूंकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक -1 के कॉलम (1) से (4) में वर्णित भूमि की, की अनुसूची के कालम (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल(हे. में)	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
बैतूल	मुलताई	रगड़गांव	0.178	कार्यपालन यंत्री जल संसाधन मुलताई, जिला बैतूल	वलनी लघु जलाशय

अनुसूची-2
(प्रभावित धारकों की सूची)

क्र.	भूमिस्वामी का नाम	खसरा नं.	कुल रकबा हे० में	कुल अर्जित रकबा हे०
1	2	3	4	5
1	बनुबाई बेवा सिंगा, चिरोंजी, सुभाष व. सिंगा, मंजू पिता सिंगा, रेखा पिता सिंगा, जाति गोंड, भू-स्वामी	128/1	5.157	0.089
		125	0.700	0.089
	कुल योग :-	2	5.857	0.178

- चूंकि वलनी लघु जलाशय हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है। धारा-4 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण दल द्वारा अनुशासित प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है जिसके प्रकाशन हेतु पृथक से कार्यवाही प्रचलित है।
- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) मुलताई के कार्यालय में किया जा सकता है।
- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर (भूमि अर्जन), बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा।
- समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

क्र. 30-अ-82-2019-20-खरसाली-12878

चूंकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक -1 के कालम (1) से (4) में वर्णित भूमि की, की अनुसूची के कालम (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है।

अनुसूची-1

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल(हे०में)	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन	
1	2	3	4	5	6	
बैतूल (म0प्र0)	मुलताई	खरसाली	3.167	प्राधिकृत नगरपालिका नगरपालिका मुलताई	मुख्य अधिकारी परिषद	हरदोली जल अवर्धन योजना

अनुसूची - 2

(प्रभावित धारको की सूची)

क्र.	भूमिस्वामी का नाम	खसरा नं.	कुल रकबा	कुल अर्जित रकबा हे. /मकान
1	2	3	4	5
1	देवना बेवा चैतराम नंदकिशोर प्रेमलाल कृष्णा वल्द चैतराम ललिता कविता पिता चैतराम सा.हरदोली भूमि स्वामी	250/1	0.760	0.380
2	रामजी वल्द पन्ना पंवार सा.हरदोली भूमि	250/2	0.760	0.760
3	छुड़िया वल्द पन्ना पंवार सा.हरदोली भूमि	250/3	0.807	0.807
4	रामराज, भोजराज राजू दिलीप पिता गेदराव भागाबाई बेवा गेन्दराव जाति कुंबी सा. पारडसिंगा भूमि स्वामी	251	1.457	0.650
		252/2	2.430	0.020
5	भीमराव उर्फ धुधराव, छोदु उर्फ रामू, भीमराव, श्यामा व. आनंदराव, सरस्वती उर्फ गुम्फा, पंचफला पिता आनंदराव अनुसुईया, ममता, विनिता, संतोष, सुमाष व भीमराव उर्फ धुधराव, जाति कुंबी सा. देह भूमि स्वामी	239/2	0.963	0.550
	योग		7.177	3.167

1- चूंकि हरदोली जल अवर्धन योजना हेतु, हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है। धारा 11 की उपधारा (3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश समिति द्वारा तैयार किया गया है, जिसका प्रकाशन पृथक से समुचित सरकार की वेबसाइट, स्थानीय स्तर तथा स्थानीय दो समाचार पत्रों में किए जाने हेतु कार्यवाही की जा रही है।

2- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा) मुलताई के कार्यालय में किया जा सकता है।

3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर (भूमि अर्जन) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा।

4- समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

क्र. 31-अ-82-2019-20-थावरिया-12876

चूंकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक -1 के कालम (1) से (4) में वर्णित भूमि की, की अनुसूची के कालम (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है।

अनुसूची-1

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल(हे०में)	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
बैतूल (म0प्र0)	मुलताई	थावरिया	5.010	प्राधिकृत मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगरपालिका परिषद मुलताई	हरदोली जल अवर्धन योजना

अनुसूची - 2

(प्रभावित धारको की सूची)

क्र.	भूमिस्वामी का नाम	खसरा नं.	कुल रकबा	कुल अर्जित रकबा हे /मकान
1	2	3	4	5
1	रामराव, धनराज, शंकर, जगदीश वल्द महादेव वच्छला, पुष्पा, सुमित्रा आशा, रामकली, लक्ष्मी पिता महादेव, दशरथ, पिरम्या वल्द सरवन गेंन्दु वल्द धनाराम, सालू बेवा पंजाबराव, राजु वल्द पंजाबराव किरण पिता पंजाबराव सा. मुलताई	191/1	10.107	3.180
2	रामराव, धनराज, शंकर, जगदीश वल्द महादेव वच्छला, पुष्पा, सुमित्रा आशा, रामकली, लक्ष्मी पिता महादेव, सालू बेवा पंजाबराव, राजु वल्द पंजाबराव किरण पिता पंजाबराव सा. मुलताई	186/2	1.830	1.830
कुल योग			11.937	5.010

1- चूंकि हरदोली जल अवर्धन योजना हेतु, हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है। धारा 11 की उपधारा (3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश समिति द्वारा तैयार किया गया है, जिसका प्रकाशन पृथक से समुचित सरकार की वेबसाइट, स्थानीय स्तर तथा स्थानीय दो समाचार पत्रों में किए जाने हेतु कार्यवाही की जा रही है।

2- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा) मुलताई के कार्यालय में किया जा सकता है।

3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर (भूमि अर्जन) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा ।

4- समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

क्र. 32-अ-82-2019-20-हरदौली-12880

चूँकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक -1 के कालम (1) से (4) में वर्णित भूमि की, की अनुसूची के कालम (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है।

अनुसूची-1

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल(हे०मे)	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
बैतूल (म०प्र०)	मुलताई	हरदौली	7.023	प्राधिकृत मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगरपालिका परिषद मुलताई	हरदौली जल अवर्धन योजना

अनुसूची - 2

(प्रभावित धारको की सूची)

क्र.	भूमिस्वामी का नाम	खसरा नं.	कुल रकबा	कुल अर्जित रकबा हे./मकान
1	2	3	4	5
1	गेंदया प्यारेलाल प्रेमलाल छोटेलाल सुंदरलाल व. कूपरचंद हीरा बेवा कूपरचंद नरबदी बेवा फूलचंद रामवती ना.बा.पिता बैनू वली मां नान्ही बेवा बैनू मेहरा भूमि पारडसिंगा	3	3.666	1.450
		5	0.364	0.364
2	सीताराम गणेश वल्द बीरबल जगोती पिता बीरबल रामा वल्द झुम्मकलाल इमला पिता जगन्नाथ लक्ष्मी बेवा जगन्नाथ रखिया बेवा गेंदलाल लक्ष्मण पिता गेंदलाल जिन्दालाल वल्द महपत भावजी वल्द मल्लू लउको बेवा महपत कुंबी	4/1	0.144	0.144
3	चैतराम वल्द शिवजी सुरोपी पत्नि शिवजी रमेश श्यामराव वल्द रोडया अंगद पिता अजाबराव रघुनाथ पिता अजाबराव बाली पिता अजाबराव, अनिता पिता अजाबराव मोना पिता अजाबराव	7	0.324	0.324
		8	3.230	1.450

क्र.	भूमिस्वामी का नाम	खसरा नं.	कुल रकबा	कुल अर्जित रकबा हे./मकान
1	2	3	4	5
4	गबा लंगड़ा बाबू वल्द बाज्या गजो पिता बाज्या श्यामा वल्द सूखा सोनी बेवा सूखा सा.पारडसिंगा	24	1.424	1.424
5	मंसाराम, हंसु, दसन वल्द छितरू रमोसी, रमोती पिता छितरू लंगी बेवा छितरू, सुखदेव, सहादेव, महादेव वल्द ओझा, फुलवंती, भागवंति पिता ओझा, जैयना बेवा ओझा जाति गायकी सा.देह भूमि स्वामि	29	0.713	0.713
6	पूर्णा बे. डेपल्या, भादु व डेपल्या भागा सावल नान्ही पिता डेपल्या	36/2	1.102	0.160
7	दुल्या व साजू रैसुल तुलस कौशुल पिता साजू	38	1.518	0.670
8	खिमिया पति हीराजी चैती बेवा सावन्या	39/1	0.324	0.324
योग			12.809	7.023

1- चूंकि हरदोली जल अर्धन योजना हेतु, हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है। धारा 11 की उपधारा (3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश समिति द्वारा तैयार किया गया है, जिसका प्रकाशन पृथक से समुचित सरकार की वेबसाइट, स्थानीय स्तर तथा स्थानीय दो समाचार पत्रों में किए जाने हेतु कार्यवाही की जा रही है।

2- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा) मुलताई के कार्यालय में किया जा सकता है।

3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर (भूमि अर्जन) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा।

4- समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

क्र. 33-अ-82-2019-20-चैनपुर-12872

चूंकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि सलग्न अनुसूचा क्रमांक -1 के कालम (1) से (4) में वर्णित भूमि की, की अनुसूची के कालम (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है।

अनुसूची-1

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल(हे०मे)	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
बैतूल (म०प्र०)	मुलताई	चैनपुर	4.766	प्राधिकृत मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगरपालिका परिषद मुलताई	हरदोली जल अवर्धन योजना

अनुसूची - 2

(प्रभावित धारकों की सूची)

क्र.	भूमिस्वामी का नाम	खसरा नं.	कुल रकबा	कुल अर्जित रकबा हे. /मकान
1	2	3	4	5
1	घुडल्या व. सहादेव शिला बे. सहादेव भूरो सया चिन्धीबाई पि. सहादेव कुन्बी सा. पारडसिंगा	252	0.304	0.304
		253	1.047	0.080
		270	0.648	0.648
		271	0.214	0.060
		274	0.308	0.308
		278	0.684	0.684
2	संतोषराव रूपराव वामनराव व गुलाबराव चिन्धीबाई, जैनुबाई पिता गुलाबराव जाति	280	2.189	2.189
3	बिठोबा व. बाजया गुलाबराव व. शिवराम ठेनु जिज्या करुणा मैनु, मैना पिता लुंगा संतोषराव रूपराव वामनराव व गुलाबराव चिन्धीबाई, जैनुबाई पिता गुलाबराव सा.	281	0.801	0.801
कुल योग			5.887	4.766

1- चूंकि हरदोली जल आवर्धन योजना हेतु, हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है। धारा 11 की उपधारा (3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश समिति द्वारा तैयार किया गया है, जिसका प्रकाशन पृथक से समुचित सरकार की वेबसाइट, स्थानीय स्तर तथा स्थानीय दो समाचार पत्रों में किए जाने हेतु कार्यवाही की जा रही है।

2- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा) मुलताई के कार्यालय में किया जा सकता है।

3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर (भूमि अर्जन) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा।

4- समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

क्र. 34-अ-82-2019-20-12836

चूँकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक -1 के कालम (1) से (4) में वर्णित भूमि की, की अनुसूची के कालम (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है।

अनुसूची-1

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल(हे०में)	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
बैतूल (म०प्र०)	मुलताई	देहगुड़	4.499	कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग मुलताई	देहगुड़ लघु जलाशय के स्पिल चैनल निर्माण

अनुसूची - 2

(प्रभावित धारको की सूची)

क्र.	भूमिस्वामी का नाम	खसरा नं.	कुल रकबा	कुल अर्जित रकबा हे.
1	2	3	4	5
1	भागरती जौ. काशीराम अनुसया जौ. हिराजी सोनी जौ. जैराम जाति मेहरा सा. देह भूमि स्वामी	322	1.335	0.480
		521	0.134	0.134
2	रामदास गुलाबराव वल्द चम्पत जैवन्ती चिन्धी पिता चम्पत पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी लक्खू बे. रामदास अशोक अजाब अनिल सुनिल सुरेश व. रामदास आशा पिता रामदास ईमला बेवा रामदास राजेश व. रामदास उषा पिता रामदास भूमि स्वामी	325/1	1.134	0.240
3	कला पिता चम्पत पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी	325/2	0.283	0.110
4	आत्माराम अर्जून मिट्टू व. भूजंगा अंजू सकू पिता भूजंगा इतू धर्मराज व. तुकाराम सुमन चन्द्रकला शकुन्तला भूमिस्वामी पिता तुकाराम पता सा. देह	509/1	1.035	0.170
		510/3	0.045	0.045
		554	0.729	0.240
		571	1.064	0.150

क्र.	भूमिस्वामी का नाम	खसरा नं.	कुल रकबा	कुल अर्जित रकबा हे.
1	2	3	4	5
5	बसंतराव लक्ष्मण व. इटोलराव पता सा देह भूमिस्वामी	509/2	0.844	0.220
6	सोनी बेवा जैराम काशीराम हिराजी व. पंचम जाति मेहरा सा. देह	509/4	1.344	0.160
		510/1	0.073	0.050
		510/2	0.282	0.200
7	भीमराव श्यामराव व. घुडिया सारजा गिरजा पिता घुडिया सा.देह भूमिस्वामी	518	1.218	0.390
8	श्रीराम व. लक्ष्मण जाति कुन्बी सा. सारणी भूमिस्वामी	520/2	0.820	0.020
9	लखनलाल व. राधेलाल चिन्धी पिता राधेलाल फत्तू व. सूरजू मैना पिता सूरजू जाति बढई सा. देह भूमिस्वामी	520/3	0.528	0.050
10	धनराज रामचन्द्र धनाराम मनीराम व. तेजी मिट्ठन बेवा तेजी सया फुलवती भूमिस्वामी कुसुम मुन्नी सुबेदिया पिता तेजी सा. देह भूमिस्वामी	522	0.259	0.160
11	मोresh्वर व. नत्थू रेखा माया पिता नत्थू सया पिता तेजू जाति कुन्बी सा. मुलताई भूमिस्वामी	544/2	0.304	0.050
		546/1	0.350	0.300
12	चन्द्राभागा यशोदा बेवा रघुनाथ कृष्णा ना. बा. पिता रघुनाथ वली मां चन्द्रभागा गीता वन्दना पिता रघुनाथ मीरा दुर्गा पदमा ना.बा.पि. रघुनाथ वली मां. चन्द्रभागा ताई पिता तेजू जाति कुन्बी सा. देह भूमिस्वामी	546/2	0.350	0.300
13	अजाबराव किसना जाति कुन्बी पता सा. देह भूमिस्वामी	547/1	0.344	0.140
14	साहेबराव रमेश व. गोदिया बेबी चन्द्रकला निर्मला गुन्ता पिता गोदिया पार्वती बेवा गोदिया मनाबाई पिता दाजीबा भूमिस्वामी भोला मानिकराव उत्तम संतोष व.	550	1.311	0.080
		551	0.340	0.320
15	रघुनाथ चन्दू रामा व. काशीराम बुग्गा बाया पिता काशीराम जाति कुन्बी पता सा. देह भूमिस्वामी	552/1	0.804	0.150

754

क्र.	भूमिस्वामी का नाम	खसरा नं.	कुल रकबा	कुल अर्जित रकबा हे.
1	2	3	4	5
16	भोजराज व. गेन्दू जाति कुन्बी भूमिस्वामी	552/2	0.284	0.050
17	कमला बेवा राजू कविता पिता राजू नामदेव व. राजू जाति कुन्बी सा. देह भूमिस्वामी	552/3	0.458	0.120
18	गुलाबराव व. गणपतराव शान्ता पिता गणपतराव जाति कुन्बी सा. देह भूमिस्वामी	553	0.202	0.170
योग			15.874	4.499

1- चूंकि देहगुड लघु जलाशय के स्पिल चैनल निर्माण, हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिरारो कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है। धारा 11 की उपधारा (3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश समिति द्वारा तैयार किया गया है, जिसका प्रकाशन पृथक से समुचित सरकार की वेबसाइट, स्थानीय स्तर तथा स्थानीय दो समाचार पत्रों में किए जाने हेतु कार्यवाही की जा रही है।

2- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा) मुलताई के कार्यालय में किया जा सकता है।

3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर (भूमि अर्जन) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा।

4- समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

क्र. 35-अ-82-2019-20-लिहदा-12888

चूंकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक -1 के कालम (1) से (4) में वर्णित भूमि की, की अनुसूची के कालम (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है।

अनुसूची-1

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल(हे०में)	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
बैतूल (म०प्र०)	मुलताई	लिहदा	0.311	कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग मुलताई	पारसडोह मध्यम उद्वहन परियोजना के बी.पी.टी. एवं एप्रोच रोड़ हेतु

अनुसूची - 2

(प्रभावित धारको की सूची)

क्र.	भूमिस्वामी का नाम	खसरा नं.	कुल रकबा	कुल अर्जित रकबा हे.
1	2	3	4	5
1	बाबूराव ज्ञानराव प्रयागराव वल्द गुणवन्तराव, अन्जू, मंदा, सुनिता पिता गुणवंता सा० पौनी भूमिस्वामी	283	1.619	0.200
2	काशीनाथ वल्द चिन्ध्या, रकू बकू पिता चिन्ध्या सा० पौनी	284/4	1.578	0.111
योग			3.197	0.311

1- चूंकि पारसडोह मध्यम उद्वहन परियोजना के बी.पी.टी. एवं एप्रोच रोड़ हेतु, हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है। धारा 11 की उपधारा (3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश समिति द्वारा तैयार किया गया है, जिसका प्रकाशन पृथक से समुचित सरकार की वेबसाइट, स्थानीय स्तर तथा स्थानीय दो समाचार पत्रों में किए जाने हेतु कार्यवाही की जा रही है।

2- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा) मुलताई के कार्यालय में किया जा सकता है।

3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर (भूमि अर्जन) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा।

4- समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

क्र. 36-अ-82-2019-20-12842

चूँकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक -1 के कालम (1) से (4) में वर्णित भूमि की, की अनुसूची के कालम (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है।

अनुसूची-1

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल(हे०में)	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
बैतूल (मोप्र०)	मुलताई	बोरगांव उर्फ शेरगढ़.	27.931	कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग मुलताई	वर्धा मध्यम उद्वहन सिंचाई परियोजना

अनुसूची - 2

(प्रभावित धारको की सूची)

क्र.	भूमिस्वामी का नाम	खसरा नं.	कुल रकबा	कुल अर्जित रकबा हे.
1	2	3	4	5
1	डोमा व. दसरू मनोती पिता दसरू परसू श्याम व. मुंशी जाति गोंड सा. देह भूमिस्वामी	474/1	1.216	0.050
2	दच्चू व. लालजी जाति गोंड सा. देह भूमिस्वामी	474/2	1.620	1.040
3	कचरू व. बाजीलाल सा. देह भूमिस्वामी	474/3	0.809	0.709
		474/5	0.136	0.136
4	सोमा व. बाजीलाल जाति गोंड सा. देह	474/4	0.135	0.135
5	नत्थू व. चैत्या जाति पवार सा. देह भूमिस्वामी	564/2	0.556	0.556
6	हीरालाल व. चैत्या जाति पवार सा. देह भूमिस्वामी	564/3	0.556	0.556
7	पन्नालाल व. चैत्या जाति पवार सा. देह भूमिस्वामी	564/4	0.405	0.200
		563	0.275	0.100
8	हिरू व. गरीब्या सावित्री जगोती मुन्नी पार्वती पिता गरीब्या शान्ता बेवा साहेबलाल राजू दिनेश सुभाष गोलू व. साहबलाल आशा राजो सपना ज्योती पिता साहबलाल जाति गोंड सा. देह	559	2.679	1.579
		555	1.279	0.900
		554	0.672	0.470
9	ढीमर व. गरजन जाति गोंड सा. देह	557	2.100	1.800
10	गंगाप्रसाद व. फूस्या जाति पवार सा. देह	565	1.214	1.214
11	भगवतराव शंकरराव व. बाबूराव महादेव मारोती दौलत बसन्त व. नारायण शान्ता सिन्धू पिता नारायण पारबती बेवा नारायण पान्दुरंग विठ्ठल व. कुसना सा. देह भूमिस्वामी	574/1	0.020	0.020

क्र.	भूमिस्वामी का नाम	खसरा नं.	कुल रकबा	कुल अर्जित रकबा हे
1	2	3	4	5
12	नन्दकिशोर व. राधेलाल जाति पवार सा. देह भूमिस्वामी	574/2	2.063	2.063
13	कौशल्या जौ. सुरत पवार सा. देह भूमिस्वामी	574/3	2.084	2.084
14	फागू व. काल्या पवार सा. देह भूमिस्वामी	549/1/1	1.700	0.870
15	रामू श्यामू व. परसू मैना बेवा परसू मीरा जौ. पांडू सा. देह भूमिस्वामी	473/1	1.030	1.030
		478/1	0.809	0.809
16	सुमेलाल झनक व. पतिराम अमरलाल ना. बा. व. पतिराम वली भाई सुमेलाल व. पतिराम जाति गोंड सा. देह	473/3	1.153	0.403
17	मुन्ना व. रामू सा. देह भूमिस्वामी	473/2	1.080	0.733
18	अमृत्य महदू श्रीधर व. धरम्या कसिया दसिया ककू पूर्णा रहसूल पिता धरम्या मीरा जौ. पांडू सा. देह भूमिस्वामी	477	2.582	0.210
		479	1.234	0.030
		472	2.306	1.106
19	राखड्या व. भूरा सा. देह भूमिस्वामी	468/2	2.220	1.540
20	रैनी जौ. सकडू ममोना हसलो पिता रामजी सा. देह	609	7.916	3.210
21	बाजी दाजी दशर्या व. सूरजा जैदो मैदो सुरजा सा. देह	551	4.071	3.301
		566	0.555	0.555
		562	0.275	0.210
		561	0.166	0.166
		560	0.146	0.146
योग			45.062	27.931

1- चूंकि वर्धा मध्यम उद्वहन सिंचाई परियोजना, हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है। धारा 11 की उपधारा (3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश समिति द्वारा तैयार किया गया है, जिसका प्रकाशन पृथक से समुचित सरकार की वेबसाइट, स्थानीय स्तर तथा स्थानीय दो समाचार पत्रों में किए जाने हेतु कार्यवाही की जा रही है।

2- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा) मुलताई के कार्यालय में किया जा सकता है।

3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर (भूमि अर्जन) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा।

4- समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

क्र. 37-अ-82-2019-20-गरव्हा-12890

चूँकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक -1 के कालम (1) से (4) में वर्णित भूमि की, की अनुसूची के कालम (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है।

अनुसूची-1

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल(हे०में)	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
बैतूल (म०प्र०)	मुलताई	गरव्हा	20.614	कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग मुलताई	पारसडोह मध्यम उद्वहन परियोजना के डूब क्षेत्र हेतु

अनुसूची - 2

(प्रभावित धारको की सूची)

क्र.	भूमिस्वामी का नाम	खसरा नं.	कुल रकबा	कुल अर्जित रकबा हे.
1	2	3	4	5
1	गुलाबराव व. मारोती जाति कुन्बी सा. पचधार भूमिस्वामी	197/11	0.290	0.095
2	मानिकराव व. मारोती जाति कुन्बी पता नि. ग्राम भूमिस्वामी	197/12	0.300	0.030
		197/6	0.264	0.264
3	सन्तोषराव व. मारोती जाति कुन्बी पता नि. पचधार भूमिस्वामी	197/13	0.466	0.020
4	पंजू व. शेषू जाति कुन्बी सा. पचधार भूमिस्वामी	197/10	1.050	0.890
5	अजाबराव व. शेषू जाति कुन्बी सा. पचधार भूमिस्वामी	197/9	1.020	1.020
		197/7	0.405	0.405
6	सन्तोषराव व. महादेव जाति कुन्बी सा. पचधार भूमिस्वामी	197/8	1.214	1.034
		236/1	1.084	0.050
7	बहना बेवा मानिकराव सुधाकर बोंदरू उर्फ काशीनाथ पिता मानिकराव जाति कुन्बी सा. देह भूमिस्वामी	208/1	0.215	0.115
		187	0.736	0.066
		171	0.947	0.547

क्र.	भूमिस्वामी का नाम	खसरा नं.	कुल रकबा	कुल अर्जित, रकबा हे.
1	2	3	4	5
8	हरि व. हिम्मत जाति कुन्बी सा. देह भूमिस्वामी	196/2	0.392	0.285
		208/2	0.214	0.165
		186/2	0.911	0.911
		207	0.041	0.041
9	जगन व. सुड़कया जाति कुन्बी सा. देह भूमिस्वामी	195/1	0.237	0.237
		194/1	0.245	0.245
		170/1	0.152	0.152
10	कचरया उर्फ कचरु व. अन्ता जाति कुन्बी सा. देह भूमिस्वामी	193/1	0.748	0.748
		212	0.971	0.050
11	कला पिता मिट्टू जाति कुन्बी सा. देह भूमिस्वामी	215	0.352	0.020
12	रेखाबाई पति राजेश जाति कुन्बी सा. देह भूमिस्वामी	209	0.429	0.380
		185/2	0.738	0.738
13	गणेश व. नारायण पता सा. देह भूमिस्वामी भूमिस्वामी	210	0.089	0.089
		173	0.927	0.927
		175	0.550	0.550
		172	0.380	0.380
		177	0.510	0.070
14	सम्पत्ति लक्ष्मण व. भूरा कला पिता भूरा जाति कुन्बी सा. देह भूमिस्वामी	211	2.622	0.460
		249	0.866	0.220
		167/1	1.502	0.700
15	रामा, गोरेलाल, नामदेव सुदामा व. श्यामलाल दुन्नो जमनां रामप्यारी रामरती पिता श्यामलाल रूपराम तुलजी रामजी चन्द्रशेखर कम्फु व. दरियाव कस्तुरी बेवा दरियाव फगनी मनेबी मिरा पिता दरियाव रामदास रामचंद्र रामचरण रमेश उदेराम व. डोमा गुंता सुरपती रामदुलारी पिता डोमा बतस बेवा डोमा जाति किराड़ पता नि. देवडोंगरी	248	0.526	0.050
16	नामदेव व. भभुत्या किराड़ सा. देवडोंगरी भूमिस्वामी	184/2	0.106	0.106
17	सुखदेव व. भभुत्या किराड़ सा. देवडोंगरी भूमिस्वामी	176	1.149	0.999

क्र.	भूमिस्वामी का नाम	खसरा नं.	कुल रकबा	कुल अर्जित रकबा हे
1	2	3	4	5
18	ज्ञानदेव वासुदेव पिता पुजाबराव रेखा आशा पिता पंजाबराव उर्मिला उर्फ यशोदा मीरा पिता हिम्मत कविता निर्मला पिता मानिकराव जाति कुन्बी पता नि0 ग्राम भूमिस्वामी	174	0.381	0.381
19	बेनीराम व. गणपती जाति कुन्बी सा. देह भूमिस्वामी	60/4	1.377	0.390
		59/3	0.333	0.123
20	रघुनाथ व. नारायण जाति कुन्बी पता नि. ग्राम भूमिस्वामी	130/3	2.591	0.400
21	यमुनाबाई जौ. श्यामू जाति कुन्बी पता नि. ग्राम भूमिस्वामी	130/5	0.243	0.100
22	वामनराव व. अमृतराव जाति कुन्बी पता नि. ग्राम भूमिस्वामी	58/1	0.115	0.115
23	अजाबराव पंजाबराव व. गुलाबराव मालता पिता गुलाबराव कुन्बी पता नि. ग्राम भूमिस्वामी	58/2	0.382	0.242
24	सुमति बेवा रामचन्द्र जाति कुन्बी पता नि. ग्राम भूमिस्वामी	45/4	0.907	0.607
25	मनोहर व. बाबूराव जाति कुन्बी पता नि. ग्राम भूमिस्वामी	44/1	0.942	0.140
26	गोंमा व. गंगाराम जाति कुन्बी पता नि. ग्राम भूमिस्वामी	88/7	0.121	0.121
27	सरू पिता गेंदू जाति कुन्बी पता नि. ग्राम भूमिस्वामी	123/3	0.688	0.688
28	दुर्गा बेवा ओमकार विजयकुमार प्रेमकुमार व. ओमकार ममता पिता ओमकार जाति कुन्बी पता नि. ग्राम भूमिस्वामी	494/2	5.261	0.190
29	गोविंदराव भैया श्यामराव व. गेंदू पता सा. देह भूमिस्वामी	494/5	2.832	0.160
30	गुलाबराव पिता फोलू पता नि. ग्राम भूमिस्वामी मारोती श्यामू पिता सरजेराव पता नि. ग्राम भूमिस्वामी	494/3	5.310	0.110
31	भारत व. टीकाराम लता पिता टिकाराम तुलसीराम व. मोतीराम पता नि. ग्राम भूमिस्वामी	494/6	2.120	0.460

क्र.	भूमिस्वामी का नाम	खसरा नं.	कुल रकबा	कुल अर्जित रकबा है.
1	2	3	4	5
32	रूपा बेवा श्यामराव मेंदरो सया सुखजी बाया पिता श्यामराव मेहरा पता नि. ग्राम भूमिस्वामी	490/2	0.819	0.350
33	भगवान पिता रामजी पता नि. ग्राम भूमिस्वामी	465/1	3.484	0.220
34	नत्थू व. देवराव सकु उर्फ सकुन्तला पिता देवराव पता नि. ग्राम भूमिस्वामी	449/1	1.756	0.340
		450/1	2.015	0.150
35	तुलसीराम व. सहादेव जाति कुन्बी पता नि. ग्राम भूमिस्वामी	481	1.752	0.110
36	बैना बेवा रामप्रसाद पता नि. ग्राम भूमिस्वामी	480/2	0.709	0.220
37	धनराज व. रामराव जाति कुन्बी पता नि. ग्राम भूमिस्वामी	480/1	1.537	0.650
38	धनराज व. रामराव अंजनी उर्फ अंजू बेवा रामराव जाति कुन्बी पता नि. ग्राम भूमिस्वामी	487	4.687	0.170
39	बतस बेवा डोमा रामदास रामचंद्र रामचरण उर्फ मुन्ना रमेश उदेराम व डोमा गुन्ता सुरपती रामदुलारी पिता डोमा पता सा. देवडोंगरी भूमिस्वामी	197/2	0.592	0.050
40	प्रकाश व.परसराम जाति कुन्बी पता सा. पचधार भूमिस्वामी	424/1	0.293	0.180
41	पुंजी बेवा सम्पती सुखदेव वासुदेव व. सम्पती गुन्ता द्वारका पिता सम्पती अंजनी बेवा रघुनाथ ज्ञानदेव नामदेव इन्द्रदेव व. रघुनाथ नासिका पिता रघुनाथ पता सा. पचधार भूमिस्वामी	423	3.336	0.080
42	महादेव व. वामनराव जाति कुन्बी पता नि. ग्राम भूमिस्वामी	130/1	0.607	0.180
43	कुण्डलिकराव व. भैया जाति कुन्बी पता नि. ग्राम भूमिस्वामी	58/3	0.353	0.353
44	भोजराज व. हेमराज कुन्बी सा. देह	59/2	0.295	0.015
45	येनू बेवा भोजू लक्ष्मण वामन मधू व. भोजू कुन्बी सा. देह	130/4	0.405	0.260
योग			68.891	20.614

1- चूँकि पारसडोह मध्यम उद्वहन परियोजना के डूब क्षेत्र हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है। धारा 11 की उपधारा (3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश समिति द्वारा तैयार किया गया है, जिसका प्रकाशन पृथक से समुचित सरकार की वेबसाइट, स्थानीय स्तर तथा स्थानीय दो समाचार पत्रों में किए जाने हेतु कार्यवाही की जा रही है।

2- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा) मुलताई के कार्यालय में किया जा सकता है।

3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर (भूमि अर्जन) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगमन सृजित नहीं करेगा।

4- समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

क्र. 38-अ-82-2019-20-बिसनूर-12886

चूंकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक -1 के कालम (1) से (4) में वर्णित भूमि की, की अनुसूची के कालम (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है।

अनुसूची-1

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल(हे०मे)	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
बैतूल (म०प्र०)	मुलताई	बिसनूर	0.630	कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग मुलताई	पारसडोह मध्यम उद्वहन परियोजना के बी.पी.टी. एवं एप्रोच रोड़ हेतु

अनुसूची - 2

(प्रभावित धारको की सूची)

क्र.	भूमिस्वामी का नाम	खसरा नं.	कुल रकबा	कुल अर्जित रकबा हे.
1	2	3	4	5
1	मिट्टू वल्द नत्थ्या, रूखमणी बेवा नत्थ्या कुंबी सा०देह	779	1.117	0.050
2	नामदेव कुंडलीक व० मारोती, तुकाराम व० गणपती कुंबी सा० देह	784/2	0.607	0.222
		783/2	0.607	0.142
3	सोनबा व. आतमाराम बोंदर्या झिगू अम्बू व. मारोती भागरती बेवा मारोती पारबती पिता मारोती मिट्टू व. नत्थ्या कुन्बी सा. देह	768	0.446	0.006
4	मारोती व. शिवराम जाति कुन्बी सा. देह	796/2	2.115	0.210
	योग		4.892	0.630

1- चूंकि पारसडोह मध्यम उद्वहन परियोजना के बी.पी.टी. एवं एप्रोच रोड़ हेतु हेतु, हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है। धारा 11 की उपधारा (3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश समिति द्वारा तैयार किया गया है, जिसका प्रकाशन पृथक से समुचित सरकार की वेबसाइट, स्थानीय स्तर तथा स्थानीय दो समाचार पत्रों में किए जाने हेतु कार्यवाही की जा रही है।

2- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा) मुलताई के कार्यालय में किया जा सकता है।

3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर (भूमि अर्जन) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा।

4- समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

क्र. 39-अ-82-2019-20-बारेगांव-12884

चूंकि, समुचित सरकार को यह प्रतात हाता ह।क सलगन अनुसूची क्रमांक -1 के कालम (1) से (4) में वर्णित भूमि की, की अनुसूची के कालम (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है।

अनुसूची-1

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल(हे०में)	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
बैतूल (म०प्र०)	मुलताई	बोरगांव	3.819	कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग मुलताई	पारसडोह मध्यम उद्वहन परियोजना के डूब क्षेत्र एवं पुनर्विस्थापन हेतु

अनुसूची - 2

(प्रभावित धारको की सूची)

क्र.	भूमिस्वामी का नाम	खसरा नं.	कुल रकबा	कुल अर्जित रकबा हे.
1	2	3	4	5
1	पूंजी बेवा मोहनलाल आनंदराव मुकुंदराव व. मोहनलाल तानी	170	0.227	0.227
2	नामदेव सुखदेव डोमू उर्फ रामकिशोर व. गोंदू उर्फ गेंदू चिंधी उर्फ चिंदा सकुन उर्फ गुन्ता अंजू उर्फ अंजना पिता गोंदू उर्फ गेंदू जाति लोहार	179	0.502	0.502
3	छोटेलाल गुलाबराव पंजाबराव व. दयाराम जाति किराड़ सा. देवडोंगरी	172/1	0.237	0.237
		164/1	0.492	0.080
4	गब्बू व. सुखचंद जाति किराड़ सा. देह	172/3	0.237	0.237
5	हीराचंद व. रूपचंद जाति किराड़ सा. देह	166/1	0.081	0.081
		167/1	0.728	0.728

क्र.	भूमिरवामी का नाम	खसरा नं.	कुल रकबा	कुल अर्जित रकबा हे.
1	2	3	4	5
6	तिलक व. बली बटनी बेवा बिरजू नामदेव सदा सकु व. बिरजू लाहो गुंता मुन्नी पिता बिरजू तुन्नू व. आत्माराम नर्मदी शान्ता गोदावरी चैती चन्द्रकला पिता आत्माराम रामदयाल रामदीन वासूदेव व. आत्माराम इमला हैबती पिता आत्माराम गजरा बेवा आतमाराम सुदर्शन व. गीरधर गोदावरी पिता गीरधर सा. देह	12	0.615	0.553
7	निरोज पिता द्वारकाप्रसाद जाति तेली सा. देह	363/2	0.364	0.364
8	चन्दूलाल व. कचर्या सा. देह	368/1	0.405	0.405
9	देवराव पिता माखन जाति किराड	44/1	0.505	0.405
10	हरीलाल व. चंदूलाल सा. देह	64	1.307	-
योग			5.700	3.819

1- चूंकि पारसडोह मध्यम उद्वहन परियोजना के डूब क्षेत्र एवं पुनर्विस्थापन हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है। धारा 11 की उपधारा (3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश समिति द्वारा तैयार किया गया है, जिसका प्रकाशन पृथक से समुचित सरकार की वेबसाइट, स्थानीय स्तर तथा स्थानीय दो समाचार पत्रों में किए जाने हेतु कार्यवाही की जा रही है।

2- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा) मुलताई के कार्यालय में किया जा सकता है।

3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर (भूमि अर्जन) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/कराएगा. अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा।

4- समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

क्र. 40-अ-82-2019-20-पचधार-12838

चूँकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक -1 के कालम (1) से (4) में वर्णित भूमि की, की अनुसूची के कालम (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है।

अनुसूची-1

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल(हे०में)	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
बैतूल (म०प्र०)	मुलताई	पचधार	1.198	कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग मुलताई	पारसडोह मध्यम उद्वहन परियोजना के सुक्ष्म सिंचाई प्रणाली में इंटेक वेल एवं एप्रोच रोड निर्माण

अनुसूची - 2

(प्रभावित धारको की सूची)

क्र.	भूमिस्वामी का नाम	खसरा नं.	कुल रकबा	कुल अर्जित रकबा हे.
1	2	3	4	5
1	अमरू पित झुम्मकलाल जाति धोबी सा. देह	39/2	0.381	0.004
2	जयवंती पिता दीपक जाति किराड़ सा. देह	39/3	0.385	0.004
3	दीपक पिता उदेराम जाति किराड़ सा. देह	39/4	0.405	0.004
4	रामकिशोर पिता उनंतराम जाति किराड़ सा. देह	39/5	0.283	0.004
5	कांतीबाई पिता रामकिशोर सा. देह	39/6	0.208	0.004
6	शिवदयाल पिता श्रीराम जाति किराड़ सा. देह	245	1.056	0.018
		246/3	0.174	0.060
7	गोलू उर्फ रामदयरल पुत्र रूपचंद किराड़ सा. देह	244	0.628	0.013

- 2 -

क्र.	भूमिस्वामी का नाम	खसरा नं.	कुल रकबा	कुल अर्जित रकबा हे.
1	2	3	4	5
8	मल्लू दल्लू कल्लू पिता कुलपत जाति किराड़ सा. देह	243	0.417	0.010
9	सुखचंद पिता फत्या जाति किराड़ सा. देह	242/1	0.178	0.010
10	गेंदू पिता सखाराम जाति किराड़ सा. देह	241/1/1	0.375	0.009
11	भभीचंद मुन्नी पिता भददू जाति किराड़ सा. देह	241/1/4	0.377	0.014
12	रामदयाल कमला पिता मारोती जाति किराड़ सा. देह	241/1/5	0.376	0.012
13	रामरति बेवा इठोबा देविलाल पिता इठोबा मनोज कमला उर्फ	241/2	0.375	0.015
		258/2	0.400	0.015
14	तारा बेवा मिट्टू नागोराव गोपाल फूला पिता मिट्टू जाति किराड़ सा. देह	241/1/2	0.375	0.032
15	जोगीराम गोधी पिता सददू किराड़ सा. देह	241/1/3	0.376	0.008
		258/1	0.109	0.008
16	कारो बेवा घुडू रामकिशोर प्रकाश शिवरती पिता घुडू नरबदी बेवा सुक्या किराड़ सा. पचधार	261/4	0.405	0.047
17	सुरजलाल पिता गेंदू किराड़ सा. देह	261/6	2.185	0.090
18	शिवकिशोर अनीता रेखा पिता मारोती जाति किराड़ सा. देह	261/7	2.117	0.113
19	फत्तू पितमा सुक्या नरबदी बेवा सुक्या किराड़ सा. देह	260/3	0.687	0.018
20	नंदकिशोर पिता मददती ईमला उर्फ विमला देवकी पिता मददती जाति किराड़ सा. देह	260/2	0.688	0.042

क्र.	भूमिस्वामी का नाम	खसरा नं.	कुल रकबा	कुल अर्जित रकबा हे.
1	2	3	4	5
21	सुरजलाल, भूता उर्फ शास्त्री किशोरी अंजीरा पिता गेंदू ईश्वरी उर्फ प्रमिला कविता पिता अमरलाल कला बेवा अमरलाल किराड़ सा. देह	260/1	0.648	0.015
22	नत्थू व. बातू तारा सोमती पिता बाबू सा. देह	257/1	0.203	0.006
23	रामप्यारी पत्नि भभीचंद सा. देह	257/2	0.202	0.006
24	नामदेव पिता रामचरण किराड़ सा. देह	256/3	0.380	0.009
25	जीवनलाल पिता रामचरण किराड़ सा. देह	256/2	0.380	0.009
26	कैलाश लवलेश उर्फ लवकेश मुकेश पिता मुन्नालाल किराड़ सा. देह	256/1	0.497	0.009
27	वामन व. लाहनू जाति रज्जड़ पता सा. देह	286/10	0.202	0.020
		286/6	0.061	0.014
28	मना बेवा रामराव पांडुरंग गोविंदराव भीमा मुन्नी सुनिता	286/9	0.081	0.020
		286/11	0.595	0.023
29	सोना बेवा श्यामराव पुजू अजाबराव संजीव व. श्यामराव सुशिला पिता श्यामराव जाति रज्जड़ सा. देह	286/8	0.405	0.034
30	वासुदेव व. सम्पती कुन्बी सा. देह	286/5	0.364	0.030
		286/4	0.405	0.024
31	पूजी बेवा सम्पती सुखदेव वासुदेव व. सम्पती गुन्ता द्वारका पिता सम्पती कुन्बी सा. देह	286/3	0.466	0.020
32	झेंगो पिता भोम्या सा. देह	286/2	1.113	0.097
33	भीमराव उमराव व. श्यामराव कुन्बी सा. देह	294/6	0.020	0.020
34	दीपक व. उदेराम सा. देह	294/4	0.026	0.026

क्र.	भूमिस्वामी का नाम	खसरा नं.	कुल रकबा	कुल अर्ज / रकबा हे.
1	2	3	4	5
35	सुखदेव नामदेव मुन्नालाल चैतराम व. अमरचन्द रामकला पिता अमरचन्द कमलू बेवा उदेराम चटर दीपक गुरुदास नारायणदास देवीदास व. उदेराम अंजीरा सत्रुपा कुसुम पिता उदेराम गुलजार बेवा राजेराम अमरलाल मोपू मुन्नालाल व. राजेराम भुजलो गोदावरी मालती पिता राजेराम सा. देह	294/1	2.572	0.250
		39/1	1.855	0.012
योग			23.435	1.198

1- चूंकि पारसडोह मध्यम उद्वहन परियोजना के सुक्ष्म सिंचाई प्रणाली में इंटेक वेल एवं एप्रोच रोड निर्माण हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है। धारा 11 की उपधारा (3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश समिति द्वारा तैयार किया गया है, जिसका प्रकाशन पृथक से समुचित सरकार की वेबसाइट, स्थानीय स्तर तथा स्थानीय दो समाचार पत्रों में किए जाने हेतु कार्यवाही की जा रही है।

2- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा) मुलताई के कार्यालय में किया जा सकता है।

3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर (भूमि अर्जन) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा।

4- समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
तेजस्वी एस. नायक, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्रमांक 12604-भू-अर्जन-2019

धार, दिनांक 25 नवम्बर 2019

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

:: अनुसूची ::
भूमि का वर्णन :-

- (क) ग्राम :- सुनेड़ी
(ख) तहसील :- सरदारपुर
(ग) जिला :- धार
(घ) लगभग क्षेत्रफल :- 1.076 हेक्टर

खसरा क्रमांक	अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल हेक्टर मे
223	0.365
226	0.136
229	0.575
योग:-	1.076 हेक्टर

- सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है:- "बलकुण्डा सिंचाई योजना हेतु"
- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सरदारपुर तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मनावर के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
श्रीकान्त बनोठ, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

गृह (सामान्य) विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 9 दिसम्बर 2019

क्र. एफ. 15-06-2019-दो ए (3).—जनगणना अधिनियम, 1948 (1948 का 37) के उपबंधों के अधीन बनाई गई जनगणना नियमावली, 1990 के नियम 8(iii) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा घोषित करता है कि मध्यप्रदेश राज्य में भारत की जनगणना 2021 से संबंधित मकान सूचीकरण का कार्य 01 मई 2020 से 14 जून 2020 तक किया जायेगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
उषा परमार, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 9 दिसम्बर 2019

क्र. एफ. 15-06-2019-दो ए (3).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 9 दिसम्बर 2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
उषा परमार, उपसचिव.

Bhopal, the 9th December 2019

No. F-15-06-2019-दो ए (3).—In exercise of the powers conferred under Rule 8(iii) of the Census Rules, 1990 framed under the provisions of the Census Act, 1948 (37 of 1948), the State Government hereby declares that the Houselisting Operations of Census of India 2021 shall take place from 1st May 2020 to 14th June 2020 in the State of Madhya Pradesh.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
USHA PARMAR, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 9 दिसम्बर 2019

क्र. एफ. 15-06-2019-दो ए (3).—नागरिकता (नागरिकों का रजिस्ट्रीकरण और राष्ट्रीय पहचान-पत्रों का जारी करना) नियमावली, 2003 के नियम 3 के उपनियम (4) के अनुसरण में, राज्य शासन, एतद्वारा घोषित करता है कि जनसंख्या रजिस्टर को अद्यतन करने तथा स्थानीय रजिस्ट्रार के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सामान्य तौर पर रहने वाले सभी व्यक्तियों की संबंधित जानकारी एकत्र करने के लिये, मध्यप्रदेश में घर-घर जाकर गणना करने संबंधी फील्ड कार्य 01 मई, 2020 से 14 जून, 2020 की अवधि में किया जायेगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
उषा परमार, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 9 दिसम्बर 2019

क्र. एफ. 15-06-2019-दो ए (3).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 9 दिसम्बर 2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
उषा परमार, उपसचिव.

Bhopal, the 9th December 2019

No. F-15-06-2019-दो ए (3).—In pursuance of sub-rule (4) of Rule 3 of the Citizenship (Registration of Citizens and Issue of National Identity Cards) Rules, 2003, the State Government hereby declares that the field work for updation of the Population Register and for house to house enumeration for collection of information relating to all persons who are usually residing within the jurisdiction of Local Registrar shall be undertaken from 1st May 2020 to 14th June 2020 in the State of Madhya Pradesh.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
USHA PARMAR, Dy. Secy.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 13 नवम्बर 2019

क्र. B-5607-दो-2-57-2009.—श्री फसाहत हुसैन काजी, एस.पी.एस.ए. (एस. ए.) उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 13 से 20 नवम्बर 2019 तक, आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री फसाहत हुसैन काजी, एस.पी.एस.ए. (एस. ए.) उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता है।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री फसाहत हुसैन काजी उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो एस.पी.एस.ए. (एस. ए.)के पद पर कार्यरत रहते।

जबलपुर, दिनांक 21 नवम्बर 2019

क्र. D-7325-दो-2-75-2018.—श्री बी. पी. शर्मा, रजिस्ट्रार (डी. ई.) उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 14 नवम्बर 2019 का एक दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री बी. पी. शर्मा, रजिस्ट्रार (डी. ई.) उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री बी. पी. शर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो रजिस्ट्रार (डी. ई.) के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. A-3426-दो-2-32-2018.—श्री दीपेश तिवारी, रजिस्ट्रार (J-II), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 28 नवम्बर से 3 दिसम्बर 2019 तक, छह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री दीपेश तिवारी, रजिस्ट्रार (J-II), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री दीपेश तिवारी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो रजिस्ट्रार (J-II), के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. A-3434-दो-2-56-2016.—श्री पी. एन. सिंह, प्रिंसिपल रजिस्ट्रार (सतर्कता), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 23 से 30 अक्टूबर 2019 तक के सार्वजनिक अवकाश के साथ एल.टी.सी. सुविधा का उपभोग करने के कारण वर्ष 2017 से वर्ष 2019 तक की ब्लाक अवधि हेतु 10 दिवस (केवल दस दिवस) के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए)19-03 इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9 (1-ड) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक-3666-इक्कीस-ब(एक) 2011, दिनांक 8 अगस्त 2011 में दिए गए निर्देशों के अंतर्गत प्रदान की जाती है।

क्र. A-3436-दो-2-87-2018.—श्री दीपक बंसल, रजिस्ट्रार (न्यायिक-1), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए)19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2017 से 31 अक्टूबर 2019 तक 2 वर्ष की ब्लाक अवधि हेतु 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र. A-3455-दो-2-34-2017.—श्री श्याम बिहारी वर्मा, रजिस्ट्रार (आई एंड एल.) उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 5 अक्टूबर 2019 से 11 अक्टूबर 2019 तक के आकस्मिक/सार्वजनिक अवकाश के साथ एल.टी.सी. सुविधा का उपभोग करने के कारण वर्ष 1 नवम्बर 2017 से 31 अक्टूबर 2019 तक की ब्लाक अवधि हेतु 10 दिवस (केवल दस दिवस) के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए)19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9(1-ड) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक-3666-इक्कीस-ब(एक) 2011, दिनांक 8 अगस्त 2011 में दिए गए निर्देशों के अंतर्गत प्रदान की जाती है।

क्र. A-3457-दो-2-59-2006.—श्री ऋषभ कुमार सिंघई, जिला न्यायाधीश (निरीक्षण), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए)-19/03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2015 से 31 अक्टूबर 2017 तक 2 वर्ष की ब्लाक अवधि हेतु 30 दिवस के अर्जित अवकाश के नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
यू. एस. दुबे, रजिस्ट्रार.

Jabalpur, the 13th November 2019

No.C-4746.—In partial modification to the Registry Notification No. C-5019-I-7-3-18 (Part-I), dated 22 October 2018, it is hereby declared that 20th December 2019 (Friday) shall be a holiday for the High Court of Madhya Pradesh main Seat Jabalpur and Benches at Indore and Gwalior alongwith their Registries. In lieu thereof 23rd November, 2019 (Saturday) shall be a Court working day for the Main Seat Jabalpur and Benches at Indore and Gwalior.

Further the Registry Notification No. B-5163-I-7-3-18 (Part-I), dated 15 October 2019 is modified to the extent that in place of 23rd November 2019 (Saturday) which was declared as a working day for the High Court of Madhya Pradesh, Bench Indore in lieu of holiday declared on the next day of Anant Chaturdashi i. c. 13 September 2019 (Friday), now 14th December, 2019 shall be a working day for the High Court of Madhya Pradesh, Bench Indore.

By order of Hon'ble the Chief Justice,
RAJENDRA KUMAR VANI, Registrar General.

जबलपुर, दिनांक 13 नवम्बर 2019

क्र. D-6967-दो-3-420-80-भाग-बारह.—श्री पंकज गौड़, सेवानिवृत्त अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश (अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश), कुटुंब न्यायालय, जबलपुर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश फा. 195-इक्कीस-ब(एक)-2018, दिनांक 31 मार्च 2018, समसंख्यक पत्र क्रमांक 4346-इक्कीस-ब(एक)-2018, दिनांक 19 सितम्बर 2018, समसंख्यक आदेश क्रमांक 3(ए)19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(3) एवं मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग मंत्रालय, भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-6-1-2018-नियम-चार, दिनांक 8 मार्च 2019 के अनुसार श्री गौड़ को उनकी सेवानिवृत्ति दिनांक 31 अक्टूबर 2019 को निम्नानुसार अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है:—

1. अर्जित अवकाश	.. 217
अर्द्धवेतन अवकाश	.. 83

योग : 300 दिवस

2. उक्त अवकाश के वेतन के समतुल्य राशि की गणना निम्नानुसार की जावेगी:—

- अर्जित अवकाश के एवज में भुगतान=217 दिवस का पूर्ण अवकाश वेतन.
- सेवानिवृत्ति की तिथि को आधा अवकाश वेतन अनुज्ञेय+महंगाई भत्ता

अर्द्धवेतनिक अवकाश=————— X 83

के एवज में नगद 30
भुगतान

जबलपुर, दिनांक 14 नवम्बर 2019

क्र. D-6981-दो-2-34-2018.—सुश्री नीना आशापुरे, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, सीहोर को दिनांक 8 से 11 नवम्बर 2019 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 12 नवम्बर 2019 के सार्वजनिक अवकाश के लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर सुश्री नीना आशापुरे, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, सीहोर को सीहोर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि सुश्री नीना आशापुरे, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.

क्र. D-6983-दो-2-13-2019.—श्री अखिलेश शुक्ला, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, नीमच को दिनांक 18 से 23 नवम्बर 2019 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए छह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 16 एवं 17 नवम्बर 2019 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 24 नवम्बर 2019 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री अखिलेश शुक्ला, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, नीमच को नीमच पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अखिलेश शुक्ला, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. D-6985-दो-2-23-2014.—श्री देव नारायण शुक्ल, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, होशंगाबाद को दिनांक 4 से 9 नवम्बर 2019 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए छह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में 3 नवम्बर 2019 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 10 नवम्बर 2019 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री देव नारायण शुक्ल, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, होशंगाबाद को होशंगाबाद पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री देव नारायण शुक्ल, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. D-6988-दो-2-57-2015.—श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शाजापुर को दिनांक 21 से 24 अक्टूबर 2019 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 20 अक्टूबर 2019 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 25 एवं 26 अक्टूबर 2019 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शाजापुर को शाजापुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. D-6990-दो-2-23-2018.—श्री सुदीप कुमार श्रीवास्तव, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, नरसिंहपुर को दिनांक 18 से 20 सितम्बर 2019 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री सुदीप कुमार श्रीवास्तव, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, नरसिंहपुर को नरसिंहपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री सुदीप कुमार श्रीवास्तव, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

जबलपुर, दिनांक 18 नवम्बर 2019

क्र. A-3347-दो-2-105-17.—श्री बी. एस. दीक्षित, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, डिण्डौरी को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए)19-03-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2017 से 31 अक्टूबर 2019 तक 02 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र. A-3349-दो-2-34-18.—सुश्री नीना आशापुरे, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, सीहोर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए)19-03-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2017 से 31 अक्टूबर 2019 तक 02 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र. A-3351-दो-2-72-2018.—श्री अनिल कुमार अग्रवाल, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, हरदा को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए)19-03-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अंतर्गत दिनांक 30 सितम्बर 2017 से 29 सितम्बर 2019 तक 02 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र. A-3354-दो-2-129-2017.—डॉ. शिव कुमार मिश्र, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिवनी को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए)19-03-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2017 से 31 अक्टूबर 2019 तक 02 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र. A-3356-दो-2-57-2015.—श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शाजापुर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए)19-03-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2017 से 31 अक्टूबर 2019 तक 02 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र. A-3358-दो-2-28-2018.—श्री आर. सी. वार्ष्णेय, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मण्डला को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए)19-03-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2017 से 31 अक्टूबर 2019 तक 02 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र. A-3360-दो-2-86-2018.—श्री प्रेम कुमार सिन्हा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उमरिया को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए)19-03-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2017 से 31 अक्टूबर 2019 तक 02 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र. A-3362-दो-2-45-2019.—श्री बी. के. द्विवेदी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिंगरौली को निम्नानुसार अवकाश निरस्त एवं स्वीकृत किया जाता है:—

- (1) दिनांक 18 से 23 नवम्बर 2019 तक, छह: दिन का स्वीकृत अर्जित अवकाश निरस्त किया जाता है।
- (2) दिनांक 22 से 25 नवम्बर 2019 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री बी. के. द्विवेदी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिंगरौली को सिंगरौली पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री बी. के. द्विवेदी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. B-5676-दो-2-5-18.—श्री देव नारायण शुक्ल, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय होशंगाबाद को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए)19-03-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2017 से 31 अक्टूबर 2019 तक 02 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र. B-5678-दो-2-89-2017.—श्री सुशील कुमार शर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, इंदौर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए)19-03-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2017 से 31 अक्टूबर 2019 तक 02 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र. C-4833-दो-2-26-2010.—श्री प्रमोद कुमार अग्रवाल, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पन्ना को दिनांक 06 से 08 नवम्बर 2019 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री प्रमोद कुमार अग्रवाल, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पन्ना को पन्ना पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री प्रमोद कुमार अग्रवाल, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते जो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. C-4836-दो-2-31-2018.—श्री मो. सैय्यदुल अबरार अंसारी, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, देवास को निम्नानुसार अवकाश निरस्त एवं स्वीकृत किया जाता है:—

- (1) दिनांक 21 से 22 अक्टूबर 2019 तक, दो दिन का आकस्मिक अवकाश निरस्त किया जाता है।
- (2) दिनांक 21 से 22 अक्टूबर 2019 तक, दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री मो. सैय्यदुल अबरार अंसारी, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, देवास को देवास पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री मो. सैय्यदुल अबरार अंसारी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. C-4838-दो-2-74-2017.—श्री वीरेन्द्र सिंह राजपूत, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, बैतूल को दिनांक 30 से 31 अक्टूबर 2019 तक, दो दिन का स्वीकृत अर्जित अवकाश, उपभोग नहीं किये जाने के कारण निरस्त किया जाता है।

क्र. C-4840-दो-2-28-2019.—श्री सतीश चन्द्र शर्मा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, मुरैना को दिनांक 15 से 19 जून 2019 तक, पांच दिन का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री सतीश चन्द्र शर्मा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, मुरैना को मुरैना पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्प्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री सतीश चन्द्र शर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. C-4843-दो-2-33-2015.—श्रीमती आशा गोधा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, छिन्दवाड़ा को दिनांक 7 से 11 नवम्बर 2019 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्रीमती आशा गोधा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, छिन्दवाड़ा को छिन्दवाड़ा पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती आशा गोधा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाती तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं।

क्र. C-4845-दो-2-64-2014.—श्री आर. के. गुप्त, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, छतरपुर को दिनांक 6 से 11 नवम्बर 2019 तक छह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 12 नवम्बर 2019 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री आर. के. गुप्त, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, छतरपुर को छतरपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. के. गुप्त, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. C-4851-दो-2-32-2014.—श्री आर. के. सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शहडोल को दिनांक 18 से 19 नवम्बर 2019 तक, दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 16 एवं 17 नवम्बर 2019 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री आर. के. सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शहडोल को शहडोल पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. के. सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. C-4847-दो-2-24-2014.—श्री अरूण कुमार शर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छतरपुर को दिनांक 23 से 25 नवम्बर 2019 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री अरूण कुमार शर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छतरपुर को छतरपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अरूण कुमार शर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. C-4853-दो-2-11-2015.—श्री प्रभात कुमार मिश्रा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, राजगढ़-ब्यावरा को दिनांक 18 से 21 नवम्बर 2019 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 16 एवं 17 नवम्बर 2019 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री प्रभात कुमार मिश्रा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, राजगढ़-ब्यावरा को राजगढ़-ब्यावरा पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री प्रभात कुमार मिश्रा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. C-4849-दो-2-59-2016.—श्री अरूण कुमार सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रीवा को दिनांक 28 से 30 नवम्बर 2019 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 1 दिसम्बर 2019 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री अरूण कुमार सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रीवा को रीवा पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अरूण कुमार सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. C-4859-दो-2-47-2019.—श्री अवधेश कुमार सिंह, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, मण्डला को दिनांक 28 से 30 नवम्बर 2019 तक तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 1 दिसम्बर 2019 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री अवधेश कुमार सिंह, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, मण्डला को मण्डला पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अवधेश कुमार सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. D-7164-दो-2-64-14.—श्री आर. के. गुप्त, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, छतरपुर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए)19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2017 से 31 अक्टूबर 2019 तक 2 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र. D-7166-दो-2-96-17.—श्री अनिल कुमार भाटिया, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, रतलाम को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए)19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2017 से 31 अक्टूबर 2019 तक 2 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र. D-7168-दो-2-26-2010.—श्री प्रमोद कुमार अग्रवाल, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पन्ना को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए)19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2017 से 31 अक्टूबर 2019 तक 2 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र. D-7170-दो-2-66-2015.—श्री अशोक कुमार तिवारी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, झाबुआ को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए)19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2017 से 31 अक्टूबर 2019 तक 2 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र. D-7172-दो-2-71-2018.—श्री श्यामाचरण उपाध्याय, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, विदिशा को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए)19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2017 से 31 अक्टूबर 2019 तक 2 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

जबलपुर, दिनांक 19 नवम्बर 2019

क्र. D-7208-दो-2-62-2018.—श्री ए. के. वर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शिवपुरी को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए)19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2017 से 31 अक्टूबर 2019 तक 2 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र. D-7210-दो-2-50-2011.—श्री प्रदीप कुमार व्यास, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, धार को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए)19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2017 से 31 अक्टूबर 2019 तक 2 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र. D-7212-दो-2-37-2016.—श्री चन्द्रेश कुमार खरे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, होशंगाबाद को दिनांक 20 से 22 नवम्बर 2019 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री चन्द्रेश कुमार खरे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, होशंगाबाद को होशंगाबाद पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री चन्द्रेश कुमार खरे, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. D-7214-दो-2-111-2017.—श्री राजेश कुमार कोष्टा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गुना को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए)19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2017 से 31 अक्टूबर 2019 तक 2 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र. D-7216-दो-3-32-2006.—श्री एस.एस. रघुवंशी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दमोह को दिनांक 27 से 29 नवम्बर 2019 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री एस.एस. रघुवंशी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दमोह को दमोह पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री एस.एस. रघुवंशी उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. D-7118-दो-2-63-2017.—श्री कृष्ण गोपाल सुरेका, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अलीराजपुर को दिनांक 4 से 7 नवम्बर 2019 तक, चार दिन का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री कृष्ण गोपाल सुरेका, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अलीराजपुर को अलीराजपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्प्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री कृष्ण गोपाल सुरेका उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

जबलपुर, दिनांक 21 नवम्बर 2019

क्र. A-3428-दो-2-59-2016.—श्री अरूण कुमार सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रीवा को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए)19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2017 से 31 अक्टूबर 2019 तक 02 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र. A-3430-दो-2-109-2017.—श्री डी. एन. मिश्र, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, डिण्डौरी को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए)19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2017 से 31 अक्टूबर 2019 तक 2 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र. A-3432-दो-2-112-2017.—श्री योगेश दत्त शुक्ल, प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, भोपाल को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए)19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2017 से 31 अक्टूबर 2019 तक 2 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र. C-4932-दो-2-43-2017.—श्री राजेन्द्र कुमार नागपुरे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नरसिंहपुर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए)19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2017 से 31 अक्टूबर 2019 तक 2 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र. C-4940-दो-2-19-2019.—श्री रवीन्द्र सिंह कुशवाह, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, खण्डवा को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए)19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2017 से 31 अक्टूबर 2019 तक 2 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र. D-7311-दो-2-45-2018.—श्री संजय शुक्ला, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जबलपुर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए)19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2017 से 31 अक्टूबर 2019 तक 2 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र. D-7313-दो-2-42-2014.—श्री आर. के. सोनी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सतना को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए)19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2017 से 31 अक्टूबर 2019 तक 2 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र. D-7323-दो-2-43-2017.—श्री आर. के. नागपुरे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नरसिंहपुर को दिनांक 18 से 23 नवम्बर 2019 तक, छह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 16 एवं 17 नवम्बर 2019 के सार्वजनिक अवकाश तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 24 नवम्बर 2019 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री आर. के. नागपुरे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नरसिंहपुर को नरसिंहपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. के. नागपुरे उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. D-7331-दो-2-64-2016.—श्री उमेश कुमार गुप्ता, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, बालाघाट को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए)19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2017 से 31 अक्टूबर 2019 तक 02 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र. D-7333-दो-2-21-2019.—श्री लखनलाल गर्ग, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, मंदसौर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए)19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2017 से 31 अक्टूबर 2019 तक 02 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

जबलपुर, दिनांक 25 नवम्बर 2019

क्र. B-5766-दो-2-50-18.—डॉ. रमेश कुमार साहू, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, शहडोल को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए)19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2017 से 31 अक्टूबर 2019 तक 02 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र. B-5768-दो-2-35-2018.—श्री शंभु सिंह रघुवंशी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दमोह को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी

कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए)19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2017 से 31 अक्टूबर 2019 तक 02 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र. B-5770-दो-2-115-2017.—श्री अंजनीनन्दन जोशी, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, उज्जैन को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए)19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2017 से 31 अक्टूबर 2019 तक 02 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र. B-5772-दो-2-14-2014.—श्री अमर नाथ, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बैतूल को दिनांक 5 से 9 नवम्बर 2019 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 10 नवम्बर 2019 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री अमर नाथ, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बैतूल को बैतूल पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अमर नाथ उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. B-5774-दो-2-50-2017.—श्री आर. बी. कुमार, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, सिंगरौली को दिनांक 4 से 15 नवम्बर 2019 तक बारह दिन का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 16 एवं 17 नवम्बर 2019 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री आर. बी. कुमार, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, सिंगरौली को सिंगरौली पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्प्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. बी. कुमार, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. D-7476-दो-2-23-2017.—श्री प्रकाश चन्द्र गुप्ता, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुरैना को दिनांक 6 से 8 नवम्बर 2019 तक, तीन दिन का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री प्रकाश चन्द्र गुप्ता, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुरैना को मुरैना पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्प्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री प्रकाश चन्द्र गुप्ता, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. D-7478-दो-3-32-2006.—श्री एस. एस. रघुवंशी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दमोह को दिनांक 18 से 21 नवम्बर 2019 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 16 एवं 17 नवम्बर 2019 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री एस. एस. रघुवंशी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दमोह को दमोह पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री एस. एस. रघुवंशी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. D-7480-दो-2-62-2014.—श्री एल. डी. बौरासी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, खण्डवा को दिनांक 4 से 15 नवम्बर 2019 तक, बारह दिन का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 16 एवं 17 नवम्बर 2019 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री एल. डी. बौरासी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, खण्डवा को खण्डवा पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्प्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री एल. डी. बौरासी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. D-7482-दो-2-15-19.—श्री महेन्द्र कुमार जैन, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, राजगढ़-ब्यावरा को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए)19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2017 से 31 अक्टूबर 2019 तक 02 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए 30 दिवस के अर्जित

अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र. D-7484-दो-2-115-2017.—श्री अंजनीनन्दन जोशी, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, उज्जैन को दिनांक 1 से 2 नवम्बर 2019 तक, दो दिन का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 3 नवम्बर 2019 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री अंजनीनन्दन जोशी, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, उज्जैन को उज्जैन पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्प्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अंजनीनन्दन जोशी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. D-7486-दो-2-21-2019.—श्री लखनलाल गर्ग, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, मंदसौर को दिनांक 4 से 5 दिसम्बर 2019 तक, दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री लखनलाल गर्ग, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, मंदसौर को मंदसौर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री लखनलाल गर्ग, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. D-7488-दो-2-18-2016.—श्री जी. एस. सलुजा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, ग्वालियर को दिनांक 28 सितम्बर 2019 का, दिनांक 5 अक्टूबर 2019 का, दिनांक 12 अक्टूबर 2019 का, दिनांक 16 अक्टूबर का तथा दिनांक 23 अक्टूबर 2019 का कुल पांच दिन का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री जी. एस. सलुजा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्प्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री जी. एस. सलुजा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
यू. एस. दुबे, रजिस्ट्रार.

Jabalpur, the 25th November 2019

No. 235-CJ-II-877.—In exercise of powers conferred Under Article 235 of the Constitution of India, the High Court as Disciplinary Authority is pleased to revoke Suspension Order No. 01 dated 3rd January, 2019 of Shri Rambresh Yadav, the then Vth Additional District Judge, Katni, (presently under suspension with headquarters at Rewa) with immediate effect.

By order of the High Court,
PRAMOD KUMAR AGRAWAL, Principal Registrar,
(Vigilance).

TENTATIVE LIST OF HOLIDAYS OF THE SUBORDINATE COURT FOR THE YEAR, 2020

Jabalpur, the 7th November 2019

No. B-5502-I-7-3-2019 (Part-I).—The following Tentative list of Holidays and Vacations for the Subordinate Courts during the Year 2020 prepared by the High Court is hereby published for general information:—

Sr. No. (1)	Name of Holidays (2)	Dates as per Gregorian Calendar (3)	Days of Week (4)
1.	New Year's Day	01.01.2020	Wednesday
2.	Mahashivratri	21.02.2020	Friday
3.	Holi Holidays	09.03.2020 10.03.2020 11.03.2020	Monday Tuesday Wednesday
4.	Gudi Padwa/Chaitichand	25.03.2020	Wednesday

(1)	(2)	(3)	(4)
5.	Ramnavmi	02.04.2020	Thursday
6.	Mahaveer Jayanti	06.04.2020	Monday
7.	Good Friday	10.04.2020	Friday
8.	Dr. Ambedkar Jayanti/Baisakhi	14.04.2020	Tuesday
9.	Buddh Purnima	07.05.2020	Thursday
10.	Id-Ul-Fitar	25.05.2020	Monday
11.	Id-Ul-Zuha	01.08.2020	Saturday
12.	Raksha Bandhan	03.08.2020	Monday
13.	Janmashtmi	12.08.2020	Wednesday
14.	Ganesh Chaturthi	22.08.2020	Saturday
15.	Sarv Pitra Moksha Amavasya	17.09.2020	Thursday
16.	Gandhi Jayanti	02.10.2020	Friday
17.	Mahanavmi/ Mahaastmi	24.10.2020	Saturday
	Dussehra	26.10.2020	Monday
	(25-10-2020 Sunday)	27.10.2020	Tuesday
		28.10.2020	Wednesda
		29.10.2020	Thursday
18.	Id-milad un-Nabi	30.10.2020	Friday
19.	Deepawali	12.11.2020	Thursday
	(14-11-2020 Saturday)	13.11.2020	Friday
		16.11.2020	Monday
20.	Gurunanak Jayanti	30.11.2020	Monday
21.	Christmas Day	25.12.2020	Friday
Total : 21 Days			

**TENTATIVE CALENDAR OF SUBORDINATE COURT OF THE STATE OF MADHYA PRADESH
FOR THE YEAR 2020**

Days	JANUARY	FEBRUARY	MARCH	APRIL
SUN.	(5) (12) (19) (26)	(2) (9) (16) (23)	(8) (15) (22) (29)	(5) (12) (19) (26)
MON.	6 13 20 27	3 10 17 24	(9) (16) (23) (30)	(6) (13) (20) (27)
TUE.	7 14 21 28	4 11 18 25	(10) (17) (24) (31)	(7) (14) (21) (28)
WED.	(1) 8 15 22 29	5 12 19 26	(11) (18) (25)	8 15 22 29
THU.	2 9 16 23 30	6 13 20 27	12 19 26	9 16 23 30
FRI.	3 10 17 24 31	7 14 21 28	13 20 27	(10) (17) (24)
SAT.	4 11 18 25	8 15 22 29	14 21 28	11 18 25
Days	MAY	JUNE	JULY	AUGUST
SUN.	(3) (10) (17) (24)	(7) (14) (21) (28)	(5) (12) (19) (26)	(2) (9) (16) (23)
MON.	4 11 18 25	8 15 22 29	6 13 20 27	(3) (10) (17) (24)
TUE.	5 12 19 26	9 16 23 30	7 14 21 28	4 11 18 25
WED.	6 13 20 27	10 17 24	8 15 22 29	5 12 19 26
THU.	(7) 14 21 28	11 18 25	9 16 23 30	6 13 20 27
FRI.	1 8 15 22 29	12 19 26	10 17 24 31	7 14 21 28
SAT.	2 9 16 23 30	13 20 27	11 18 25	8 15 22 29
Days	SEPTEMBER	OCTOBER	NOVEMBER	DECEMBER
SUN.	(6) (13) (20) (27)	(4) (11) (18) (25)	(8) (15) (22) (29)	(6) (13) (20) (27)
MON.	7 14 21 28	5 12 19 26	9 16 23 30	7 14 21 28
TUE.	1 8 15 22 29	6 13 20 27	10 17 24 31	8 15 22 29
WED.	2 9 16 23 30	7 14 21 28	11 18 25	9 16 23 30
THU.	3 10 17 24	8 15 22 29	12 19 26	10 17 24 31
FRI.	4 11 18 25	9 16 23 30	13 20 27	(11) (18) (25)
SAT.	5 12 19 26	10 17 24 31	14 21 28	12 19 26

○ Sundays & Holidays

△ Closed Saturday

□ Vacation

NOTES:—

1. Republic Day dated 26.01.2020, Moharrum dated 30.08.2020, falls on Sunday & Independence Day dated 15.08.2020, fall on closed Saturday, therefore these holidays are not declared separately.
2. Saturdays falling on 18th January, 15th February, 21st March, 18th April, 16th May, 20th June, 18th July, 15th August, 19th September, 17th October, 21st November, 19th December will be closed Saturdays for Subordinate Court.
3. Summer Vacation of Subordinate Court shall be from 18th May 2020 to 12th June, 2020 and Winter Vacation from 23rd December 2020 to 31st December, 2020.
4. Subordinate Courts will not observe the holidays declared or changed suddenly by the State Government/Competent Authority without approval of High Court.
5. The District Judge of the concerned district shall declare three Local holidays declared by the Collector/Commissioner of the concerned District or Tehsil without approval of the High Court under intimation to this Registry.
6. The holidays in respect of Id-ul-Fitar, Id-ul-Zuha, Moharrum and Id-milad un-Nabi are subject to change depending upon the visibility of moon.

RAJENDRA KUMAR VANI, Registrar General.